राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का ८८ वां दिवस [संख्या २६

वृहस्पतिवार, दिनांक २९ अक्टूबर, १९६४

विधान सभा की बैठक म.पू. ११ बजकर २ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, गृह, सामान्य प्रशासन, कृषि, राजस्व, राजस्थान नहर, सिंचाई, चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य एवं खनिज-विभाग]

प्रश्न संख्या ६८४

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

'श्री भैरवलाल कालाबादल' ।

अजमेर की धर्मशाला से महिला एवं बच्चे का अपहरण

६८५. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-खु०): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अजमेर की धर्मशाला से ता० ५-८-६४ के आसपास श्री रमेशचंद्र इन्दौर निवासी की धर्मपत्नी श्रीमती शान्ति तथा ३ वर्षीय बच्चे का अपहरण किया गया ? यदि हां, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

(२) क्या यह सही है कि रमेशचन्द्र ने पुलिस को अर्जियां दीं, लेकिन उनको लेने से इन्कार कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या उन अर्जियों में रमेशचन्द्र द्वारा इस बात का उल्लेख था कि रूपनगर थाने का एक सिपाही उस महिला को अजमेर की धर्मशाला से यह कह कर ले गया था कि बच्चे और उनकी मां को बच्चे के पिता (रमेशचन्द्र) ने बुलाया है ?

(४) उपरोक्त कांड के बारे में अजमेर पुलिस अब तक उक्त महिला का पता लगाने में कहां तक कामयाब हो पाई है ?

(५) क्या राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर आये हुए यात्रियों के साथ इस प्रकार की घटना होना सरकार के लिए अपमान नहीं है ?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : पुलिस में प्रस्तुत आरोपों से कोई हस्तक्षेप योग्य अपराध न बनने से पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। तत्पश्चात श्री रमेशचन्द्र ने अदालत में सर्व श्री बजरंगलाल एवं ताराचंद कांस्टेबल के विरुद्ध इस्तगासा धारा ४९८ तथा ३४२ भा. द. सं. प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। अतः सही तथ्यों का अदालत में निर्णय से ही पता पड़ेगा।

(२) जी नहीं। श्री रमेशचन्द्र ने दो बार थाने में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो दर्ज की गई।

(३) जी नहीं। किन्तु पहली बार तो श्री रमेशचन्द्र ने बताया कि वह अपनी औरत को चिकित्सा के लिए लाया था उसका दिमाग अस्वस्थ था अतः वह कहीं चली गयी। दूसरी बार उसने यह बताया कि वह पुष्कर दर्शन के लिए अपनी औरत को लाया था और धर्मशाला में ठहराया जहां से उसे लड़के सहित बजरंगलाल भगा कर ले गया।

(४) रिपोर्ट से कोई पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध न बनने से पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

(५) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, उस बेचारे ने पुलिस में काफी रिपोर्टें दीं। क्या यह बात सही है, चूंकि उसने यह लिखवाया कि वह पागल थी और वह भाग गई ? उन्होंने भी लिख दिया कि वह पागल थी। उस रमेशचन्द्र ने इस प्रकार की बात लिखवाई, यह बात गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए। एक धर्म स्थान पर आई हुई महिला हो उसको पुलिस सिपाही उड़ा कर ले जाय और उस मामले को दबाया जाय और उससे यह कहा जाय कि यह लिख दो कि वह पागल थी तो तुम्हारी औरत मिल जायगी। विक्टोरिया अस्पताल के डाक्टर ने उसके बच्चे के बारे में, जो अस्पताल में बीमार रहा, कहा कि इसकी मां नहीं मिली तो बच्चा मर जायेगा। मैं समझता हूं कि इसकी फिर से जांच होनी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने दबाव देकर कोई बात रमेशचन्द्र से नहीं लिखवाई। उसने वर्बल रिपोर्ट की थी, लेकिन यह प्रश्न नहीं था जैसा माननीय सदस्य ने कहा। दूसरी रिपोर्ट उसने ११-६-६४ को दी है कि वह ६-६-६४ को पुष्कर नहाने के लिए आया। जबकि वर्बल रिपोर्ट में कहा था कि २-६-६४ को लाया था उसमें यह डिस्क्रिपेंसी थी। जो रिपोर्ट दी उससे प्रतीत होता है कि काग्नीज़ेबल केस नहीं बनता है, बल्कि ४९८ का केस बनता है। इसलिए कम्प्लेनेन्ट को हिदायत की कि लॉ कोर्ट से रेमेडी सीक की जाये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आप बताइये कि जिस तारीख को औरत गायब हुई, इसकी रिपोर्ट रमेशचन्द्र ने कब की थी, अगर आपके पास रिपोर्ट मौजूद है ?

श्री परसराम मदेरणा : रमेशचन्द्र ने पहले ६-६-६४ को रिपोर्ट की, उसमें यह बताया कि २-६-६४ को वह आया है और

(श्री परसराम मदेरणा)

उसकी औरत का दिमाग अस्वस्थ है, उसका इलाज कराने के लिए आया है। उसकी औरत गुम हो गई है, उसका पता लगाया जाय पुलिस ने सब आउट पोस्ट्स को हिदायत दे दी कि एक औरत बच्चे के साथ धर्मशाला से निकल गई बताई जाती है, अगर कहीं मिल जाय तो कोतवाली, पुलिस स्टेशन में भेज दी जाय। फिर ११ तारीख को आता है और रिपोर्ट करता है कि मेरी औरत लोढा धर्मशाला में ठहरी हुई थी, वहां से उसको बजरंगलाल उड़ा कर ले गया एवं ताराचन्द को हैण्ड ओवर कर दी है। यह काग्नीज़ेबल केस नहीं बनता था, इसलिए इस केस में पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। उस केस में एक्शन ले सकती है जिसमें पुलिस का काग्नीजेन्स हो। उसमें पुलिस द्वारा हस्तक्षेप के लिए कोई आरोप नहीं था। इसलिए उसको कहा गया, चाहे तो कोर्ट में रेमेडी सीक करे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : वह बाहर का रहने वाला था, फिर उसने बजरंगलाल और ताराचन्द के नाम कैसे लिये ? रिपोर्ट में यह कैसे बताया कि यह आदमी मेरी औरत को भगा कर ले गया है ? क्या पुरानी दुश्मनी थी इसलिए नाम लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : पुरानी दुश्मनी का सवाल नहीं है। किसी औरत को भगाने का ओफेन्स बनता है वह दो तरह बन सकता है- एक तो ३६६ में बने यदि माइनर हो तो। यदि नहीं है तो ४९८ में अडल्ट्री का केस बनता है, वह काग्नीज़ेबल नहीं है। उसने पहली रिपोर्ट में बताया कि वह २१ साल से ज्यादा है। इसलिए वह ४९८ का ऑफेंस बनता है। वह कागनीजेबल ऑफेन्स नहीं है। इसलिए उसको कह दिया गया कि लॉ कोर्ट में इस्तगासा करना चाहिए। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस्तगासा कर दिया गया है और केस अब सब-जुडिस है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : (बयाना) अध्यक्ष महोदय। यह कानूनी बात है। मैं समझता हूं कि आप फिर से दोनों सेक्शन्स को पढ़ लें। विदाउट हर विल, विदाउट कन्सेन्ट मेजर लेडी को किडनेप किया जाय तो ३६६ का ऑफेन्स बनता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि इस केस में माननीय सदस्य जोर दे रहे हैं, उसको आप फिर से एक्ज़ामिन करा लें। मैं यह बताऊं कि वह औरत अगर अपनी इच्छा से गई है और मेजर है, २१ साल से ज्यादा उम्र है, तो यह बतायें कि क्या पुलिस के रिकॉर्ड में उस औरत का ऐसा स्टेटमेन्ट आ गया है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं। जब तक यह चीज नहीं हो तब तक ४९८ में एडल्ट्री में उस केस को रजिस्टर करने की बात नहीं कर सकते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब तक औरत का स्टेटमेंट नहीं है कि 'अपनी मर्जी से आई हूँ,' ऐसी स्थिति में क्योंकि विदाउट हर विल कोअर्सिव मेथड से ले जाई गई है इसलिए ३६६ का केस बनेगा। इसलिए इसकी फिर से जांच करवायी जाय।

श्री परसराम मदेरणा : पहली कम्पलेन्ट कम्पलेनेन्ट ने ६-६-६४ को आकर की, जबकि दूसरी की ११-६-६४ को। १०-६-६४

(श्री परसराम मदेरणा)

को वह औरत कॉन्स्टेबल ताराचन्द के साथ एस. डी. एम. कोर्ट, किशनगढ़ गई और पेश होकर स्टेटमेंट हलफनामे के साथ दर्ज कराया है, वह डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के अन्दर हैं, वह हलफनामा पुलिस के हाथ में आ चुका है उसमें साफ लिखा है, "मैं मर्जी से ताराचन्द के साथ रहती हूं।" ताराचन्द आर. टी. सी. ट्रेनिंग उदयपुर में था, उस वक्त से जान-पहचान थी। मैं मर्जी से इसके साथ रह रही हूं। मेरा तथाकथित हजबैंड है, जो इस्तगासा चल रहा है उसमें प्ली ली है कि यह फुसला कर लाया है, यह मेरा हसबैंड नहीं है। उसने यह भी कहा है कि वह मुझे बेचना चाहता चाहता था। किसी मुसलमान को अजमेर में बेचने के लिये लाया था। क्योंकि मैं ताराचन्द को जानती थी—इसलिए उसके पास चली गई। उसने साफ कहा है, "मैं मर्जी से रह रही हूं।" कोअर्सिव मेथड यूज़ करने का इसमें प्रश्न नहीं है इसलिए ४६८ का केस बनता है, ३६६ का नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करूं, चूंकि इसमें पुलिस कांस्टेबल बीच में आता है। मैं क्रिमिनल केसेज रात दिन डील करता हूँ, मैं आपको बताऊं कि औरत जिसके कब्जे में रह रही हो, उसके अनुसार ही बयान देगी। कितने ही केसेज में जो औरत किडनेप करके लाई जाती है उनके बयान लिये जाते हैं, १६४ में उनके हकेलनामे लिये जाते हैं और कोर्ट में मन-चाहे बयान लिये जाते है। औरत को अर्समें हो और आततायी की कब्जे में हो तो उसके खिलाफ स्टेटमेंन्ट नहीं दे सकती। मेरी प्रार्थना है कि पहले उसको उससे अलग करायें। इस और उसके बाद फिर एक बार इन्क्वायरी करायें। केस में मानवीय दृष्टिकोण अपनायें। बच्चे का जहां तक ताल्लुक है! केस तो किडनेपिंग का है क्योंकि लॉफुल गार्जियनशिप से हटाया गया है। मैं समझता हूं किसी अच्छे और योग्य ऑफीसर को भेजकर इसकी जांच करालें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपके प्रश्न के एक हिस्से का सवाल है, वह कोर्ट में रेमेडी सीक कर चुका है। कोर्ट में मामला सब जुडिस है। यदि कोर्ट में मूव होता है तो कोर्ट औरत को अनाथालय वगैरह भेजती में है; मैं समझता हूँ कि कम्पलेनेन्ट उस औरत को ताराचन्द के पास नहीं रखे जाने के लिए मूव करेगा। यह ४६८ और ३४२ का केस चल रहा है। उसने यह प्रूव करने का बर्डन डाला है कि हसबैंड वह है या नहीं। औरत ने प्ली ली है कि वह हसबैंड नहीं है। जहां तक कॉन्स्टेबल का प्रश्न है इसके लिए गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कन्डक्ट रूल्स बने हुए हैं और उनके नीचे उसे चार्ज शीट दे दी है। अगर रूल्स का कन्ट्रावेन्शन हुआ होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जावेगा। यह कॉग्निजेबल ऑफेन्स नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ३४२ का तो कोग्नीजेबल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं यह जानना चाहूँगा कि उस औरत के बयान हुए उससे पहले उसको कहां पर रखा गया? क्या उस औरत को रेस्क्यू होम में या

Page No. 5

(श्री योग्येन्द्रनाथ हांडा)

और कहीं पर किसी के मकान पर रखा गया। यह बात मंत्री महोदय केटेगोरीकली बतावें।

श्री अध्यक्ष : Next.

प्रश्न संख्या ६८६

श्री मानकिचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६८७

श्री शीशराम ओला।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री पोहूमल ईसरदास।

सुमेरपुर-पाली-जयपुर रोड पर सिंधी केबिन होल्डर्स को भूमि

श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर) : Will the Minister for Local-Self Governmet please state :--

(1) Whether the land on Sumerpur–Pali-Jaipur Road was sold to cabin holders Sindhi refugees by the Pali Municipal Board? If yes, when and at what rate?

(2) Who cancelled this sale and why?

(3) Whether the lease was again granted for 99 years? If yes, when?

(4) What were the recommendations of the Director of Local Bodies, Rajasthan? Please state the date of his recommendations.

(5) Did the Chairman of Pali Municipal Board appeal the Government to give relief to the poor displaced persons by settling them and providing them the means of livelihood?

(6) Whether the Government has given permisson for such lease? If not, why not?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) पहिले वर्ष १६६१ में २) रु० प्रति वर्ग गज के हिसाब से अलॉट की गई थी। पुनः १६६२ में ६६ वर्ष की लीज़ पर देने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

(२) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १६५६ की धारा २८५ (१) के अन्तर्गत जिलाधीश, पाली के आदेश की धारा २८५ (२) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सम्पुष्टि पर बिक्री रद्द हुई।

(३) जी नहीं।

(४) जमीन ६६ वर्ष के लीज़ पर दिये जाने की। दिनांक ११-८-६२ को।

(५) जी हां।

(६) जी नहीं। प्रश्न दो के उत्तर के अनुसार।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या यह उनको दी जा सकती है या नहीं?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

श्री पोह्मल ईसरदास : क्यों नहीं दी जा सकती जब म्युनिसिपैलिटी ने लिख दिया ?

श्री दौलतराम सारण : जमीन म्युनिसिपैलिटी की नहीं है और इसके संबन्ध में फैसला हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : Next, श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

भूतपूर्व कस्टम्स विभाग के कर्मचारियों का पटवारी के पदों पर फिक्सेशन

६८६. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि सन् १६५५ में कस्टम्स विभाग से कुछ व्यक्तियों को राजस्वविभाग में लिया गया था ? क्या यह सही है कि जिन जिन व्यक्तियों को राजस्व-विभाग में पटवारी बनाया गया था उनका पटवारी के पद पर फिक्सेशन तो हो गया है लेकिन पटवारी की ग्रेड कम होने के कारण भविष्य में उनको कोई ग्रेड इन्क्रीमेन्ट्स नहीं मिल सके ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन व्यक्तियों को उनके पूर्व का ग्रेड ध्यान में रख कोई ऐसा ग्रेड देने का इरादा रखती है जिससे उनको वार्षिक बढ़ोत्तरी आदि पूर्ववत् मिल सके।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : कस्टम्स विभाग के समाप्त होने पर कुछ व्यक्तियों को पटवारी एवं अन्य स्थानों पर नियुक्त किया था। उनका फिक्सेशन, जिन जिन स्थानों पर उनकी नियुक्त की गई, उन्हीं पोस्ट की ग्रेड में हो गया। किसी भी कस्टम्स विभाग के व्यक्ति की तनख्वाह जो कस्टम्स विभाग में पाते थे कम नहीं की गई बल्कि उन्हें पटवारी के ग्रेड में सामयिक वृद्धि सहित वेतन दिया जा रहा है, यदि किसी कस्टम्स विभाग के व्यक्ति का वेतन उनके समावेश के समय पटवारी की वेतन श्रृंखला (अन्तिम) ग्रेड से कम थी तो पटवारी का वेतन श्रृंखला में वार्षिक वृद्धि दी जाती रही तथा जिनका वेतन पटवारी के अधिकतम (अन्तिम) ग्रेड से ज्यादा था उन्हें पटवारी की अन्तिम ग्रेड की तनख्वाह देते हुए शेष रकम पर्सनल पे के बतौर दी जाती रही। ऐसे व्यक्तियों को जब तक प्रमोशन नहीं हो जाता उन्हें उच्च ग्रेड देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में अपने जवाब में माना है कि जिन कर्मचारियों को १६५५ में पटवारी बनाया और उनको पटवारियों की हाइयेस्ट ग्रेड मिलती थी और यहां उनको ट्रान्सफर किया था और वहां लिया गया। आज उनको यहां पर लिये हुए ६ साल हो गये उनको उन्हीं तनख्वाह पर रखा जा रहा है। क्या सरकार उनके लिये इस तरह की व्यवस्था करेगी कि उनकी बढ़ोत्तरी हो सके ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक उनके अंतिम सीमा पर पहुंचने का प्रश्न है, उसके लिये तो मैंने कहा कि वे अंतिम ग्रेड तक पहुंच सकते हैं और उससे ऊपर पहुंचने का सवाल है वह तो प्रमोशन से ही पहुंच सकते हैं और जिस तरह से दूसरे लोगों के लिये प्रमोशन के रास्ते खुले हैं उसी प्रकार इनके लिये भी खुले हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को आपने १९५५ में पटवारी बनाया उस समय उनको जो हाइयेस्ट पे मिलती थी वह आपने उनको दे दी। क्या आपने उसके बाद इन ९ सालों में उन पटवारियों में से किसी को भी इन्सपेक्टर के ग्रेड में लिया या नहीं और उनको आगे प्रमोशन दिया गया या नहीं और अगर नहीं लिया तो क्या अब सरकार उनको पहले चान्स देकर आगे बढ़ावा देना चाहती है, बजाय उस ग्रेड में पड़े रखने के ? क्या सरकार इस दिशा में उनके लिये सोचती है ? मैं यह कहूँगा कि सरकार को इसमें स्पष्ट नीति बना कर उनको प्रमोशन पहले देना चाहिये जो पहले से ब्लोक पड़े हुए हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक प्रमोशन का प्रश्न है उसके लिये जिस प्रकार की क्वालीफिकेशन्स की आवश्यकता है उसको फुलफिल करना चाहिये और उसके बाद सीनियोरिटी का प्रश्न आता है और मेरिट का प्रश्न आता है। इसीलिये यह प्रश्न नहीं उठता कि उनको दें और दूसरों को नहीं दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सिनियोरिटी के लिए तो जैसा आप कहते हैं वे हैं और उसी कारण से आपने उनको हाइयेस्ट पे पर लिया है। मैं यह कहूंगा कि जब आप पटवारियों को इन्सपेक्टर बना रहे हैं जो १९५५ में उसी ग्रेड में और हाइयेस्ट पे में थे और जो उनसे जूनियर हैं और उनको नहीं बनाया इसका क्या कारण है ? जो पटवारी नये नये उनके बाद में भर्ती किये गये उनको दे रहे हैं। मगर उन लोगों को जो सन् १९५५ से अब तक कार्य कर रहे हैं और ब्लोक्ड है उनको चान्स नहीं दिया है। यह व्यवस्था पक्षपातपूर्ण कही जा सकती है। इसीलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी उनकी दयनीय स्थिति पर विचार करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आपने पटवारियों की सीनियोरिटी डेट ऑफ अपोइन्टमेंट से मानी है या जब वे पहले किसी भी जगह नौकर थे उससे मानी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने उनको जब अपने विभाग में १९५५ में कस्टम्स से लिया था तो आपने उनको हाइयेस्ट ग्रेड दे दी। आज उनको ९ साल हो गये हैं कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हाइयेस्ट नहीं दिया, जो वहां पर मिलता था वह दिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप उनसे जूनियरों को प्रमोशन दे रहे हैं, मगर उनको नहीं दे रहे हे। आप उनको कैसे दे दें ? वे आपके जागीरदारों के यहां से आये हुये हैं इसलिए नहीं दे रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जहां कि तक सीनियोरिटी और मेरिट व प्रेस्काइब्ड क्वालिफिकेशन का प्रश्न है इनमें जो भी आता है चाहे वह कस्टम विभाग से आया हुआ हो चाहे ओरिजिनल डिपार्टमेंट का हो, हम उसमें कोई भेद

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

भाव नहीं करते । हमारी बेसिक तीन चीजें हैं उनको पूरा करने वाले चाहे कस्टम्स विभाग के हों चाहे और कोई हों उन सबके लिए प्रमोशन के चान्सेज़ ओपन रहते हैं और कई प्रमोशन हुए हैं । इस समय फिगर्स मेरे पास नहीं हैं, जिससे मैं आपको बता सकूं कि उनमें से कोई प्रमोशन हुआ है या नहीं । इनके केसेज़ में भी सरकार उसी प्रकार विचार करेगी, जैसे दूसरों के केसेज़ में विचार करेगी; डिस्क्रिमिनेशन का सवाल ही नहीं है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप स्वीकार करते हैं कि हाइयेस्ट ग्रेड इन पटवारियों को मिल रहा है वह सीनियोरिटी की वजह से मिल रहा है; फिर क्या वजह है कि इनको प्रमोट नहीं किया है अभी तक ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस ग्रेड में इनको फिक्स अप किया इसलिए किसी को ५० मिलते थे तो एन्युअल इन्क्रीमेंट मिलते मिलते वह ६० तक पहुंच सकता है— It is not that all of them were given Rs. 60/—.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सीनियोरिटी रिवाइज़ हो रही है क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या इनकी सीनियोरिटी रिवाइज़ की है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह नहीं भाई, मिनिस्टर सीट चेंज कर रहे थे इसलिए मैंने कहा कि सीनियोरिटी चेंज हो रही है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हाइयेस्ट ग्रेड दिया है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हाइयेस्ट ग्रेड का सवाल नहीं । पटवारी के ग्रेड पर फिक्स कर दिया, जिनको कम तनख्वाह मिलती थी तो एन्यूअल इन्क्रीमेंट के द्वारा वहां तक पहुंच सकते हैं । किसी को ६० से अधिक मिलता था तो उनकी ६० तो पे हो गई, बाकी परसनल पे करके उनकी तनख्वाह को प्रोटेक्ट किया है, कम मिलता था तो इस ग्रेड की आखिरी सीमा तक पहुंच जायेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : दूसरे विभागों में सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोशन्स दिये गये हैं । राजस्थान के दूसरे विभागों में, मेडिकल एण्ड हैल्थ में ही ले लीजिये जो न क्वालिफाइड थे, सर्विसेज़ ज्यादा थीं तो ग्रेड भी उन्हें दिया गया और प्रमोशन्स भी दिये गए तो फिर क्या वजह है कि पटवारियों के एक्सपीरियेन्स और उनकी सीनियोरिटी को काउन्ट करके प्रमोट नहीं किया गया ? जिस प्रकार दूसरों को इन्स्पेक्टर बनाते हैं, इनको भी बना सकते थे । जैसा दूसरे विभागों में किया है उसी तरह पटवारियों के लिए नहीं कर सकते क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्षजी, बार बार वही सवाल रिपीट करते हैं तो मुझे भी बार बार वही जवाब रिपीट करना पड़ता है । सीनियोरिटी और मेरिट्स के

Page No. 9

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आधार पर जो रास्ता दूसरों के लिए खुला हुआ है वह इनके लिए भी खुला हुआ है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नैस में आते हैं तो इनको भी चान्स मिलता है।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

रावतसर ब्रान्च के हैड का निर्माण कार्य

६६०. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या राजस्थान कैनाल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि आर. डी. ६७१ पर स्थिति नोरंगदेसर की रावतसर ब्रान्च के हैड का उद्घाटन उप राष्ट्रपति द्वारा ११ अक्टूबर, १६६१ को किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त हैड के दोषपूर्ण होने के कारण एस. डी. ओ. सेलेवाला तलवाड़ा डिविजन ने उसका कम्पलीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया एवं उपरोक्त कार्य को दोषपूर्ण बताते हुए लिखा था कि ठेकेदार को फाइनल पेमेन्ट नहीं किया जाय ?

(३) उपरोक्त निर्माण कार्य का ठेकेदार कौन था ? क्या इसके बावजूद उसको फाइनल पेमेन्ट कर दिया गया ? यदि हां, तो पेमेन्ट की तारीख बतावें।

(४) क्या सेलेवाला तलवाड़ा डिविज़न के उपरोक्त निर्माण कार्य के उस समय के एस. डी. ओ. का तबादला कर दिया गया ? यदि हां, तो कौन सी तारीख को ?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य के पूर्ण होने के करीब एक वर्ष पश्चात् ही हैड में दरार (क्रेक) पड़ने की रिपोर्ट एस. डी. ओ. इन्चार्ज द्वारा की गई ?

(६) यदि हां, तो रिपोर्ट करने वाले एस. डी. ओ. का नाम बतावें, एवं क्या इस रिपोर्ट पर सरकार द्वारा उपरोक्त समस्त निर्माण कार्य की जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, राजस्थान कैनाल (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। डॉ० एस० राधाकृष्ण ने भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति द्वारा उक्त हैड का उद्घाटन ११ अक्टूबर, १६६१ को किया गया था।

(२) यह सही है कि एस. डी. ओ. सेलेवाला ने उपरोक्त हैड के फाइनल बिल में हैड के दोषपूर्ण होने का रिमार्क दिया था। ठेकेदार को फाइनल पेमेंट न किया जाय इस प्रकार का कोई रिमार्क नहीं था।

(३) श्री खूबचंद बांठिया इस निर्माण कार्य का ठेकेदार था। जांच करने पर यह रिमार्क पक्षपात पूर्ण सिद्ध हुए अतएव इन रिमार्क्स को ध्यान में न रख कर इस कार्य का फाइनल बिल चीफ अकाउन्टस ऑफिसर को चैक करने के लिए भेज दिया गया है। पेमेंट होने की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। बिल चैक होने पर पेमेन्ट किया जायेगा।

(४) जी हां, सार्वजनिक हित में एस. डी. ओ. का तबादला दिनांक २३-३-६३ को कर दिया गया था।

(श्री दौलतराम सारण)

(५) जी नहीं। हैड में दरार (क्रेक) पड़ने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई; हैड बिल्कुल ठीक हालत में है।

(६) प्रश्न ५ के उत्तर के संदर्भ में ऐसी जांच की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हैड एज पर शिड्यूल नहीं बना, फिर भी ठेकेदार को पेमेंट क्यों नहीं किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा (मंत्री, राजस्थान कैनाल) : यह उत्तर दे दिया है। उन्होंने यह रिमार्क दिया था, पर बाद में जांच से पता चला कि उनका रिमार्क पक्षपातपूर्ण था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ५ के उत्तर में कहा है कि हैड में दरार पड़ने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। हैड बिल्कुल ठीक हालत में है। तो क्या परसराम ने हैड क्रेक होने की सूचना नहीं दी है, यह आप दृढ़तापूर्वक विश्वास के साथ कह सकते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न के भाग ५ में आपने पूछा कि "क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य के पूर्ण होने के करीब एक वर्ष पश्चात् ही हैड में दरार पड़ने की रिपोर्ट एस. डी. ओ. इन्चार्ज द्वारा की गई ?" मैंने उत्तर दिया है : "जी नहीं"। हैड में दरार पड़ने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। हैड बिल्कुल ठीक हालत में है।"

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एस. डी. ओ. ने रिमार्क लिखा है कि हैड दोषपूर्ण है, इसको आपने एग्ज़ामिन कराया और ठेकेदार का फॉल्ट नहीं पाया और उसे पेमेंट कर दिया तो फिर एस. डी. ओ. का ट्रान्सफर किस आधार पर किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : यह काम उस एस. डी. ओ. की निगरानी में हुआ था, उसके बारे में पहले उसने कोई आपत्ति नहीं की। जो रिमार्क बाद में दिया वह पक्षपातपूर्ण था इसलिये रिमार्क को ठीक नहीं मानकर, उसकी गलती थी इसलिये उसको ट्रान्सफर किया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : गलत रिमार्क था तो क्या कार्यवाही की उसके खिलाफ ?

श्री दौलतराम सारण : ट्रान्सफर कर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजराम गहलोत।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक सवाल और है।

श्री अध्यक्ष : इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। श्री तेजाराम गहलोत।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक सप्लीमेंटरी और है; बहुत इम्पोर्टेन्ट है, गलत उत्तर दिया गया है....

श्री अध्यक्ष : जी नहीं। सब बातें स्पष्ट हो गई हैं।

(विराम)

श्री तेजाराम गहलोत।

Page No. 11

भूस्वामियों को मुआवजा

६६१. श्री नेजाराम गहलोत (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) भूस्वामी आन्दोलन पर भारत के प्रधान मंत्री को क्या राज्य सरकार भूस्वामियों ने आर्बीट्रेटर मुकर्रर किया था ? यदि हां, तो प्रधान मंत्री ने क्या एवार्ड दिया ? एक एवार्ड की कॉपी सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सच है कि उक्त एवार्ड के अनुसार राज्य सरकार ने १५ लाख रुपये एक्स ग्रेशिया कम्पेन्सेशन भूस्वामियों को देने का फैसला किया था ? यदि हां, तो कब व क्या फैसला किया ? फैसले की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या सरकार ने उक्त रुपया भूस्वामियों को दिये जाने बाबत कोई नियम बनाये ? यदि हां, तो नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें। अगर नियम नहीं बनाये, तो क्यों ?

(४) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने पंडित नेहरू के पंच फैसले के माफिक भूस्वामियों को एक भी पैसा राशि में से नहीं दिया ? यदि नहीं, तो कितनी कितनी राशि किन किन को दी व उतनी राशि देने का क्या आधार था ?

(५) प्रश्न भाग (४) में उल्लिखित जिन व्यक्तियों को एक्स-ग्रेशिया कम्पेसेन्शन दिया गया उसमें प्रत्येक का सम्पूर्ण कम्पेन्सेशन क्लेम कितना कितना स्वीकृत किया गया था ? रेन्टल इन्कम क्या थो व एक्स-ग्रेशिया कम्पनसेशन क्या दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(६) उक्त ऐक्स-ग्रेशिया कम्पेन्सेशन रोकड़ में दिया गया या बोंड्स में ? अगर बोंड्स में दिया गया तो क्या उस पर ब्याज देय है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत व बोंड्स किस तरह से पेएबल हैं ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, जो एवार्ड दिया उसके एक्सट्रैक्ट की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) नियम बनाया जाना सम्भव नहीं था, नेहरू एवार्ड को क्रियान्वित करने के लिये एक कमेटी है।

(४) १५,००,०००) में ४ जागीरदारों का सेटलमेंट में हानि होने के कारण प्रत्येक का २२५०००) किया गया। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर।

(५) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(६) नकद में।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न के भाग (४) में बताया कि ४ जागीरदारों को सेटलमेंट में हानि होने के कारण सवा दो लाख रुपया दिया गया। तो क्या यह रिपोर्ट उस जांच कमेटी की है जो प्रश्न के भाग (३) में बताई है ?

Page No. 12

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि १३ आदमियों की, जिसके जागीर कमिश्नर चैयरमैन हैं, कमेटी बनाई, नेहरू अवार्ड वाला और इस मामले का फैसला करने के लिये। कई मेम्बर साहबान हैं, उनकी सलाह से किया गया।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि जिन चार जागीरदारों को जिस कमेटी की रिकमेन्डेशन्स के आधार पर मुआवजा देने का कहते हैं इस नोटिफिकेशन के तहत में नहीं आता है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्षजी, इस मामले पर कई प्रश्न उठे थे तो मैंने निवेदन किया था कि इसमें विशेष परिस्थितियां हैं। जब सेटलमेंट के सिलसिले में हाईकोर्ट में जागीरदारों ने रिट की और राजस्थान गवर्नमेंट हार गई थी तो सम्वत् २०१३ से रिट करना हाई कोर्ट ने तय कर दिया था....

श्री तेजाराम गहलोत : मेरा प्रश्न साफ है, ४ जागीरदारों को मुआवजा देने का कहते हैं वे इस नोटिसफिकेशन में आते हैं या नहीं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यही अर्ज कर रहा हूं।

हाई कोर्ट में हम हार चुके थे, हम सम्वत् २०१२ में जागीरें ले चुके थे और हाई कोर्ट ने २०१३ से तय कर दिया था इसलिये हमारे सामने संकट था इसलिये वेलिडेट करने का बिल विधान सभा में पेश किया और पास भी कर दिया। उसे पास कर देने के बाद जो कुछ इर्रेगुलेरिटीज़ हाई कोर्ट ने बताई थीं उसको वेलिडेट किया; उसके बाद फिर कान्टेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट के आधार पर और दूसरे आधारों पर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया, फैसला गवर्नमेंट और जागीरदारों के बीच में हुआ। उस फैसले के फलस्वरूप और नेहरू अवार्ड में जो कुछ बात लिखी हुई थी कि अगर उनका २० साल का एवरेज रेंट, जो हमने १।४ दिलाया है, एक्चुअल से १।४ का हो तो उनको कम्पेन्सेट किया जावे। इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह रकम दी गई।

श्री तेजाराम गहलोत : मेरा प्रश्न यह है कि आपने जो कमेटी बनाई थी उसने इन चार जागीरदारों के लिए रिकमन्डेशन की थी क्या? जिस नोटिफिकेशन का आप हवाला देते हैं उसके तहत कमेटी ने ४ जागीरदारों को ग्रांट देने का फैसला किया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यही तो निवेदन किया, इनकी दर्ख्वास्तों की विशेष परिस्थितियों को भी मैंने आपके सामने निवेदन किया।

श्री तेजाराम गहलोत : सरकार ने जो फैसला किया है, for appointment of Committee, "...to expedite implementation of Nehru Award in so for as it relates to Bhomias and Jagirdars whose income is below Rs. 5,000."

जहां तक इन ४ जागीरदारों का सवाल है, जो कि मन्त्री महोदय ने बताया है कि हमने कमेटी की रिकमन्डेशन जो नेहरू अवार्ड

Page No. 13

(श्री तेजाराम गहलोत)

से रकम दी है उन सब के लैंडलॉर्ड ६ हजार या उसके ऊपर हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस नेहरू अवार्ड की आड़ में आप यह दलील देते हैं वह किस हद तक ठीक है । नेहरू अवार्ड में स्पेसीफिकली माना गया है "some legal objections raised by the Sangh may be left to be agitated in existing judicial form" तो मेरा निवेदन यह है कि जिस नेहरू अवार्ड की आड़ लेकर मन्त्री महोदय कहते हैं कि इन चार जागीरदारों को सवा दो लाख रुपए नेहरू अवार्ड से दिए हैं, यह गलत है । नेहरू अवार्ड में उनको रुपए देने का कहीं रिकमन्डेशन नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सबसे पहले मैंने विशेष परिस्थितियों का, जो ८-६ साल पहले हो चुकी हैं, उनका निवेदन किया और १।४ का सैकन्ड रीज़न है, दोनों बातें निवेदन की हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : ४ जागीरदारों के नाम क्या हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : नेहरू अवार्ड को नियमबद्ध न किए जाने का क्या कारण है, कोई नियम नहीं बनाए, क्या लॉ डिपार्टमेंट ने कोई राय दी थी कि नेहरू अवार्ड ऐसा अवार्ड है जिस पर ना तो कोई नियम बन सकते हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, १।४ से अगर उनको कम मिला है तो उनका कम्पेन्सेट किया है । यह एक्स-ग्रेशिया पेमेंट १५ लाख की और दूसरी बातें रूल्स में इन्कोर्पोरेटेड हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जिन चार जागीरदारों ने रिट पिटीशन की उनको दो दो लाख रुपए दिए थे लेकिन जो छोटे शेयरहोल्डर्स हैं उनको हिस्सा न देने का क्या कारण था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सवाल जब कि रकम दी गई, सरकार के सामने नहीं आया । कुछ दिन पहले माननीय सदस्य ने मुझे कहा था, उसके लिए छानबीन की जा सकती है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ४ जागीरदार जिनको सवा दो लाख रुपए दिए गए उनके नाम क्या क्या हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नाम तो कई बार विधान सभा में दिए गए हैं, फिर भी मैं दे देता हूं :—

(१) श्री अमरसिंह—जासोल ।

(२) श्री गुलाबसिंह—सिंदड़ी ।

(३) श्री माधोसिंह—जासोल ।

(४) श्री प्रतापसिंह—गुड़ा ।

श्री तेजाराम गहलोत : नेहरू अवार्ड के अन्दर जो १५ लाख रुपए रखे गए हैं ये केवल इम्प्रूवमेंटस के बारे में रखे गये हैं ..

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इम्प्रूवमेंट वगैरह के लिए ४ लाख रुपए अलग हैं ।

श्री तेजाराम गहलोत : मेरे पास नकल है : "As in the case of improvements, a sum of Rs. 15 lakhs may be set apart by the Rajasthan Government."

तो मेरा निवेदन यह है कि पिछले बजट सेशन में मेरे प्रश्न नं० ८२७ के उत्तर में जो आपने नोट दिया है उसमें लिखा है कि ऐसे जागीरदारों के जिनके कुएं बनवाए थे उनको कम्पेन्सेशन के लिऐ १५ लाख रुपए....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : "A sum of Rs. 4 lakhs would be set apart by the Rajasthan Government for being distributed as compensation for improvements in hard cases. Details regarding the method of distribution etc. will be worked out by the Rajasthan Government in consultation with, inter alia, the Bhooswami Sangh."

यह तो ४ लाख रुपये का है और १५ लाख रुपये का है आइटम नंबर ४ नेहरू अवार्ड जो कि सेटलमेंट में रेंट रेट से हिट हुए हैं, वह लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, शायद आपको मालूम होगा १५ लाख रुपये तो जो सेटलमेंट से अफेक्टेड हैं और ४ लाख रुपये दूसरे कामों के लिए, इम्प्रूवमेंट वगैरह के लिए हैं....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : छोटे जागीरदारों के लिए क्या करेंगे जिनको नहीं मिला है उनके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि हमने इस सिलसिले में एप्लीकेशन्स इन्वाइट की और उस कमेटी के पास एप्लीकेशन्स आई। उस कमेटी ने फिर तीन महीने मियाद बढ़ाई जिसके अन्दर किसी को दर्ख्वास्त देना हो तो वह दे दे तो उस कमेटी के पास बढ़ी हुई मियाद में जो दर्ख्वास्तें आ जाएंगी उन सबको स्क्रूटिनाइज़ करके वह एडवाइज़ करेगी और उसके अनुसार एक्शन लेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या यह सही है कि इन चार जागीरदारों ने कांग्रेस के नाम डेढ़ लाख का चन्दा दिया। खेजड़ला के जागीरदार ने...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो स्वतंत्र पार्टी का एम. एल. ए. है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर मेरी जानकारी गलत है तो रिफ्यूट करिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपकी आशंका निर्मूल है और उन चार में से एक स्वतंत्र पार्टी का भी एम. एल. ए. है।

श्री फतहसिंह (चोहटन) : छोटे जागीरदारों को नहीं मिला। बड़े-बड़े जागीरदारों को मिला है। १५ लाख रुपये गरीब जागीरदारों को लेने के लिए थे न कि बड़ों बड़ों को।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो कहा उस बात में तथ्य है कि नेहरू अवार्ड का मतलब यह था कि छोटे-छोटे जागीरदारों के ऐसे केसेज़ हों जो कि हार्डशिप के

(श्री अध्यक्ष)

हों या जो नियमों में कवर न हों उनको देने के लिए १५ लाख रुपये और ४ लाख की अतिरिक्त रकम की व्यवस्था की गई। अब उसमें से जो मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार की दिक्कतें हैं, वह अपनी दिक्कतें दूर करने के लिए समझौता करें वह दूसरा विषय है लेकिन नेहरू अवार्ड का मतलब यह था कि छोटे-छोटे जागीरदारों को राहत दी जाय, वह बात गौण हो गई और दूसरे केसेज़ आपने इस अवार्ड के अन्दर जो स्ट्रिक्टली कवर नहीं होते वे कर दिए, खैर। लेकिन अब स्थिति यह बन सकती है कि जो व्यवस्था है उसमें ज्यादा से ज्यादा राहत छोटे जागीरदारों को दी जाय तो न्याय संगत होगा।

(विराम)

श्री लक्ष्मीचन्द।

नहरों में आई भूमि का मुआवजा

६६२. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सच है कि कोटा जिला की तहसील मांगरोल के ग्रामों के काश्तकारों के खेत में होकर नहरें निकली हैं?

(२) क्या यह सच है कि इन काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है? और इनसे सरकार अभी तक लगान भी वसूल कर रही है? यदि हां, तो ऐसे कितने काश्तकार हैं?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां।

(२) जी नहीं। कुल ५२०० एकड़ भूमि में से जो नहरों के लिए ली गई है, ३३८० एकड़ भूमि का मुआवजा चुकाया जा चुका है, शेष के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी से एवार्ड आना बाकी है। लगान न लेने के लिए सम्बन्धित तहसीलदारान को विस्तृत सूची के साथ पहले ही लिख दिया गया है अब वह किन किन से लगान ले रहे हैं व किन किन से नहीं; इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द: अध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा गम्भीर है। उनको न ही मुआवजा मिला और न ही उनका लगान वसूल होना बन्द हुआ। अभी तक उनसे लगान वसूल हो रहा है; बैटरमेंट लेवी उनसे वसूल हो रही है, डैडरेन्ट उनसे वसूल हो रहा है। काश्तकार देना नहीं चाहते, उनके साथ सख्ती की जा रही है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से मिला था और उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि लगान उनसे वसूल नहीं होगा और न ही बैटरमेन्ट लेवी लेकिन उनसे अब तक लगान भी वसूल हो रहा है और बैटरमेन्ट लेवी भी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): नहरें किस साल में खोदी गई थीं?

श्री दौलतराम सारण: अलग २ नहरें बनी हैं, उनके बनाने का टाइम तो इस समय मेरे पास नहीं है, आप स्पेसिफिक नहर के बारे में पूछें तो मैं जबाब दे सकूंगा।

Page No. 16

श्री हरिप्रसाद शर्मा : भूमि अवाप्ति के लिए पहले पहल गजट में कब आया किया था ?

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अभी भी लगान लिया जा रहा है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, लिया जा रहा है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जिले टोंक में भी बहुत से ऐसे केसेज़ हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जमीन चली गई, नहरें निकल गई और फिर भी उनको कम्पेन्सेशन देना तो दूर रहा उल्टे उनसे लगान लिया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कई दफा आपके निर्देश होने के बावजूद और मुख्य मंत्री महोदय के आश्वासन देने के बावजूद भी कि उनको कम्पेन्सेशन का पेमेन्ट हो जायगा; न तो उनको कम्पेन्सेशन का पेमेन्ट हुआ है उल्टा उनसे बैटरमेन्ट लेवी और लगान वसूल किया जा रहा है, यह एक बड़ी भारी ज्यादती है उनके साथ।

मुख्य-मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अध्यक्ष महोदय, इस बारे में तहसीलदरों और दूसरों को स्पष्ट आदेश सरकार के द्वारा दिये हुए हैं कि मुआवजा का जल्दी से जल्दी फैसला करें ज्योंही कोई जमीन एक्वायर की जाती है उसका लगान बिना ऊपर के रेफरेन्स के तुरन्त सस्पेन्ड कर दिया जाय और वसूली न करें। जहां यह वसूली की जा रही है इसके सम्बन्ध के तथ्य दे दिये जांय जिससे जो वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आपके आदेश के बावजूद भी तहसीलदार दुबारा लगान वसूल कर रहे हैं तो आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री ने कहा कि आप उनको तथ्य दे दीजिये जिससे जहां यह वसूल की जा रही है और जो वसूली कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। और अब तक क्यों वसूल की ?

श्री रामानन्द अग्रवाल।

राजनैतिक पीड़ित को सहायता

६६३. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सही है कि श्री रघुनाथसिंह पुत्र रुद्रसिंह, जयपुर निवासी ने एक राजनैतिक पीड़ित होने के कारण सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त रघुनाथसिंह को १६४० में ब्यावर में तिरंगा झंडा लहराने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नाश के नारे लगाने के अपराध में ३ महीने की सख्त सजा दी गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त रघुनाथ सिंह के लिये कमाने वाला कोई नहीं है और

(श्री रामनन्द अग्रवाल)

स्वयं तपेदिक का बीमार होने के कारण टी. बी. सेनीटोरियम में भर्ती है ?

(४) क्या सरकार का इरादा उक्त श्री रघुनाथ-सिंह को कोई राजनैतिक सहायता देने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा): (१) श्री रघुनाथ-सिंह ने दिनांक २५.५.६४ को सहायता के लिये प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना-पत्र पर सरकार द्वारा फिर से विचार किया जा रहा है। इससे पूर्व इनका मामला सरकार द्वारा दो बार अस्वीकृत किया जा चुका है।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां। प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले अस्वीकार किया गया था किस कारण से ?

श्री परसराम मदेरणा : रूल्स के अन्तर्गत उनका केस नहीं आ रहा था पोलिटिकल सफरर्स को एड देने के लिए इसलिए रिजेक्ट किया गया। जब हार्ड केसेज़ मुख्य मंत्रीजी के पास आये तो दुबारा गौर किया गया। कलेक्टर के पास से रिपोर्ट आती है और इस प्रकार के केसेज़ यदि छूट गये हों और फैक्ट्स हों तो उनको रीओपन किया जा सकता है। मुख्य मंत्रीजी उस कमेटी के मेम्बर हैं, उनकी इजाजत से किया जा सकता है इसलिए उनके केस को दुबारा रीओपन करके कमेटी के पास रखा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब से हो रहा है ?

मुख्य-मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): नेक्स्ट कमेटी की मीटिंग में कर देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे तपेदिक की हालत में हैं, उनका जिन्दा रहना ही मुश्किल है। अग्रिम तौर पर उनको कुछ सहायता दे दी जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अग्रिम तौर पर दे दी जायं उनको सहायता तो उनके काम आवेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बात पर पूरी तौर से देख कर अगर जरूरत हुई तो इन एन्टीसिपेशन ऑफ डेट सेन्क्शन इश्यू करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

विजिलेन्स कमीशन और भ्रष्टाचार

६६४. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) विभिन्न स्तर पर फैले हुए भ्रष्टाचार को शीघ्र मिटाने के लिये राज्य स्तर पर सिर्फ विजिलेन्स कमीशन की नियुक्ति को क्या राज्य सरकार पर्याप्त समझती है ?

(२) क्या सरकार यह उचित व आवश्यक नहीं समझती है कि प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत एक-एक विजिलेन्स ऑफिसर की नियुक्ति की जाय ?

Page No. 18

(श्री फूलचन्द जैन)

(३) क्या सरकार यह भी उचित व आवश्यक नहीं समझती है कि जिला स्तर पर एक एक विजिलेन्स ऑफिसर की नियुक्ति की जाय ?

(४) क्या सरकार आम जनता में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए सुगम उपायों द्वारा उनकी शिकायतों को सुनवाई की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इनके लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) मौजूदा परिस्थितियों में जबकि भ्रष्टाचार निरोध विभाग राज्य सरकार में पहिले से ही कार्य कर रहा है विजिलेन्स कमीशन की नियुक्ति को सरकार पहिले प्रयास के रूप में पर्याप्त समझती है।

(२) फिलहाल राज्य सरकार के पूरे विभागों में विजिलेन्स ऑफिसर कि नियुक्ति न करके कुछ चुने हुए विभागों में ही ऐसी नियुक्तियां की गई ।

(३) हर जिले में ऐसी नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

(४) जी हां, विजिलेन्स कमीशन व ऑफिसरों की तथा संचालक, पब्लिक ग्रिवान्सेज़ की नियुक्तियां इस दिशा में आवश्यक एवं उचित कदम हैं।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, आपने जैसा बताया कि विजिलेन्स कमीशन के अन्तर्गत जिला स्तर पर और डिपार्टमेन्ट के स्तर पर विजिलेन्स ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी....

मुख्य-मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जी नहीं, एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट्स की तरफ से। विजिलेन्स कमीशन की ओर से डिस्ट्रिक्ट में और डिपार्टमेन्ट्स में विजिलेन्स ऑफिसर्स मुकर्रर करने के बारे में मैंने विजिलेन्स कमीश्नर के साथ विचार किया था और निर्णय लिया था कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में इस प्रकार के अलग अलग मिनिस्ट्री में विजिलेन्स ऑफिसर्स नियुक्त किये हुए हैं उनकी नियुक्ति का क्या लाभ हुआ है और क्या नहीं उन पर विचार किया जाय क्योंकि वहां पर व्यवस्था आम तौर पर यह है कि अगर सेक्रेटरी है किसी मिनिस्ट्री में तो डिप्टी सेक्रेटरी या असिस्टेन्ट सेक्रेटरी विजिलेन्स ऑफिसर के तौर पर उस मिनिस्ट्री में रखा जाता है। सबोर्डिनेट ऑफिसर्स को विजिलेन्स ऑफिसर्स मुकर्रर करने में लाभ है या नहीं, या लाभ अलग सेट अप करना चाहिये यह सब सेट-अप देने के बाद ही निर्णय करना चाहिये तब तक डिस्ट्रिक्ट की कोई शिकायत हो तो वह विजिलेन्स कमीश्नर के पास लाने में कोई रुकावट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर): विजिलेन्स कमीश्नर के पास जितने केसेज़ आते हैं वे सब एन्टीकरप्शन को भेजे जाते हैं, फिर एन्टीकरप्शन वाले गवर्नमेन्ट को भेजते हैं, फिर डिपार्टमेन्ट में जाते हैं, वहां से वापिस एन्टीकरप्शन को आते हैं और फिर विजिलेन्स कमीश्नर के पास। यह प्रोसीजर तो लम्बा है फिर विजिलेन्स कमीशन क्या काम करता है ? वह तो एक पोस्ट ऑफिस वाली बात हो गई, चिट्ठी आयी, दे दी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : विजिलेन्स कमीशन के लिए एन्टीकरप्शन खुद इन्क्वायरी करता है।

श्री भैरोंसिंह : उसका विभाग है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसा है कि प्रोसीक्यूशन की इजाजत देने से पहले जो रूल्स हैं, कॉन्सटीट्यूशन है, जिसके खिलाफ प्रोसीक्यूशन की बात होती है, जिस ऑफिसर का प्रोसीक्यूशन करना हो तो उस विभाग से पर्मीशन लेना आवश्यक होता है। इसलिए पर्मीशन मात्र के लिए वह आता है। आम तौर पर विजिलेन्स कमीश्नर की बात आती है तो रुकावट पैदा नहीं की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : उपयोग क्या हुआ है उसका ? गजटेड ऑफिसर्स के लिए ऐन्टीकरप्शन बोर्ड बना हुआ है। जिसके चेयरमैन आप हैं। आप चाहें तो पर्मीशन दें और न दें जिसमें आवश्यकता नहीं है कमीशन उनको डाइरेक्ट कर लें यह नहीं है ; तो फिर उस विजिलेन्स कमीशन का क्या उपयोग है सिवाय डाइरेक्ट कागज आता है एन्टीकरप्शन को वह उसको भेजा जाय, वह वापिस भेजे, फिर डिपार्टमेन्ट में जाय, सिवाय लेटर बॉक्स के और कोई उपयोग नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट किसी के बारे में यह समझे कि केस नहीं बनता है, विजिलेन्स कमीश्नर कह सकता है कि वह एन्टीकरप्शन की राय से सहमत नहीं है और इन्डिपेन्डेन्टली कोई डिपार्टमेन्ट, मिनिस्टर और सेक्रेटरी अपनी राय देता है, दोनों की बात है, अगर उससे सहमत नहीं होता है तो उस असहमति वाली बात को इस हाउस में पेश किया जायगा। यह सबसे बड़ा अन्तर है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि सरकारी अधिकारियों के अलावा विजिलेन्स कमीश्नर को किसी के मामले में जांच करने का अधिकार नहीं है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के अनुसार ? क्या यह ऑफिसर्स तक ही सीमित है ?

(विराम)

क्या यह सही है कि सिर्फ गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स तक ही और ऑफिसर्स के खिलाफ ही इस विजिलेन्स कमीशन को इन्क्वायरी करने का अधिकार है उनके अलावा किसी मिनिस्टर नोनऑफिशियल आर्गेनाइजेशन और प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के करप्शन के मामले में फिलहाल जो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेन्स हैं उनमें उनकी जांच करने के बारे में कुछ नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक ऑफिसरों का और गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स का सवाल है, स्पष्ट है। नॉन ऑफिशियल्स के बारे में जो इन्टीट्यूशन्स या दूसरे हैं, उनके सम्बन्ध में सारा प्रश्न विचाराधीन है कि उनके बारे में क्या निर्णय किया जावे। पर आवश्यक हो तो स्पेसिफिक इन्क्वयरी उनके सामने भेजी जा सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न बहुत साफ है। अभी तक जो भी विजिलेन्स कमीशन के टर्म्स एण्ड रेफरेन्स हैं और जिनको गजट में

Page No. 20

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

शाया भी किया गया है उनके अनुसार नॉन ऑफीशियल और प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के करप्शन के मामलों में विजिलेन्स कमीशन को जांच करने का या प्रोब करने का अधिकार नहीं है। यह लीगल पोज़ीशन है। क्या यही लीगल प्रोज़ीशन आप मानते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, इस वक्त यही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो इस लीगल पोज़ीशन के रहने के बावजूद आपने क्रय विक्रय संघ की जांच का मामला इस विजिलेन्स कमीशन के सुपुर्द किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो फिर यह किस आधार पर किया है, जब कि आप खुद यह मानते हैं कि लीगली उसको यह अधिकार नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गवर्नमेन्ट ने स्पष्ट तौर पर सुओ मोटो अपनी तरफ से यह मामला सौंपा है। विजिलेन्स कमीशन वैसे अपने हाथ में इसे नहीं ले सकती थी, पर गवर्नमेन्ट भेजती है तो गवर्नमेन्ट की भेजने की अथोरिटी उस गज़ट नोटिफिकेशन से खत्म नहीं हो जाती।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक यह जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि आपने विजिलेन्स कमीशन की टर्म्स और रेफरेन्स तय की, उनको गजट में नोटिफाई किया और यह मामला उस पर्व्यू में आता नहीं, पर इसके बावजूद आपने उसको यह मामला दिया जो उसके पॉवर में लॉ के द्वारा वेस्टेड नहीं है। तो जो मामला पॉवर के बाहर का सुपुर्द किया जाता है और कोई उसकी इन्क्वायरी कर ली और साल भर लगा और फिर कोई रिट में हाई कोर्ट चला गया और रिट में फैसला हो तो यह सारी साल भर की इन्क्वायरी इल्लीगल हो तो क्या इस स्थिति को ध्यान में रखकर इस मामले को इन्क्वायरी के लिये इस कमीशन को देने से पहले सरकार ने अपने लीगल डिपार्टमेन्ट से या एडवोकेट जनरल से आवश्यक कानूनी राय ले ली है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि जो शुबह–शक यहां पर बताया जा रहा है उसके खड़े होने का कोई कारण नहीं है। फिर भी बात उठाई है, तो और लीगल इसको कन्सल्ट कर लिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या गवर्नमेन्ट के पॉवर विजिलेन्स कमीशन में वेस्ट किये जा सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गवर्नमेन्ट के पॉवर वेस्ट करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीभैरोंसिंह : फिर कैसे विजिलेन्स कमीशन इसकी इन्क्वायरी करेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वैसे उनके पास एन्टीकरप्शन विभाग है। उसके थ्र फंक्शन कर सकता है। अपनी जानकारी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करा सकता है सारी और इसके बाद अपनी राज्य सरकार को भेज सकता है कि और कोई कदम जो एन्टीकरप्शन विभाग के अलावा उठाने की आवश्यकता हो तो वह गवर्नमेन्ट को रेफर कर सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : स्पेसिफिकली कौन कौनसे विभाग उनको दिये हैं?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री फूलचन्द जैन : मैं यह पूछना चाहता हूं कि सन्तानम् कमेटी ने बहुत गम्भीरता से सोच विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट में जो यह सुझाव दिया है कि आम लोगों को अधिक से अधिक सहूलियत मिले अपनी कम्प्लेंट को दूर कराने में उसके लिये सुगम उपाय द्वारा कोई व्यवस्था की जानी चाहिये उस दृष्टि से ऐसा कोई उपाय सरकार ने निकाला है क्योंकि जिससे आम लोगों को जल्दी अपनी कम्पलेन्ट दूर कराने के बारे में राहत मिल सके या सही जानकारी मिल सके या इसके लिये जिला स्तर पर कोई व्यवस्था की जा सके।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने यह निवेदन किया कि इसे हम एग्जामिन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कि किस प्रकार से क्या किया जावे और उसका क्या स्वरूप हो; इस पर विचार करके निर्णय लिया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि मन्त्रियों के सम्बन्ध में विजिलेन्स कमीशन जांच नहीं कर सकता है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्माराम आर्य।

सिरोही नगर की सड़कों की मरम्मत

६६५. **श्री धर्माराम आर्य** (सिरोही-सु०): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि एक अर्से दराज़ से सिरोही नगर की सड़कों के पत्थर उखड़ गये हैं और खरंजा बिलकुल टूट गये है जिससे लोगों के आवागमन में दिक्कत होती है?

(२) सरकार कब तक इन सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है?

उप-मंत्री स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) शीघ्र ही व्यवस्था कराई जा रही है।

श्री धर्माराम आर्य : साल भर हो गया, जांच नहीं की गई। सारे शहर की टूटी पड़ी हैं, गाड़ियां नहीं चल सकती हैं, मनुष्य दिन में चलते चलते गिर जाते हैं।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह सड़क टूटने की शिकायत जब आई तो मालूम किया गया पर ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिया गया।

(श्री बरकतुल्ला खां)

उसने रिपेयर इनकी नहीं की। मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि यह ठेकेदार के जिम्मा की नहीं थीं। तो माननीय म्यूनिसिपल चेयरमैन को इसलिये इत्तिला दे दी गई कि जितनी सड़कें टूटी हैं वे आप बना लें और इसका जो भी खर्चा होगा वह वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट से ले लें। इत्तला इसकी उनको देदी गई है। और वाटर वर्क्स की तरफ से वर्बली भी इत्तला कर दी गई है। वाटर वर्क्स इसलिये खुद नहीं कराता है कि उसे वहां जाकर करने में दिक्कत आती है और वहां के चेयरमैन को ज्यादा सहूलियत होगी कराने में।

श्री धर्माराम आर्य : वे चेयरमैन साहब यह कहते हैं कि सड़क ठीक कराना वाटर वर्क्स का कांम है वे कहते हैं हम करें, तो हमारे पास तो पैसा नहीं है, कहां से करावें ?

श्री बरकतुल्ला खां : इसके लिये भी मैंने सुझाव दिया था कि चेयरमैन साहब सारे वर्क को छोटे छोटे भागों में बांट लें और जैसे जैसे काम होता जावे वे उसका बिल बनाकर भेजते जावें। हम बिलों का पेमेन्ट कराते जावेंगे।

जय समन्द की इटाली खेडा शाखा नहर का निर्माण

६६६. **श्री देवीलाल मीणा** (सराड़ा सु०): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील में जयसमन्द की इटाली खेड़ा, शाखा नहर का निर्माण हुए कितने वर्ष हुए हैं ?

(२) एस्टीमेट के अनुसार इस नहर से कितनी भूमि सिंचित होने को थी।

(३) गत रबी में इस नहर से कुल कितनी भूमि सिंचित हुई है ?

(४) यह नहर कुल कितनी लम्बी है ? गत रबी की फसल में कितनी चैन तक पानी पहुंचाया ?

(५) इस नहर का पूर्ण उपयोग नहीं होने का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिदेशराय डांगी) : (१) ६ वर्ष।

(२) २१६३ एकड़।

(३) ६१५ एकड़।

(४) कुल लम्बाई २२५२ जरीब हैं और ६११ चैन तक पानी दिया गया है।

(५) इस नहर की मुख्य नहर ठीक न होने के कारण पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है जिसको सुधारने का प्रयास जारी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : नम्बर चार का जवाब दुबारा पढ़कर सुनाइये। सुनाई नहीं दिया।"

श्री दिनेशराय डांगी : "कुल लम्बाई २२५२ जरीब हैं और ६११ चैन तक पानी दिदा गया है।"

श्री अध्यक्ष : जरीब और चैन में फर्क क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह वे कल पूछ कर आ जावेंगे ।

श्री देवीलाल मीणा : इसके पानी का पूर्ण सहयोग क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : इसलिए कि फर्टीलाइज़र प्लान्ट का और उदयपुर शहर का काम चल रहा है इसलिए यह योजना पूरी नहीं हो पाई है और इसलिए पूरे पानी का भी उपयोग नहीं हो रहा है ।

श्री देवीलाल मीणा : तो क्या इन योजनाओं के पूरा न होने तक पानी काश्तकारों को नहीं दिया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : अभी तो इनमें देर लगेगी तब तक तो पानी दे दीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मन्त्री) : फरटीलाइज़र बाद की चीज है । जयसमन्द में पानी रोकने का कोई प्रश्न नहीं है । जितना भी जिस लेवल से पानी फ्लो कर सकता है उतने का उपयोग इस साल बराबर किया जावेगा और जितना नहरों में आ सकेगा, दिया जावेगा । इससे लगभग दस हजार एकड़ जमीन में काश्त और पिलाई हो सकेगी । बारिश की कमी के कारण पानी इस साल कम ही आया है । पिछले साल १६ हजार एकड़ जितना पानी था । तो यह पूरा का पूरा पानी दे दिया जावेगा ।

श्री देवीलाल मीणा : यह नहर जो है अधूरी पड़ी है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो पूरी कर दी जावेगी । जो नहर बनी है उसको बराबर पूरा किया जावेगा नहर को लोअर रीच में पूरा कर दिया है । अब उसे ऊपर में बड़ा नहीं करेंगे तो पीछे की टेल में पानी नहीं पहुंच पावेगा । तो यह प्रोग्राम इस साल पूरा कर देंगे ।

(१२.०० मध्यान्ह)

बेदखली के आदेश

६६७. **श्री जुझारसिंह** (चेचेट) : Will the Revenue Minister please state :—

(1) Is it a fact that the Revenue Department at Ramganj mandi has issued notices of ejectments on the owners and occupants of houses along the main road in village Kherabad on the ground that the land on which these houses are constructed is a Revenue land on record.

(2) Is it a fact that most of these houses had been constructed during the per-merger period of the former Kota State and that no such distinction of Abadi and Revenue lands was observed at that time by the then administration ?

(3) In how many other villages of Tehsil Ramganj mandi (including the former Tehsil Chechat) have such orders of ejectment been passed and how many families are involved therein ?

(श्री जुझारसिंह)

(4) Is it a fact that the cultivators have not been able to get the benefit aimed to be given to them by the Government as a result of the relaxation of law of conversion of revenue occupied land into Abadi land ? If so, why not and what steps the Governmet propose to take to make these decisions effective in future ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, इस संबंध में १५ व्यक्तियों के बेदखली के नोटिस तहसील द्वारा दिए गए हैं पर अभी उन व्यक्तियों को बेदखल नहीं किया गया है।

(२) यह सहीं नहीं है। ये सारे मामलें भूतपूर्व कोटा राज्य के विलिनीकरण के पश्चात् के हैं।

(३) तहसील द्वारा दूसरे अन्य गांवों में भी नोटिस दिये गए हैं और ऐसे ७५ केसेज़ विचाराधीन हैं, पर इन केसेज़ में अभी बेदखल किसी को भी नहीं किया है।

(४) यह सही नहीं है। शिथिलता इसलिए हैं कि खैराबाद पंचायत को छोड़कर और किसी पंचायत द्वारा भूमि को आबादी में बदलने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। खैराबाद पंचायत का प्रस्ताव भी एस०डी०ओ० के यहां विचाराधीन है पर वह पंचायत भी उसके इम्प्लीमेन्टेशन के संबंध में पूरी दिलचस्पी नहीं ले रही है।

श्री जुझारसिंह : आपने प्रश्न नम्बर २ के जवाब में कहा है कि यह कोटा स्टेट के टाइम के बाद केसेज़ हैं यह तो सही नहीं है क्योंकि यह मकानात कोटा स्टेट के टाइम के बने हुए हैं। दूसरे आपने कहा कि इजेक्टमेन्ट के नोटिसेज़ दिये हैं लेकिन उनको इजेक्ट नहीं किया गया है। इसमें भी इजेक्ट तो नहीं किया गया है लेकिन जुर्माने के तीन-तीन सौ और चार-चार सौ रुपये वसूल हो चुके हैं और वे नोटिसेज़ अभी तक चालू हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि वैसे इस प्रश्न की सूचना मेरे पास फोन के जरिये आई है इसलिये मैं पूरी जानकारी स्वयं नहीं कर पाया हूं, लेकिन जो रेगुलराइजेशन का सर्कुलर है उसके अन्तर्गत या सेक्शन ६१ के तहत नोटिसेज़ का मतलब यह नहीं है कि वह बेदखल किये ही जायेंगे। नोटिसेज़ दिये जाने के बाद यदि वे अपनी तरफ से जवाब देते हैं और उसके ऊपर कोई पैनल्टी वगैरह का सवाल आता हैं तो उसकी अपील की जा सकती है जिससे यह मामला तय किया जा सके। यह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे उस सर्कुलर के निकालने से यह मतलब नहीं था कि पुराने जमाने में और पुरानी रियासतों के जमाने के जो मकान बने हुए हैं उनके ऊपर आज एन्क्रोचमेन्ट मानकर हटा दें। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं और जानकारी करूंगा और आवश्यक कार्यवाही इस संबंध में करूंगा।

श्री जुझारसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिकली मेन्शन किया है कि ये कोटा स्टेट के टाइम के हैं और मकान उस समय के ही बने हुए हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि इस समय जो मुझे जानकारी मिली है उसमें यह है कि कोटा राज्य के बाद के वे मकानात हैं। ये १५ केसेज पहले के नहीं हैं और आप इन्सिस्ट करते हैं कि ये मकानात कोटा राज्य के पहले के हैं; तो मैं दुबारा छानबीन कर लूंगा।

श्री जुझारसिंह : जब आपने पैनल्टी चार्ज कर ली और अब वे अपील में जायेंगे तो जो राहत आप देना चाहते हैं वह नहीं मिलेगी क्योंकि पैनल्टी के बाद उनको हैरेसमेन्ट होगा, वे कोर्ट में जायेंगे और सैकड़ों काश्तकारों को तकलीफ होगी........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो १५ आदमियों का ही प्रश्न है।

श्री जुझार सिंह : यह तो रामगंजमंडी का है और दूसरी जगह के भी केसेज़ हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी दूबारा छानबीन हो सकती है और अगर उनके उपर पैनल्टी हो गई है तो उसके लिए तो अपील की जा सकती है। मैं अभी तो इसको मानता नहीं हूं कि यह कोटा रियासत के वक्त के मकान हैं और मेरा स्टेन्ड यह है कि यह पहले के मकान नहीं हैं और बाद के हैं। अब सवाल है यह कि आप कहते हैं कि पुराने हैं तो क्या किया जाये इसके लिये मैंने निवेदन किया कि मैं इसकी छानबीन कर लूंगा और सरकार का यह इरादा नहीं था कि ४०—५० वर्षों से जिनके पास मकानों का पजेशन है उनको परेशान किया जाये। इस तरह की अगर कोई बात है तो उसकी जानकारी करके आवश्यक कार्यवाही कर लूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी और मंत्री महोदय की भी जानकारी के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने उनसे भी अर्ज किया है कि आपका जो सर्कुलर निकला है इससे एक पर नहीं बल्कि राजस्थान के अन्दर लाखों किसानों के ऊपर यह बर्डन आ गया है और सबको इस तरह के नोटिसेज दिये गये हैं और पैनल्टी इम्पोज़ कर दी गई है क्योंकि जो छोटे जागीरदार थे उनके जमाने में कोई नक्शे वगैरह नहीं थे और लोगों ने मकान बना लिये थे। बाद में पटवारी लोगों ने अपने आप चाहे जैसे उसको कर लिया इसलिए पहले के जो मकान बने हुए हैं ५२,४८ और ४७ के पहले तक के मकानों के नोटिसेज़ हैं और ३७५०० रुपये की बनेड़ा तहसील से पैनल्टी इम्पोज़ की गई है और उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। आप कहते हैं कि उनको बेदखल नहीं किया जा रहा है। मैंने खुद ने तहसीलदार के मुंह से सुना है कि इन मकानों को गिरा दिया जाये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक बात इसमें माननीय सदस्य को जाननी चाहिए कि यह रेगुलराइज़ेशन ऑफ सर्टीफिकेट सबजेक्ट टू सम कन्डीशन्स है और उसमें कन्डीशन यह है कि अगर किसी के पास रेज़ीडेन्शल नहीं है और यह एन्क्रोचमेन्ट से ही या बाड़ा या जो भी उसकी डेफीनेशन में आता है वह बनाया है तो उसकी सीमा बांध ली है। ५० रुपये से नीचे लगान देने वाले को इतना और १०० से नीचे और ५० रुपये से ऊपर देने वाले को इतना और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले को १५० स्क्वायर गज तक को इस सीमा तक जो उस सर्कुलर

Page No. 26

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

की तारीफ में आते हैं उनसे चार्ज नहीं किया जाता है। उससे अधिक जब होता है तो उससे वह चार्ज करते हैं ४ आना या २५ न०पै० प्रति वर्ग गज । तो इस तरह के केसेज़ हो सकते हैं बल्कि हमने सर्कुलर में यह भी लिखा है कि जो जागीरदारों के वक्त में किसी को कोई जमीन दे दी और एग्रीकल्चर लैन्ड मकान बनाने के लिये दे दी और उन्होंने मकान बना डाले तो उसको भी रेगुलराइज़ पर्पज़ के लिए इग्नोर नहीं करना चाहिए । ऐसा भी सरकुलर में लिखा है । इस तरह से ज्यादा से ज्यादा कोशिश इस बात की गई है कि नाजाइज़ कब्जे जिस समय तक रेगुलेराइज़ हो सकते है वे हो जायें । हो सकता है इस प्रकार की दिक्कत आपके यहां स्पेशली आई हो तो वह बताई जाये ।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : पुराने कब्जे में कितने समय तक के मानते हैं ? जो पैनल्टी लगाई जाती हैं वह ५ साल का बनाया उसके ऊपर भी पैनल्टी लगाई जाती है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न अलग है । सारी चीजें लिखी हुई हैं, सरकुलर में ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने कहा है कि रेज़ीडेन्शियल हाउसेज़ के होते हुए जिन्होंने बना लिये हैं उनके ऊपर पैनल्टी लगेगी ।

श्री अध्यक्ष : उस सर्कुलर में कई प्रावधान हैं । सारे सर्कुलर पर बहस नहीं की जाये ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मान लीजिए किसी के ४ लड़के हैं और मकान बना लिया है तो सब के ऊपर पैनल्टी लगाई जायेगी।

श्री अध्यक्ष नेक्स्ट, श्री भीमसेन । स्थगित-प्रश्न ।

स्थगित प्रश्न

(२१-१०-६४)

सेलेलाइट खनिज पदार्थ निकालने की लीज

५०१. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम कं० को लूणकरणसर में सेलेलाइट खनिज पदार्थ को निकालने के लिए लीज़ इस शर्त पर दी हुई है कि उक्त कम्पनी प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री लगाये ? अगर हां, तो यह लीज़ कब दी गई तथा इस शर्त को पूरा कराने के लिए अब तक क्या क्या प्रयास किये गये ?

(२) फैक्ट्री की स्थापना किये बिना ही उक्त खनिज को बाहर भेजने की अनुमति क्यों दी गई है ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) यह लीज़ बीकानेर जिप्सम कम्पनी को १६४८ में दी गई । एग्रीमेन्ट के भाग २ के क्लॉज़ नं १ में बीकानेर जिप्सम कं० द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री लगाना दर्ज

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है कि इसकी क्वालिटी के सम्बन्ध में १९६१ की बात है जब कि इसका एग्ज़ामिनेशन हुआ और एग्ज़ामिनेशन होने के बाद में इस प्रकार का पाया गया कि वह इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इस वजह से १९६१ में एक्सपोर्ट करने की उसको पर्मीशन दी। उसके बाद से खान बन्द पड़ी हुई है इसलिए प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : खान तो चल रही है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि सरकार ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ वर्ष पहले उसके जिम्मे डाला था और एक्सपोर्ट बन्द कर दिया था इसी आधार पर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना लगाने के लिए सारे कदम वह कम्पनी उठा रही है और वह जिप्सम और सेल्युलाइड का संशोधन करके इसका कारखाना लगाने के बारे में सोचते हैं और इसकी सारी कार्यवाही कर रहे है और जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाय तब तक इसको रोक रखने से फायदा नहीं।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि एक दूसरी फर्म है वह इसी सेल्यलाइड से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य तीन दफा इस प्रश्न को पछ चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : तीन दफा पूछ चुके हैं, लेकिन इन्होंने खुद ने ही पाबन्दी लगाई है और सरकार खुद पाबन्दी खोल देती है तो सरकार बताये कि क्यों खोली आपने ?

मुख्य-मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : इसके अन्दर इस तरह-की कोशिश की गई है कि जल्दी से जल्दी वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना चालू हो। उसके बाद में सवाल यह था कि बिल्कुल काम बन्द पड़ा हुआ था और सर्टेन्टी नहीं थी। उसके बीच में प्रयत्न-चालू है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की वहां पर इन्डस्ट्रीज़ लग सकें। उसके बारे में कदम उठाया जा रहा है तो उसका एक्सपोर्ट. खोल कर काम को चालू रखे तो उसमें क्या एतराज है ?

श्री मुरलीधर व्यास : जिस समय रोका था उस समय क्या सरकार को पता नहीं था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना लगाने के लिए उनको बाध्य किया था ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उसके बारे में कोई कार्यवाही आगे नहीं कर रहे थे। उसके बारे में आगे फर्दर इन्वेस्टीगेशन हुआ है और आपने खुद ने कहा है कि वह कर रहे हैं कार्यवाही। इसके बारे में प्रोग्रेस हो रही है। दूसरी चीज यह है कि सीरियसली मैटर चल रहा है तो उसके बीच में प्रोडक्शन नहीं होने देना और उसको बन्द कर देना ठीक नहीं है उसका प्रोडक्शन होने से लोगों को काम मिलता हैं तो प्रोडक्शन रोक दें खास तौर से तब तक कि अगर पोसिबिलिटी हुई तो इन्डस्ट्रीज़ लगाने के बारे में सारे

Page No. 28

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हुआ है । परन्तु यह कम्पनी की इच्छा पर है और जो इसके लिए बाध्य नहीं हैं। इस संबंध में कई बार बीकानेर जिप्सम को लिखा जा चुका है-फर्म ने इस खनिज के नमूने जांच के लिए सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सेरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता को तथा अन्य स्थानों पर भेजा पर उससे ठीक तरह का प्लास्टर जो सर्जीकल काम के लिए प्रयुक्त हो सके नहीं बनाया जा सका क्योंकि खनिज के साथ चिकनी मिट्टी इस प्रकार लगी हुई है कि उसे दूर करना सम्भव नहीं है।

(२) यह सेलेनाइट प्लास्टर ऑफ पैरिस बनाने में उपयुक्त न होने के कारण उक्त कम्पनी को इसे बाहर भेजने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि इसी पदार्थ से बीकानेर शहर में एक प्लास्टर ऑफ पैरिस की फैक्ट्री चल रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भीमसेन : सरकार का यह कहना कि प्लास्टर ऑफ पैरिस के लायक नहीं है, यह गलत बात है। बीकानेर शहर में इसी पदार्थ से प्लास्टर ऑफ पैरिस की फैक्ट्री चल रही है। मेरा निवेदन यह है कि जो सरकार की सूचना है कि प्लास्टर ऑफ पैरिस के लायक नहीं है यह गलत है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसी क्वालिटी के आधार पर फैक्ट्री चल रही हो; इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। आप कह रहे हैं तो इसकी जानकारी कर ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, गत समय में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह फर्माया था कि प्लास्टर ऑफ पैरिस का कारखाना लगा रहे हैं और वहां से एक्सपोर्ट करना इसलिये बन्द कर दिया था क्योंकि वहां से कच्चा माल बाहर चला जाता है और मैनेजमेंट को बाध्य किया है कि वहां पर प्लास्टर ऑफ पैरिस का कारखाना लगाया जाय। उसकी मशीनरी लगने वाली थी और मशीनरी वहां पर मौजूद है जिप्सम लिमिटेड अन्तर्गत और इसके लिये पहले भी लिखा है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि यह सब कुछ होने के बावजूद मैनेजमेंट से मिलकर इन्होंने क्या बात-चीत की, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मशीनरी आ गई थी और सरकार ने बाध्य किया है और लीज़ एग्रीमेन्ट में यह बात थी कि इसमें इस प्रकार का कारखाना करना पड़ेगा और उस आधार पर सब कुछ हो चुका था और आश्वासन भी दिया जा चुका है और आज यह जवाब दिया जाता है कि वहां पर लग नहीं सकता प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें।

Page No. 29

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कदम उठाये जा रहे हैं। हमारे रिप्रेजेन्टेटिव्ज जो कि बोर्ड में हैं वे भी बराबर इस बात पर जोर दे रहे हैं।

श्री भीमसेन : बीकानेर शहर में इसी खनिज से प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना दूसरा आदमी चला रहा है तो कम्पनी क्यों नहीं चला सकती है ?

श्री अध्यक्ष : यह चौथी दफा पूछा है आपने।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मेरे ख्याल से वह इन्फीरियर टाइप का है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिऐ कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

उदयमंदिर करबला, जोधपुर

६८४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Local Self Government Minister be pleased to state :—

(1) Is it a fact that Udaimandir Karbala at Jodhpur was closed by Adminisitrator, Jodhpur and the same order was upheld by Minister for Local Bodies, Rajasthan, Jaipur on 30-6-51.

(2) Is it a fact that no dead bodies are buried in the said Karbala since its closure ?

(3) Is it a fact that a civil suit and writ petition by Ahmed Shah regarding re-opening and setting aside Minister's order regarding Udaimandir Karbala were respectively dismissed by Munsif. Jodhpur City on 31-5-51, and High Court Rajasthan on 14-4-52?

(4) Is it a fact that on an analogy that cooling a Tazia is bringing the dead, Tazia cooling was stopped by Administrator, Jodhpur, and same order remained in force two consecuttive years ?

(5) Is it a fact that Rajasthan Government re-opened the matter of cooling of Tazia in Udaimandir Karbala without giving notice to party affected and interested and whether the order in question was legal ?

(6) Is it a fact that Faquir of the Karbala exercised ownership right over the property ? If so, is every Karbala a private property of Muslims ?

(7) Is every Karbala a wakf property and is Udaimandir Karbala claimed as wakf property ?

(8) Would continuous use of Udaimandir-karbala for cooling Tazia not deprive the Government of its ownership and entail consequent loss of

Page No. 30

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

lakhs and giving undue favour to one community?

उत्तर

1. The Udai Mandir Karbala was closed by the Administrator.

2. Yes.

3. Shri Ahmad Shah's suit was dismissed by the Munsif Jodhpur on 31. 5. 51. and the suit was dismissed by the High Court on 14.4.52.

4. Yes.

5. The Government re-opened the matter. As for the legality of the Government's order, it is being examined.

6. This is being examined.

7. This is being examined.

8. This is being examined.

सरकारी बंगलों को खाली न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही

२८६. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या अप्रेल या मार्च, ६४ में राज्य सरकार ने ऐसे कोई आदेश जारी किये थे कि जिन जिन सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के जयपुर में स्वयं के मकान हैं, वे सरकारी बंगलों को पन्द्रह दिनों में खाली कर दें व इसका कब्जा राज्य सरकार को सुपुर्द कर दें ? यदि हां, तो आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ?

(२) क्या उक्त आदेश के बाद आज तक किसी भी सरकारी अधिकारी ने कोई सरकारी बंगला उक्त आदेश के फलस्वरूप खाली किया है ?

(३) क्या राज्य सरकार ने उक्त आदेशों के सरकारी अधिकारियों द्वारा पालन न किये जाने पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध की है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस निर्णय पर आ चुकी है कि किसी भी सरकारी अधिकारी के कोई बंगला या मकान जयपुर में नहीं है ?

(४) क्या राज्य सरकार अपने आदेशों को अगले पन्द्रह दिनों में पूरा करवाने का आश्वासन देने को तैयार है ?

उत्तर

(१) जी हां । आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं । इस प्रकार के निर्णय का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(४) आश्वासन की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । इस बारे में नियमों का पालन कराने में सरकार तत्पर और सचेष्ट है। नियम के उल्लंघन का कोई उदाहरण सामने आने पर उचित कार्यवाही की जावेगी ।

(सूची, विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 31

जिला झुंझुनूं में बाजरे की फसल को कीड़ा लगने से नुकसान

६८७. श्री शीशराम ओला (खेतड़ी): क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि झुंझुनूं जिले में पिछले कई वर्षों से बाजरे की फसल को रूंखड़ी नामक कीटाणु बरबाद कर देता है ? यदि हां, तो सरकार के द्वारा आज तक क्या क्या उपाय इस कीटाणु को खत्म करने के हेतु किये गये हैं ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

हां। रूंखड़ी नामक एक परजिवी Parasitic plant बाजरे की फसल को अवश्य हानि पहुँचाता है। इस परजीवी की रोकथाम के लिए तथा उसका अधिक विस्तार रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किसानों को प्रयोग हेतु बताये गये हैं ; जो एक एकड़ जमीन के हिसाब से हैं :—

(१) बाजरे की फसल बोने के ४ से ५ सप्ताह बाद २–४ डी सोडियम सॉल्ट ८० प्रतिशत नाम की दवा २ पौंड १०० गैलन पानी में मिलाकर बाजरे की जड़ों की तरफ छिड़काव करें ।

(२) उसी खेत में दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के करीब १ माह बाद करने के निर्देश दिये गये हैं । दूसरे छिड़काव में १। पौंड २–४ डी सोडियम सॉल्ट दवा १०० गैलन पानी में मिलाई जाय ।

(३) यह ३ पौंड सोडियम सॉल्ट दवा २२ पौंड लकड़ी की राख में मिलाकर घुलन करें ।

(४) रूंखड़ी के पौधे जो छिड़काव के बाद भी बच गये हों उनको फूल आने के पहले प्रति वर्ष उखाड़ कर नष्ट कर दे जिससे रूंखड़ी के बीज नहीं बनने पावें और इन पौधों का प्रसार नहीं हो सके ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पुलिस सलाहकार समितियों का निर्माण

१५७. श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में किन किन जिलों में पुलिस सलाहकार समितियों का निर्माण किया गया ?

(२) जिन जिलों में इस प्रकार की समितियों का निर्माण नहीं किया गया है; वहां पर कब तक कर दिया जाएगा ? अब तक नहीं किये जाने के क्या कारण है ?

उत्तर

(१) केवल ६ में ।

१. जयपुर २, जोधपुर ३, अजमेर ४, उदयपुर ५, कोटा और बीकानेर ६ ।

(२) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जिले के अधीक्षकों से इस बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है ।

चम्बल प्रोजेक्ट, जिला कोटा की नहरों में आई भूमि का मुआवजा

१५८. कुं० श्री महेंद्रसिंह (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चम्बल प्रोजेक्ट जिला कोटा की नहरों से कितनी कितनी भूमि किस किस तहसील व ग्राम में किस किस माइनर, डिस्ट्रीब्यूटरी, सब-ब्रांच व मेन कैनाल के निकलने से खराब हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) आज तक कितनी माइनर, डिस्ट्रीब्यूटरी, सब-ब्रांच व मेन कैनाल में आई भूमि का मुआवजा सरकार द्वारा किसानों को दिया गया ?

(३) अब तक कितनी धनराशि किस तहसील के किस किस ग्राम में कितने कितने किसानों को देना बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) चम्बल प्रोजेक्ट, जिला कोटा की नहरें बनने में तहसील ग्राम व नहरावर जो भूमि काम में आई है वह १४५६० एकड़ है जिसकी सूची संलग्न है।

(२) ७,०४० एकड़ भूमि का सरकार द्वारा १६६२७६०) रुपयों का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है।

(३) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

गिरवा क्षेत्र में नहरों से सिंचाई

१५६. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गिरवा तहसील उदयपुर के फतहसागर लेक और उदयसागर लेक से नहरों द्वारा खेती की जमीन की सिंचाई की जाती है ? यदि हां, तो किन किन गांवों में सिंचाई की जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सत्य है कि कई गांवों में बहुत सी उपजाऊ भूमि नहरों से पानी निकलने के कारण खेती के अयोग्य हो गई है और ऊसर बनती जा रही है जिसके कारण सरकार और किसानों को कई मन अनाज और फसलों का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो औसतन कितना नुकसान सीपेज के कारण हो रहा है ?

(३) क्या यह भी सही है कि अगर ये नहरें पक्की बना दी जावें तो कई एकड़ भूमि खेती के काम आ जावेगी ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जावेगा ?

(४) क्या यह भी सही है कि गाव सविना गिरवा तहसील उदयपुर में उदयपुर के प्रधानजी के लिए गोवर्धन विलाय के तालाब से स्पेशल नहर लाई गई और नहर आगे कहीं भी नहीं आती ?

(श्री जोधसिंह चौहान)

(५) क्या यह भी सत्य है कि भाग (४) में उल्लिखित नहर से गांव में मठ के पास एक छोटा सा पानी का तालाब है उसको भरा रखा जा सकता है जिससे गर्मी में वहां के मवेशियों को पानी पी सकने की सुविधा हो सकती है, फिर भी वह नहर वहां तक नहीं लाई गई जिसका कोई फासला भी नहीं है? क्या इसके लिए गांव वालों की भी प्रार्थना है?

उत्तर

(१) जी हां। गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। ऐसी स्थिति नहीं है।

(३) जी हां। अधिकांश कार्य पक्का कर दिया गया है शेष को शीघ्र पक्का करने की कार्यवाही की जा रही है।

(५) जी नहीं।

(६) जी हां, परन्तु जोगियां का तालाब ऊंचाई पर होने के कारण नहर का पानी उसमें नहीं डाला जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

लसाड़िया तहसील का शक्कर का कोटा

१६०. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर जिले की अन्य तहसीलों में शक्कर का जो कोटा दिया जाता है उसके मुकाबले में लसाड़िया तहसील के लिए कितनी बोरियों का कोटा है?

(२) प्रत्येक तहसील में कितनी कितनी जन-संख्या है और क्या उसके अनुसार लसाड़िया तहसील को दी जाने वाली शक्कर पर्याप्त है?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। मांग को देखते हुए लसाड़िया तहसील का कोटा पर्याप्त है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

जयपुर जिले में भू-संरक्षण योजना

१६१. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर जिले में भू-संरक्षण योजना का कार्य कब से हो रहा है?

(२) आज तक भू-संरक्षण योजना के लक्ष्य व उनकी पूर्ति के आंकड़ों की एक सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) इस कार्य के लिए अब तक कितना रुपया स्वीकृत किया गया? क्या यह सारा रुपया उपयोग में लाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(४) पिछले एक साल में भू-संरक्षण अधिकारी जयपुर ने भू-संरक्षण कार्य के लिए कब २ कितने दिन दौरा किया तथा कितने दिन रात्रि विश्राम किया तथा उन्होंने प्रति माह कितने स्थानों का निरीक्षण किया ?

(५) क्या भू-संरक्षण कार्य के लिए सरकारी भूमि संरक्षक को दौरा करना आवश्यक है ? यदि हां, तो प्रति माह कितने दौरे करना आवश्यक है ?

(६) राज्य में भू संरक्षण के कार्य में कितने अधिकारी काम करते हैं ? उन्होंने एक साल में कितने दौरे किये ? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) सन् १६५७-५८ से।

(२) सूची (अ) संलग्न है।

(३) अभी तक कुल रुपया ८०५२५) स्वीकृत किया गया और ५१४३३.७५ पैसे खर्च किये गये। कम खर्च लेने का मूल कारण यह था कि भू-संरक्षण कार्य बिल्कुल नया होने के कारण शुरू में काश्तकार धीरे धीरे तैयार हुए।

(४) कुल १२६ दिन का दौरा व ७३ दिन रात्रि विश्राम किया।

(५) जी हां। प्रतिमास कितना दौरा करे, ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। एक साल में ११० दिन व ८० रात्रि विश्राम करना आवश्यक है।

(६) भू-संरक्षण कार्य में ११ अधिकारी कार्य कर रहे हैं। सूचना निरीक्षण सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है। माननीय सदस्य यदि किसी विशेष कर्मचारी के बारे में जानकारी चाहते है तो वह दी जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लसाड़िया एवं वल्लभनगर तहसीलों में सड़कों का निर्माण तथा सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

१६२. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की लसाड़िया, वल्लभनगर तहसीलों में सड़कों का निर्माण हुआ है और उक्त निर्माण में खातेदारी की व्यक्तिगत जमीनें आई है ?

(२) क्या अब तक इन लोगों से ऐसी जमीनों का लगान वसूल हो रहा है ? यदि हां, तो ऐसी वसूली कब तक बन्द होगी ?

(३) क्या उक्त ऐसी रकमें जो कई वर्षों से वसूल हो रही हैं भूमि के मालिकों को वापस की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) ऐसी वसूली बन्द कर दी गई है।

(श्री राजस्व मन्त्री)

(३) आज्ञाओं के विपरीत यदि वसूली हुई है तो 'एडजस्ट' या 'रिफन्ड' कर दी जावेगी।

कारछा कलां, तहसील खेरवाड़ा में अग्नि-कांड से पीड़ित परिवारों को सहायता

श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कारछा-कलां, तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर में धन्नाजी व वद्धा पि० नाथा पटेल के घर माह जनवरी-फरवरी, १६६४ में जल गये और उनके कई पशु तथा घर का सारा सामान जल गया?

(२) क्या सरकार इन लोगों के मकानात बनाने के लिए जंगलात विभाग से मुफ्त कबाड़ा दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(३) क्या सरकार उक्त दोनों परिवारों को शीघ्रातिशीघ्र उनके जीवन-यापन के लिए अन्य सहायता के अतिरिक्त उनकी खेती के लिये बैल देने का विचार भी रखती है?

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक ७-२-६४ को रात्रि के समय आग लग जाने से लगभग ६०० रुपये के सामान की तथा १६०० रुपये की मवेशियों के मरने के कारण हानि हुई।

(२) नियमों में ऐसा प्रावधान न होने के कारण ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है।

(३) जीवन-यापन के लिए सहायता देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। बैलों की खरीद के लिए तकावी ऋण प्राप्त करने हेतु प्रार्थी नियमानुसार फॉर्म भर कर दे तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावेगा।

(१२.१६ म० प०)

केन्द्रीय उद्योग एवं पूर्ति मंत्री, श्री एच० सी० दासप्पा, के देहावसान पर श्रद्धान्जली

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का हार्दिक दुःख है कि आज सुबह अचानक ही समाचार मिला कि केन्द्रीय मन्त्री, श्री दासप्पा का हृदय की गति रुक जाने की वजह से अचानक देहावसान हो गया। कल नेशनल डेवलपमेंट कौन्सिल की मीटिंग में वे दोपहर के डेढ़ बजे तक हम लोगों के बीच में मौजूद ही थे। हम कभी भी इस प्रकार का ख्याल करके नहीं चल सकते थे, लेकिन आज यह ऐसा दुख पहुंचाने वाला समाचार हमको सुबह ही प्राप्त हुआ।

श्री दासप्पा ने देश की एक लम्बे अर्से तक अलग अलग केपेसिटीज में काफी सेवाएं की हैं। सन् १६२२ से ही उन्होंने देश की आजादी के बारे में दिलचस्पी लेना और काम करना शुरू किया और सन् १६३७ से उनकी जो काफी अच्छी वकालत चलती थी उस वकालत को छोड़ कर सक्रिय रूप से मैसूर स्टेट के अन्दर वे कांग्रेस के काम काज के अन्दर आ गये, उसके बाद वे मैसूर में सन् १६४७ से लगाकर सन् १६५२ तक फाइनेन्स और इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर के तौर पर रहे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और उन्होंने वहां पर काफी काम किया। उसके बाद पार्लियामेन्ट के अन्दर ऐस्टीमेट्स कमेटी में और कांग्रेस पार्टी के डिप्टी लीडर के तौर पर विविध स्थितियों के अन्दर उन्होंने पार्लियामेंटरी कार्यवाही के अन्दर भी ज्यादा से ज्यादा देश को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। इस समय वे भारत सरकार के उद्योग मन्त्री थे और देश के औद्योगीकरण के बारे में काफी काम-काज में लगे हुए थे। देश को उनके देहावसान से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति संभव नहीं हो सकती। मैं अपनी तरफ से और इस सदन की तरफ से उनकी आत्मा को शान्ति मिले, उसके लिये परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार को संवेदना संदेश भेजी जाय, उसके लिए निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो जाय उसके बाद एक मिनट के लिए यह सदन दिवंगत आत्मा के प्रति खड़े होकर, अपनी श्रद्धांजली अर्पित करे।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ने, सदन के नेता ने श्री दासप्पा के अकस्मात् निधन के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। श्री दासप्पा ने स्वतन्त्रता-संग्राम में बहुत बड़े कार्य किये। वकालत से हटे ही नहीं लेकिन उनको हटाया भी गया लेकिन विशेष तौर से जो उल्लेखनीय बात है वह यह है कि वे मैसूर राज्य में स्वतन्त्रता से पहले वे पश्चात् भी वहां के जो भी विधायी संस्थान थे उनमें हिस्सा लेते रहे। राज्यसभा के सदस्य रहे। उसक पश्चात् लोक सभा के सदस्य रहे, एस्टीमेट्स कमेटी के चैयरमैन रहे और सब तरह से विधायी कार्यों में बहुत निपुण हुए। उनका योग राज्य-स्तर और देश-स्तर के विधायी कार्यों को गति देने में सुचारु रूप से चलाने में बहुत बड़ा रहा है।

मैं सदन के नेता ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनमें स्वयं को सम्मिलित करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(सदन एक मिनिट तक दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए मौन खड़ा रहा)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र।

(१२.२० म. प.)

राजस्थान विद्युत् मंडल के लेखे १९५९-६० तथा उन पर अंकेक्षा प्रतिदवेन

(सदन की मेज पर रखना)

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, १९४८ की धारा ६९ (५) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत् मंडल के लेखे, १९५९-६० तथा उन पर अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ।

याचिका का उपस्थापन

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सं०) : अध्यक्ष महोदय, मैं नोकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिए१ २।। प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाने संबंधी एक याचिका याचिका देनेवालों के हस्ताक्षर सहित, उपस्थित करता हूं।

जनलेखा समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री हरिदेव जोशी (सभापति, जनलेखा समिति) : सभापति महोदय, मैं जनलेखा समिति के चौथे प्रतिवेदन (प्रथम तथा द्वितीय खंड) का उपस्थापन करता हूँ जो निम्न लिखित लेखे व अंकेक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित हैं :

(१) विनियोग लेखे १९६१-६२

(२) वित्त लेखे, १९६१- ६२

(३) अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६३

(१२. २० : म० प०

अविश्वास प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : मन्त्रि-मंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर विचार।

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मंत्री मंडल के विरुद्ध जो कल अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह बात बड़ी विचित्र सी लगती है कि भीलवाड़ा उप-चुनाव में और हनुमानगढ़ उप-चुनाव में कांग्रेस के जीतने के पश्चात् जिनको एक प्रकार का पब्लिक वर्डिक्ट मिला हैं, इस सरकार के विरुद्ध तत्काल ही अविश्वास का प्रस्ताव क्यों पेश किया गया। माननीय सदस्यों को यह जानकारी होगी कि भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ के उप-चुनाव केवल कांग्रेस पार्टी जीतकर आती तो सही रूप में पब्लिक का वर्डिक्ट उनको मिला है इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता, लेकिन जिन्होंने चुनाव देखा है वे इस बात को भली भांति जानते हैं कि यह चुनाव कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ा गया, यह चुनाव राजस्थान सरकार से लड़ा गया था। सरकार की मशीनरी पूरा मन्त्रि-मंडल, सरकार के रिसोर्सेजइन सबके आधार पर चुनाव जीत सके इसको पब्लिक वर्डिक्ट कहा जाय, मैं समझता हूं यह लोक तंत्र का एक प्रकार से उपहास होगा। अकेले हनुमानगढ़ उप-चुनाव में फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग ऑर्डर की धारा ६ हटाई गई। प्रोडयूर्स के द्वारा जो अपना प्रोडयूस का डिक्लेरेशन देने का कानून था उसको हटाया गया। बसेज को जो नेशनेलाइजेशन होने वाला था उसके नोटिफिकेशन को वापिस लिया गया, सरकारी अधिकारियों का सहयोग लिया गया। ये इस बात के पर्याप्त कारण हैं जिनके लिये आसानी से यह कहा जा सकता है कि इन चुनावों में हमारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से थी या हमारी लड़ाई सरकार से थी और यह स्वाभाविक है कि विरोधी दल चाहे संयुक्त रूप से लड़ें, चाहे अलग लड़े वे कांग्रेस पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं लेकिन चुनाव की जिस प्रकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार वे सरकार का मुकाबला नहीं कर सकते और यही कारण है कि इन दो उप-चुनावों में कांग्रेस पार्टी विजयी हुई और विरोधी दल को परास्त होना पड़ा।

आज इस स्थिति को देख कर हम यदि राजस्थान की स्थिति को देखें तो ऐसा लगता है कि हमारी राज्य सरकार अब तक उनके कहने के अनुसार जो आगे बढ़ती जा रही है वह अब रिवर्स चलने लगी है और मैं ऐसा

(श्री भैरोंसिंह)

अनुभव करता हूं कि सरकार को इस स्टेज पर नहीं रोका गया तो सरकार स्वयं समझती होगी इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इस सारे का बरडन आम जनता पर कितना पड़ेगा इस स्थिति को जब देखते हैं तो हम अपने कॉंस्टीट्यूशनल राइट के अनुसार सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रख कर सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिये कुछ कहा जाय और न मानते हों तो उनको हटाया जाय, इस संबंध में प्रयास करना पड़ेगा। कोई यह समझे कि अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देने का मौका लेने के लिये यह रखा गया है तो मैं समझता हूं यह केवल भ्रमात्मक दलील है। हम भाषण जब से विधान सभा में आये हैं तब से देते आये हैं, देंगे और देते रहेंगे। हमें जो अधिकार मिला है उसके जरिये हम अपना कार्य करते रहेंगे। लेकिन जब कल मैंने इस विधान सभा में बहस सुनी तो मुझे इस बात का दुःख हुआ कि सरकारी पक्ष के ऊपर जो आरोप लगाये जायं उन आरोपों का जवाब सरकार नहीं दे और प्रत्यारोप लगाने को चेष्टा करे। मैं किसी माननीय सदस्य के बोलने के अधिकार पर कुठाराघात नहीं करना चाहता, उन पर बंदिश लगाई जाय इस बात की मांग नहीं करता लेकिन अविश्वास प्रस्ताव एक प्रकार से सरकार का प्रोसीक्यूशन है। आप किसी भी कोर्ट में चले जाइये, कोई चोरी करने वाले व्यक्ति में और प्रोसीक्यूटर में इस बात का झगड़ा नहीं आयेगा कि चोर प्रोसीक्यूटर पर आरोप लगावे और खुद पर जो आरोप लगाया गया है उससे बचने की कोशिश करे। लेकिन मुझे खेद है कि सरकारी पक्ष की ओर से आरोपों का उत्तर देना तो दूर–किनार रहा उनको अवोइड किस प्रकार किया जाय और अवोइड करने का सबसे अच्छा तरीका यह निकाला कि विरोधियों पर प्रत्यारोप लगाये जायं। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस शासन में विरोधी पक्ष में बैठने वाले व्यक्ति कानून की अवहेलना करते हैं, विरोधी दल के व्यक्ति बेईमानी करते हैं, डाके डालते है या विरोधी पक्ष के व्यक्ति भ्रष्टाचार करते हैं तो हमारी स्वयं की तो जिम्मेदारी है लेकिन सबसे अधिक जिम्मेदारी सरकार की है। जिस सरकार के हाथ में कानून है, जिस सरकार के हाथ में सता है, जिस सरकार के हाथ में शासन है वह शासन क्या इतना निकम्मा हो जाय कि हम लोग यदि करप्शन करते है हम लोग यदि डाके डालते हैं, हम लोग यदि भ्रष्टाचार करते हैं, हम लोग यदि कानून की अवहेलना करते हैं तो हमको सजा न दी जाय? हममें से किसी व्यक्ति ने जाकर सरकार से नहीं कहा कि मैंने अमुक प्रकार के कानून की अवहेलना की है, अमुक डाका डाला है, मुझे क्षमा किया जाय, अमुक भ्रष्टाचार किया है, मुझे क्षमा किया जाय। कोई भी विरोधी दल का सदस्य ऐसा नहीं होगा जिसने याचना की हो कि हमारी गलतियों के लिये क्षमा किया जाय लेकिन फिर भी यदि अविश्वास के प्रस्ताव में विरोधी पक्ष द्वारा जो बात कही जाय उसको छिपाने के लिये आप इस प्रकार की स्थिति पैदा करें तो मैं समझता हूं यह सदन के लिये शोभा की बात नहीं है। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहता हूं कि बोलने को तो वे भी बोल सकते हैं तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। यदि व्यक्तिगत आरोपों की बात करते हैं तो यह आपके लिये भारी होगा। यदि नीतियों के आधार पर गलत साबित कर सकें तो करें

(श्री भैरोसिंह)

लेकिन यदि आप ओछाई पर आवें तो मैं नहीं चाहता कि हम उनका मुकाबला करें, न करना चाहिये और न करेंगे। कांग्रेस प्रत्यारोपों की भावना लेकर चलती है तो यह हथियरों ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं, यह हथियार भोंटा होगा और इसी विधान सभा में इसे भोंटा किया जायगा। हमने आज तक सरकार पर कई बार आरोप लगाये हैं, मैं १२ वर्ष के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि उनकी लिस्ट बना लीजिये, स्टेटमेंट तैयार किया जाय कि विरोधी दल ने जितने आरोप आज तक लगाये हैं, सरकार ने उनमें से कितने परसेन्ट आरोपों का उत्तर दिया है ? हमेशा उनको अवोइड करते हैं और इसमें मुख्य मंत्रीजी माहिर हैं और वे अवोइड भी पार्लियामेन्टरी ढंग से करते हैं। इस विधान सभा में, इसमें एक्सपर्ट हैं तो राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं बाकी सब उनके पीछे हैं नीचे हैं। ऐसे प्रश्न पर अविश्वास का प्रस्ताव हम रखते हैं यह भी कारण है इस राजस्थान सरकार के विरुद्ध जिस समय हमने पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव रखा था उसके बाद श्री नन्दवानाजी ने त्याग पत्र दिया। उसके बाद श्री चन्दनमल वैद ने त्याग पत्र दिया-- यह कह कर दिया कि उनकी यूटीलिटी नहीं है, उनकी एनर्जी वेस्ट होती है। उसके बाद श्री आचार्य ने एक महीने की छुट्टी ली। महाराजा हरिश्चन्द्र ने कामराज योजना में जाने की इच्छा व्यक्त की। श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने स्वास्थ्य के कारण से मंत्रिमण्डल से निकलने की कोशिश की। नाथू राम जी और बाकी के तीन डिप्टी मिनिस्टर्स आपमें अविश्वास करके त्याग-पत्र दे चुके हैं; हमारा ही अविश्वास नहीं है आपके अन्दर, मंत्री महोदयों का भी अविश्वास है। हमने वह अविश्वास प्रस्ताव सामूहिक रूप से रखा है। आपक (श्री मथुरादास माथुर) तो अविश्वास नहीं है मुख्य मंत्री में, लेकिन मुख्य मंत्रीजी का तो आपमें अविश्वास है। इसी का नतीजा निकाला, जब आप आबू में भाषण दे रहे थे तो मुख्य मंत्रीजी ने इन्तजाम किया और होम डिपार्टमेंट आपके हाथ से चला गया। आपमें उनका अविश्वास है। तो सारा मंत्रिमण्डल अविश्वास की भावना में झूल रहा है। अगर आप यह कहें कि हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है। मुख्य मंत्री जी ने हमको स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड की है, जिसके कारण प्लानिंग में, प्राडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल में, इर्रीगेशन पोटेंशियल में--इन सबके अन्दर इतनी वृद्धि हुई है, जिसकी कोई इन्तहा नहीं है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह स्टेबल गवर्नमेंट राजस्थान के हित में नहीं है। यह स्टेबल गवर्नमेंट पब्लिक पर्सन्स को स्टेब करने लगी है, पब्लिसे और पब्लिक मोरेल को स्टेब करने में लगी। स्टेबिलिटी केवल स्टेब करने के लिए एक वैपन रह गई है। इसके जरिये धीरे धीरे असंतोष होता जा रहा है। वह कहां होता है, इसका जिक्र मैं करना चाहूंगा।

आज, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो सुखी हो। किसान को देखें, व्यापारी को देखें तो किसान और व्यापारी दुःखी हैं, उपभोक्ता दुःखी और उत्पादन कर्त्ता दुःखी, सरकारी कर्मचारी और मजदूर दुःखी और राजस्थान के मंत्रिमण्डल, के लोग दुःखी। आज के दिन वह दुःखी है, पोर्टफोलियो की [illegible] उनको खा रही है

Page No. 40

(श्री भैरोंसिंह)

किसका पत्ता कटेगा और किसको कौनसा डिपार्टमेंट मिलेगा, इसके कारण मंत्री महोदय के साथ बंधे हुए एम० एल० ए० दुःखी हैं, जनता दुःखी है। इस दुःख के वातावरण में विरोधी दल उनकी भावना को व्यक्त करने के लिए राजस्थान विधान सभा में अविश्वास का प्रस्ताव रखता है तो उन्हें इस बात की शाबाशी करनी चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। बनिस्बत इसके कि समर्थन करें हमारा विरोध करने के लिए खड़े हो गये हैं। मैं कहना चाहता हूं इस सारी स्थिति में हमें विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान के अन्दर भीषण समस्यायें हैं– मंहगाई की भीषण समस्या है और अनाज की भीषण समस्या है। इन समस्याओं के समाधान के लिए आपने आज तक क्या व्यवस्था की है, मैं इस व्यवस्था को समझ रहा हूं। पिछली बार कल राजा और महाराजा के राज्य को लेकर और जागीरदारों की बात को लेकर कांग्रेस के सदस्यों ने चर्चा की। मैं कुछ भूल में था कि कहीं अविश्वास के प्रस्ताव को कांग्रेस मित्र ऐसा तो नहीं समझ पाये हैं कि यह प्रस्ताव पास हो गया तो जागीरदारी सिस्टम वापिस आ जायगा, राजा महाराजाओं का राज्य वापिस आ जायगा और जुल्म और ज्यादतियां वैसी हो जायंगी, एकाधिकार फिर उसी प्रकार से स्थापित हो जायगा। जैसे जागीर रिज़म्शन और प्रिवी पर्स कानून को खत्म करने के लिए बिल इन्ट्रोड्यूज़ किया हो, उस पर चर्चा हो रही हो। जागीरदारी खत्म हुई और राजा महाराजाओं के राज्य खत्म हुए, वे आज वापिस आने वाले नहीं है। जिन्होंने ऐसा समझा है तो वह गलत है। जो हो गया वह हो गया। अविश्वास का प्रस्ताव आज की परिस्थिति में है। आज से बीस, तीस वर्ष पहले क्या शासन था, उस पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है। अविश्वास का प्रस्ताव है उस पर १९६३–६४ में राजस्थान सरकार के क्या क्या कारनामे थे, उन्हें जनता बरदाश्त कर सकती है या नहीं। अगर नहीं कर सकती है तो इस सरकार को रखना वाजिब है या नहीं। इस प्रश्न को लेकर यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है। आज जागीरदारों की और राजा–महाराजाओं की बात कहते हैं कि किसने पकड़ा और किसने मारा। ये जन्म-पत्रियां यहां खोली जायंगी तो जन्म पत्रियां तो सबकी खोली जा सकती हैं। एक दूसरे की, सबकी, जन्मपत्री एक दूसरा रख सकता हैं और अगर नहीं है तो नये ज्योतिषी क्रियेट करके एक दूसरी जन्मपत्रियों का निर्माण किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, १९५१-१२ से राजस्थान की फूड स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। १९५१-५२ में हमारे पास लार्ज स्टॉक्स थे। १९५२-५३ में ३० हजार टन का स्टॉक था। हमारी परम्परा थी, जिस वक्त स्टेट्स का इन्टीग्रेशन हुआ उस वक्त फूड प्रोब्लम सोल्व करने के लिए स्टॉक्स मेन्टेन किये जाते थे। जब इन्टीग्रेशन हुआ, उसके बाद हमने लगातार स्टॉक्स मेन्टेन किये, १९५२-५३ में ३० हजार टन। अब १९६३-६४ में क्या हालत है? हमारे पास एक नया तोला भर स्टॉक नहीं है।

(व्यवधान)

(श्री भैरोंसिंह)

नया तोला नहीं है। १६५२-५३ में माननीय वित्त मन्त्री, उस समय जो थे नाथूरामजी मिर्धा, ने सदन में भाषण दिया था, उसमें कहा था कि मंहगाई के कारण राज्य सरकार को घाटा होने वाला है, उसकी पूर्ति के लिए २५ हजार का बजट में घाटा हुआ है। एक साल महंगाई रोकने के लिए २५ हजार का घाटा भोगा सकते थे। आज सरकार घाटा भोगने के स्थान के ऊपर महंगाई के नाम पर फायदा उठाने की चेष्टा करती है। उस महंगाई के नाम पर सरकार आज के दिन घाटे को ऐक फायदे के अन्दर एक व्यापारी के काम के रूप में परिणत करना चाहती है। वह सरकार कहती है कि हम फूड प्रोब्लम सोल्व करने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक आंकड़े बताये, बाकी की सब स्टेट्स के मुकाबले में राजस्थान में इम्पोर्टेड व्हीट का हमको ज्यादा कोटा मिला है। मेरे पास आंकड़े हैं, महाराष्ट्र में सितम्बर में ३५ हजार टन में से ३३ हजार टन मिला, बम्बई में १५ हजार टन में से १० हजार टन मिला, बिहार के अन्दर ८० हजार टन का कोटा था उसमें से ४५ हजार टन मिला, जो अलॉटेड कोटा था, यू० पी० को १.५ लाख टन में से ५४ हजार टन मिला और राजस्थान को ५२ हजार टन कोटा निर्धारित है उसमें से १८ हजार टन मिला। हम कहते हैं कि जो योग्यता है, जो जिम्मेदारी है, जो इस राजस्थान सरकार की है इसे इस सरकार को महसूस करनी चाहिए। जब यह अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करती है तो मजबूर होकर हमें इस प्रकार का प्रस्ताव अविश्वास का रखना पड़ता है।

आपने चने का एक्सपोर्ट बन्द कर दिया। यू० पी० और पंजाब ने दो महीने के पहले बन्द कर दिया था। लेकिन राजस्थान सरकार अब करती है, जब बीज खरीदने वाले बीज खरीद कर चले गये, किसानों का शोषण हो गया, बीज की कमी आ गई, तो बीज पूरा नहीं कर सके, इसलिए चने का एक्पोर्ट बन्द कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि दो महीने पहले क्या किसी ने इन्जेक्शन लगा रखा था कि चने का एक्सपोर्ट बन्द मत करो। आपको ख्याल में रखना चाहिए था, एक तरफ यू० पी० एक्सपोर्ट बन्द करता है, दूसरी ओर पंजाब एक्सपोर्ट बन्द करता है, तो राजस्थान के चने के ऊपर ऑल इण्डिया बेसिस पर कितना प्रेशर होने वाला है। यहां चना रहेगा या नहीं। अगर नहीं रहेगा तो हमारे किसानों के सामने बीज की समस्या पैदा होगी। उस समय आपने ध्यान नहीं दिया और नोटिफिकेशन निकालने में रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं गिनती कर पाया हूं, राजस्थान सरकार ने अब तक ११५ नोटिफिकेशन निकाले और ११५ नोटिफिकेशन के अन्दर अमेंडमेंट हो गये। एक भी ऐसा नहीं बचा, जिसके अन्दर राजस्थान सरकार ने अमेंडमेंट नहीं किया हो। कानून बना और पन्द्रह दिन के अन्दर अमेंडमेंट कर दिया; नोटिफिकेशन निकाला और २० दिन के अन्दर अमेंडमेंट कर दिया, कानून बनाया कि रजिस्टर बनाये हिसाब ऐसा रखने को, और दस पन्द्रह दिन में अमेंड कर दिया। मैं नोटिफिकेशन कलेक्ट कर पाया हूं, उनमें सौ परसेन्ट में अमेंडमेंट कर दिया है। यह अपने आप में बोलता है कि राजस्थान सरकार की कोई फूड पॉलिसी नहीं है। इस फूड पॉलिसी को डील करने के लिए

(श्री भैरोंसिंह)

कोई जिम्मेदारी से काम नहीं करता । क्योंकि आपके मित्रों के काम में कमी हो जाय । जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, उनको सरकार धौंस देगी, तुम कहां पर जाते हो । जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जो होर्डर्स हैं और प्रॉफिटियर्स हैं उनको धौंस देते हैं और जब सरकार से पूछते हैं कि आपने क्या एक्शन लिया तो सरकार कहती है मुकदमे बनाये । कितने लोगों के खिलाफ बनाये ? कल बताया था, चार सौ, पांच सौ....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : नहीं, आज बताया है, सिर्फ ५६ ।

श्री भैरोंसिंह : ५६ नहीं होंगे, ११६ तो कोटा के हैं । चालान ५६ का हुआ, तो सजा कितनों को हुई ? एक को नहीं हुई । अब आप मुकाबला करना चाहते हैं किनसे, जिनकी कल आलोचनायें कर रहे थे ! मैं टी. टी. कृष्णामाचारी की एक स्पीच, जो जयपुर की असेम्बली में दिया था इस सारे मामले को लेकर, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति लेकर सदन को सुनाना चाहूंगा :

"It has been said that essential articles are being smuggled out of Sikar. We sent a military party to prevent this smuggling......If you permit us, we shall open fire on such parties of smugglers."

यह उस समय की स्टेट थी जिसकी आप आलोचना करते हैं । उस समय सरकार ने जो स्मगलर्स थे उनका मुकाबला किया और उनको स्मग्लिगं करने से रोका । स्मग्लर्स के साथ किसी प्रकार की रियायत सरकार ने नहीं बरती । मगर आज की सरकार यह कहती है कि हम स्मगलर्स और होर्डर्स के साथ नहीं हैं तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि यह स्मग्लिंग फिर कैसे होता है ? क्या आज तक आपने किसी को सजा दी है ? सरकार जिस समय स्मग्लर्स का अकाउन्ट पेश करती है तो कहती है कि सब लोग छूट गये । मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने किसी को गिरफ्तार किया और अगर आपने किसी को सजा नहीं दी और माल बराबर बाहर निकलता जाता है और निकल गया है और सरकार किसी को भी दोषी नहीं ठहराये तो इससे स्पष्टतः ऐसा लगता है कि सरकार ब्लेक मार्केटियर्स और प्रोफीटियर्स और स्मग्लर्स के साथ और उनसे सांठ-गांठ करके अनाज को बाहर निकलने देने में भयंकर कॉन्स्पीरेसी की है और जिसके जरिये सरकार आज जनता पर शासन करना चाहती है । अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधि मंत्रीजी ने इसी सदन में इस बात पर पिछले अधिवेशन में चर्चा के दौरान में कहा था कि विरोधीदल की व्यापारियों से सांठ–गांठ है और वे लोग व्यापारियों से मिले हुए हैं । मुझे एक बात याद है, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जहां भी स्टोक है, ब्लेक मनी है उसको सरकार जानती है । हमारी सरकार और जनता जानती है कि राजस्थान में ब्लेक मनी है । हो सकता है । समाजमें ब्लेक मार्केटिंग भी है । यह सभी जानते हैं और मैं तो सरकार से इस संबन्ध में यह निवेदन करूंगा कि इन तीनों को बांध कर ब्लेक सी में उठा कर डाल दें तो इससे मुझे कोई दुःख नहीं होगा और मैं यह भी आपसे कह देना चाहता हूं कि आप

(श्री भैरोंसिंह)

उसको ब्लेक सी में बांध कर इन तीनों को डाल देंगे तो कोई भी जनता का नागरिक आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। मगर जब वे ब्लेक शीपें वाइट सी में पड़ेंगी तो सफेद और ब्लेक मिल कर एक अजीब प्रकार का रंग लाएंगी और यह एक प्रकार से कॉक टेल पार्टी हो जायगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि चोर-बाजारियों के साथ, मुनाफाखोरों और स्मग्लिंग करने वाले समाज विरोधी तत्वों को आप खत्म नहीं कर सकते हैं तो उनके साथ रियायतें क्यों बरती जाती हैं? आप किसी को भी पकड़ नहीं सकते हैं, किसी को सजा नहीं दे सकते हैं, मगर आप इल्जाम सब पर लगा सकते हैं।

अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन के संबन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां १३३ मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैं। उनका मैंने बैलेंस जानने के लिये सरकार से एक प्रश्न पूछा था कि उनका क्या बैलेंस है। क्योंकि आपकी अधिकांश समितियें घाटे में चल रही हैं इसलिये मैं उनका बैलेन्स जानना चाहता था। मुझे इस बात का अफसोस है कि उनके पास प्रोपर अकाउन्ट नहीं है कि उन्होंने कितना किसको वितरण किया। आप उसी एजेन्सी के मार्फत डिस्ट्रिब्यूशन कराने जा रहे हैं।

मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पनपें और सही रूप से अपना काम करें। मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग के खिलाफ हूं। मैं इस बात का पूरी तरह से हामी हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अच्छी तरह चलें। मगर मैं यह देखता हूं कि मौजूदा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन्होंने इस संस्था की पवित्रता और पवित्र स्लोगन को बदनाम कर दिया है और आज ये सोसाइटीज़ कन्ट्रोल कोमोडीटीज़ लेने वाली सोसाइटीज़ रह गई हैं। आज ये एक कर्ज लेने वाली सोसाइटीज़ रह गई हैं। इस पर भी हमारी सरकार यह कहती है कि हमने इनके द्वारा खाद्य की सुव्यवस्था कर दी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार जो अपने आपको समाजवादी सरकार कहती है और हर समय समाजवाद का नारा देती है वह वास्तव में गरीबों की भलाई नहीं करती है। समाजवाद में गरीब लोगों को लाभ होना चाहिए और उनको ऊंचा उठाना चाहिये। ठीक है समाजवाद आया वह गुड़ में आया। आप देखिए हमारे यहां पर समाजवाद जिसको आप कहते हैं, चीजों के क्या भाव हैं! गुड और चीनी का एक भाव, चने और गेहूं का एक भाव, दूध और दही के भाव बराबर, जंगल में जाएं तो घोड़े और गधे का एक भाव। अगर आप विधान सभा के बाहर जा कर भावों को देखें तो आपको मालूम होगा कि सभी चीजों के क्या भाव हैं। आपको यहां से बाहर जाते ही सभी चीजों के भावों का पता चलेगा। मैं यह आपको बता देना चाहता हूं कि आज तक के राजस्थान के इतिहास में चने के भाव गेहूं के ऊपर नहीं बढ़े, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने चने और गेहूं का भाव एक कर दिया। उन्होंने दूध और दही का भाव एक कर दिया और गेहूं और कोर्स ग्रेन का भाव बराबर कर दिया। ठीक है लेकिन अब तो लोग आपको यही कहते हैं कि मन्त्री और

(श्री भैरोंसिंह)

मूर्ख बराबर हो गये। अगर आप इसी को समाजवाद कहते हैं तो इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और यह कह देना चाहता हूँ कि अगर यही आपका तरीका नीचे के तबके को ऊपर उठाने का भावों में तेजी से बढ़ती से समझते हैं तो हमें कोई मतलब नहीं, मगर मैं यह कह देना चाहता हूं कि आपके लिये वक्त दूर नहीं है और उसको कोई व्यक्ति बचा नहीं सकता।

अब तीसरी बात--आती है फेमिन का सामना करने के लिए आपने क्या किया। फेमिन तो पड़ते ही रहते हैं उनके लिए हमारी सरकार ने क्या किया? मैं आपको जयपुर स्टेट के समय की मिसाल देता हूं कि उस समय पहले पहल एक करोड़ रुपये का फेमिन इन्श्योरेन्स फन्ड क्रियेट किया। उसमें हमारा किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होगा उसकी भी व्यवस्था की थी। उसके बाद में उसमें और भी राशि जोड़ी गई। मगर जिस समय राजस्थान की सभी स्टेटों का एकीकरण हुआ तो वह धन-राशि राजस्थान सरकार को संभला दी गई। आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि हमने इस सरकार को ६० लाख की सिक्योरिटीज़ दीं जो, फेमिन के लिए ईयर मार्कड थी। ६० लाख का हमने आपको फन्ड दिया इन्वेस्टमेंट के रूप में। अब राजस्थान सरकार कहती है कि हमें कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपने क्या फेमिन इन्वेस्टमेंट पर एक भी पैसा खर्च किया है? अगर आपने किया हो तो आप बता दीजिए। जो पहले काम स्टेटों में फेमिन के लिए होते थे और जो उसके लिए रुपया रखा जाता था वह काम भी आप नहीं कर पाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सन् ५२-५३ में यह सारा पैसा खर्च कर दिया और उसके बाद आप एक पैसा भी इस फन्ड में जमा नहीं कर पाये और उसी का यह परिणाम है कि यह भीषण समस्या आपके सामने पैदा हो गई।

अब जनता की पर केपिटा इन्कम के बारे में मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अब तीसरी पंच वर्षीय योजना समाप्त होने वाली है और चौथी पंच वर्षीय योजना की तैयारी शुरू करने वाले है। आंज हम ६०-६१ की हमारी और ऑल इण्डिया पर केपिट इन्कम देखें तो आपको मालूम होगा कि उस समय हमारी ३१५ थी और ऑल इन्डिया की ३३५ थी। हमने यह २० कोसो अन्तर हमारे और ऑल इन्डिया पर केपिटा के बीच में था उसको पूरा करने का निश्चय किया। तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त में भारत के प्रति व्यक्ति की आय जो ३८५ होनेवाली है उसके मुकाबिले में हमारी आमदनी उस टारगेट तक बढ़ गई या नहीं इसको हमें देखना है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि यहां पर आपने जो आंकड़े प्रोडक्शन के आधार पर बताये उसमें यहां की आमदनी सन् ६१-६२ में ३४२ थी और ६३-६४ में वह घट कर ३२२ हो गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा टार्गेट तो आगे बढ़ने का था और जो गेप २० का था उसको पूरा करने का था लेकिन हमारे यहां

(श्री भैरोंसिंह)

पर गेयर उल्टा चला और हमारे यहां वह ३४२ से घट कर ३२२ हो गई। हमारी राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में रिवर्स गेयर में चल रही है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसको रोकने के लिए रिवर्स गेयर में न चलें, हमें कोई न कोई जैक लगाना पड़ेगा।

राजस्थान में पर केपिटा इन्कम को जानने के लिए १० जिलों में इकोनोमिक सर्वे किया गया उस सर्वे के आधार पर मैं कुछ आंकड़े देकर आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पर केपिटा इन्कम आज कितनी है। आप देखेंगे बूंदी में सवा छः आना, पाली में ४ आना, जयपुर में और जोधपुर में ४। आने, डूंगरपुर में ३॥ आने पर केपिटा इन्कम है। इस तरह से १० जिलों की है बाकी जिलों की सर्वे हुई नहीं। इनकी टोटल पोपुलेशन एक करोड़ है। उस हिसाब से उनकी आमदनी पर केपिटा ३॥ आने आती है; अब जैसा आपने बताया कि आपकी आमदनी जो पहले ३४२ थी उससे घट कर अब ३२२ हो गई है उस हिसाब से अब एक करोड़ जनता की आय २ आना प्रति दिन से ज्यादा नहीं है। यानी राजस्थान की आधी जन–संख्या की आय २ आने रोज से भी कम है, इससे ज्यादा सरकार के लिए शर्म की क्या बात हो सकती है?

(व्यवधान)

आज राजस्थान सरकार किसानों को जा कर देखे। अभी अभी भारत सरकार ने एक रिसर्च चलाया है, उस रिसर्च के अनुसार ६४ फी सदी लोग कर्ज से दबे हुए हैं। उन ६४ फी सदी लोगों में मेजोरिटी उन पर्सन्स की है जो नोन प्राडक्टिव कामों के लिए कर्ज लेते हैं। आज उस रिसर्च ने सिद्ध किया है कि ८० प्रतिशत कर्ज मनी लैंडर्स देते हैं, सरकार उसकी व्यवस्था नहीं कर पाई है, तो आप किस स्टेज पर आखिर राजस्थान को छोड़ना चाहते हैं, कहां ले जाकर राजस्थान को छोड़ना चाहते हैं? क्या आपने इस पर विचार किया है? कभी विचार नहीं किया।

राजस्थान के एम्प्लोयमेंन्ट का क्या हाल है? जिस वक्त फाइव ईयर प्लान को हाथ में लिया उस वक्त ज़ीरो पोइंन्ट ७ लेक्स मानते थे जिस वक्त दूसरी योजना को शुरू किया १.३ लाख आधार माना हालांकि सिक्स्टीन्थ ऑफ नेशनल सेम्पल सर्वे ने कहा कि १.३ लाख नहीं है, १.६४ लेक्स एक्च्युअल पोजिशन है। इस पंचवर्षीय योजना में एडीशनल एम्प्लोयमेन्ट और एम्प्लोयमेन्ट ६.४८ लाख था अब ११.१२ लाख हो गया है। कितनों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में एम्प्लोयमेन्ट दिया है इस योजना में हमारा ८ लाख लोगों को एम्प्लोयमेन्ट देने का लक्ष्य था वह संख्या ६ लाख पर ही पहुंच पाई है। ११.१२ लाख का अन एम्प्लोयमेन्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने आई, राजस्थान सरकार उनमें से ६ लाख बेकारों को काम दे सकेगी बाकी के ५ लाख किसको रोवेंगे, किसके घर जाकर बैठेंगे, किस मन्त्री से आश्वासन लेंगे, किसको खायेंगे? यह राजस्थान की निकम्मी सरकार के विचार करने की बात है। ५ लाख बेकार हैं, भूखे हैं, आज आवश्यकता इस बात की है कि एक भी आदमी भूखो नहीं मरे, एक व्यक्ति भी बेकार न रहे, एक व्यक्ति भी भूखा नहीं रहे। राजस्थान के कृषि मन्त्री कहते है कि हम राजस्थान में किसी को भूखा नही रहने देंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ५ लाख लोग जिनके पास काम नहीं है, कैसे पेट भरेंगे? क्या कभी इस पर विचार

(श्री भैरोंसिंह)

किया है कि इनकी रोटी, इनकी रोजी और रोजगार की क्या व्यवस्था हो ? पर आपने विचार नहीं किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में, आज मैं कह नहीं सकता, पर चौथी पंचवर्षीय योजना में भीषण संकट राजस्थान की जनता के सामने और राजस्थान की हुकूमत के सामने आने वाला है। राजस्थान सरकार यह तो कहती है कि १ करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट से १३३० आदमियों को एम्प्लोयमेन्ट दे सकती है। यदि सारा बैकलाग इस एडीशनल पोटेन्शियल को जोड़ा जाय तो राजस्थान की तीसरी पंचवर्षीय योजना जब तक १२३० करोड़ की नहीं होती तब तक लोगों की बेकारी नहीं मिट सकती। १२३० करोड़ की योजना कैसे बन सकती है, उसका हिसाब बता देना चाहता हूं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो खत्म होने वाली है, राजस्थान की सरकार ने इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए रिसोर्सेज़ जुटाने का प्लान बनाया है, वे रिसोर्सेज़ राजस्थान के होते हैं ११० करोड़ के और राजस्थान सरकार को बैंक्स, लाइफ इन्श्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारत सरकार और जागीरदारों के कम्पेन्सेशन के जो भुगतान करने हैं, इन भुगतानों में चला जायगा १०० करोड़ रुपया, बाकी बचा १० करोड़ रुपया। सुखाड़िया साहब, आप दिल्ली जा सकते हैं, आपने दिल्ली जाने की योजना बनाई है, राजस्थान को छोड़ना चाहते हैं पर जिस राजस्थान का ६१ करोड़ रुपये का बजट है २ करोड़ की जनसंख्या के लिए, उस राजस्थान, के मुख्य मंत्री राजस्थान को वसीयत के रूप में १० करोड़ रुपया देना चाहते हैं। २७६ करोड़ की चौथी पंचवर्षीय योजना बनेगी, आप नोन टैक्स रेवेन्यू से आमदनी नहीं बढ़ा सके, आप इसमें बिल्कुल फेल रहे, नोन टैक्स रेवेन्यू राजस्थान की घटती जा रही है और टैक्स रेवेन्यू राजस्थान की बढ़ती जा रही है उसमें इन्डाइरेक्ट टैक्स अन्तिम सीमा को पार कर चुका है, उस हालत में २७६ करोड़ की योजना और राजस्थान सरकार के पास १० करोड़ रुपया, भारत सरकार से ६० करोड़ रुपया मांग लिया, तो यह मिल कर १०० करोड़ रुपया हो जाता है, १० करोड़ रुपया और कहां से आयेगा ?

अविश्वास के प्रस्ताव पर हमें गालियां देते हैं, अब चौथी पंचवर्षीय योजना का फाइनल नक्शा बना कर इस हाउस में पेश करेंगे उस वक्त इसी सदन के माननीय सदस्य सरकार का गला पकड़ेंगे, सदन के माननीय सदस्य खड़े होकर सरकार को कोसेंगे, इसीलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों को पहले ही कह देना चाहता हूं कि यह ७६ करोड़ रुपया बैलेंस रहता है उसके लिए सरकार को जनता पर टैक्सेज़ लगाने पड़ेंगे और व्यवस्था करनी पड़ेगी और व्यवस्था तो हमने देख ली सरकार ने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से १२ करोड़ रुपया कर लेंगे, उसमें सरकार पूरी तरह फेल रही, स्माल सेविंग्स से घाटा हुआ; बेटरमेंट लेवी से बेचने से आमदनी हो सकती थी, वह नहीं हुई। आप कहते हैं कि हम रिसोर्सेज़ जुटा लेंगे, पर ये आपके रिसोर्सेज़ हैं ? ये रिसोर्सेज़ तो आपके आंकड़ों के अनुसार हैं, वास्तविक आंकड़े तो जिस दिन चौथी पंचवर्षीय योजना का नक्शा बना कर पेश करेंगे उस वक्त पता चलेगा।

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान की पर केपिटा इन्कम आप नहीं बढ़ा सके, अनएम्प्लोयमेंट की समस्या को हल नहीं कर सके, राजस्थान की फूड प्रोब्लम को सोल्व नहीं कर सके, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सके और फिर कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, हमारे चरण प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, ऑपोज़ीशन हमारे बढ़ते हुए चरणों को रोकना चाहता है, प्रगति में बाधा डालता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऑपोज़िशन ने कहां आपके चरणों में जंजीर डाल दी है ? यह मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछता हूं, मंत्रिमन्डल से पूछता हूं। राजस्थान के किसी गांव के सरपंच के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट पेश हो जाय तो हमारे डाइरेक्टर पंचायत विभाग, राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य, राजनैतिक नेता, राजस्थान के मंत्री उस ऑडिट रिपोर्ट को ले कर राजस्थान के उस छोटे से गांव से ले कर सेक्रेटेरियेट तक डंका बजायेंगे, पर आप १९६४ की ऑडिट रिपोर्ट को देखे, वह अकेली आडिट रिपोट पर्याप्त है राजस्थान के मंत्रीमन्डल को बर्खास्त करने के लिये। उसमें जितने घोटाले, मिसएप्रोप्रियेशन और मिस्यूज आप गवर्नमेंट मनी के केसेज किसी ग्राम पंचायत की तुलना में देखें तो आप अपने आपको बचा नहीं पायेंगे किसी सूरत में। पर आपके खिलाफ चार्जज़ आ जाय तो आप कहेंगे कि पब्लिक अकौंउन्ट्स कमेटी को भेज दिया, वह जांच करेगी। पर पलब्कि अकौंउन्ट्स कमेटी की सिफारिशों को भी तो यह सरकार नहीं मानती, इसके चेयरमैन जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट हैं उन्होंने कितनी बार सिफारिशें की हैं, पर माना किसने है ? मैं कहता और नहीं मानते तो समझ में भी आ सकता था पर आपकी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के चैअरमैन हैं, उन्होंने कितनी बार इन घोटालो के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार को कहा पर एक भी एक्शन आपने नहीं लिया। उस रिपोर्ट में ६२ से ६४ तक के ५४० गबन के मामले हैं जिनमें २६ लाख रुपया इन्वोल्व्ड है। सारे डिफाल्केशन, मिसएप्रोप्रियेशन, मिसयूज़ के मामले मैंने जोड़े। सुखाड़ियाजी के राज्य में ११ वर्षों में ११ करोड़ रुपयों का दुरुपयोग हुआ है और वह बढता ही जा रहा है। आप कहेंगे कि हम रोकना चाहते हैं पुलिस के द्वारा पर पुलिस विभाग के अन्दर खुद में १८४ हजार का मिसएप्रोप्रियेशन है, वह पुलिस क्या रोक करेगी ? जो खुद घर का रुपया खा जाय वह दूसरों की क्या व्यवस्था करेगा ? पर हमारी सरकार का कोई ध्यान इस ओर नहीं है। जो रुपया बकाया है उसकी वसूली की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

पैसेन्जर्स, गुड्स टैक्स किसी के बाप का नहीं है, हमने कानून बनाया और उसके द्वारा सरकार को अधिकार, दिया लेकिन लाखों रुपया लोग दबाये बैठे हैं, उनसे सरकार वसूल नहीं कर सकी, केवल बहाना लेती है कि हाई कोर्ट से रिट ले ली। क्यों नहीं रिट से पहले वसूली की ? माइन्स की रॉयल्टी का कितना रुपया बाकी है, क्यों नहीं वसूल करते ?

(१.०० म. प.)

राजस्थान का मंत्रिमन्डल जबसे बना, जबसे पापुलर मिनिस्टरियां बनी, उस समय से लेकर अब तक मोटर गैराज की बकाया राजस्थान मंत्रीयों के अन्दर ४४ हजार रुपये है जो मंत्री अपनी बकाया नहीं दे सकते वह सेट हीराभाई।

(श्री भैरोंसिंह)

से माइनिंग लीज़ और रायल्टी का पैसा वसूल नहीं कर सकते, वे गुलाम अब्बास से वसूली नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल क्या हिम्मत कर सकता है कि लोगों से इस प्रकार से पैसा वसूल किया जाय ?

दूसरा पोइंट उसी नो-कॉन्फीडेंस मोशन के अन्दर करप्शन का है। यह करप्शन कितना फैला हुआ है, इसके कहने की आवश्यकता नहीं है। जयपुर स्टेट के टाइम पर केवल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंटस को पावर्स थे करप्शन रोकने के। राजस्थान बना, करप्शन बढ़ा, एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट कायम हुआ फिर करप्शन बढ़ा, एन्टी करप्शन बोर्ड कायम किया फिर करप्शन बढ़ा फिर विजीलेंस कमीशन नियुक्त किया इससे काम नहीं चला तो सदाचार समितियों का निर्माण किया, इससे काम नहीं चला तो नंदाजी ने साधुओं से कहा कि तुम भी इस काम को देखो। साधु अलग कोशिश कर रहे हैं, सदाचार समिति अलग कोशिश कर रही हैं, विजीलेन्स कमीशन अलग कोशिश कर रहा है, एन्टीकरप्शन बोर्ड अलग कोशिश कर रहा है, एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट अलग और डिपार्टमेंटस को जो पावर्स हैं वह अलग चल रही हैं और करप्शन तो दिन दूना और रात चौगुनी, घग्घर की तरह बाढ़ की तरह बढ़ता जा रहा। वह नहीं रुकता है क्योंकि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट को अधिकार है सबको पकड़ने का लेकिन पकड़ता है पटवारी को, क्लर्क को, छोटे-मोटे अधिकारी को और जब वे अपना बैलेन्स शीट बताते हैं तो कहते हैं देखिए जितने केसेज पकड़े गए उनमें से ९९ परसेंट में सफलता मिली। मैंने जानकारी की तो मालूम हुआ वहां ७०० कम्प्लेंटस रजिस्टर ही हुई जिनमें वे सफलता अनुभव करते हैं, बाकी फाइल हो जाती हैं। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट कहता है कि ९० परसेंट में सफलता मिली।

उस डिपार्टमेंट का एक नक्शा मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं मैं समझता हूं कि वह मास्टरपीस है इस सेन्स में कि राज्य सरकार ने एक सी. पी. के खिलाफ एन्टीकरप्शन का केस रजिस्टर किया मिस्टर चड्डा का उसकी एफ. आई. आर मैंने देखी। उस एफ. आई. आर. को माननीय सदस्यों को दिखाने के लिए मैं सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं यदि अध्यक्ष महोदय इजाजत दें। उस चार्जशीट में लिखा है :

"श्यामसुन्दर भोपालसिंह की पोस्टिंग के लिए इतने रुपये और......."

इस तरह से कर कराकर करीब २१ पुलिस इन्सपेक्टर्स और हैड कॉन्सटेबल्स से रिश्वत माहवारी लेते थे इनकी पोस्टिंग की इस प्रकार से आरोप लगाकर एफ० आई० आर० चड्डा के खिलाफ रजिस्टर की गई है और इन्वेस्टीगेशन की जाती है। मैं मुख्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जिन पुलिस अधिकारियों ने रिश्वत खाई, जिन पुलिस अधिकारियों ने रिश्वत दी, जिन मामलों के अन्दर गरीबों का शोषण करके पुलिस अधिकारियों ने पैसा खाया उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है ? एक मुल्जिम को मारने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री २१ अधिकारियों को वरदान देते हैं। जिसने

(श्री भैरोंसिंह)

रिश्वत खाई उसको सजा मिलनी चाहिए लेकिन जिन २१ ऑफिसर्स ने एडमिट किया कि हमने इस चड्डा को इतने रुपये दिए, उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया ? अब उनकी इन्क्वायरी किससे करवा रहे हैं ? के. एल. सेनी और तलवार से ? सेनी वह हैं जो पाकिस्तान से यहां का पासपोर्ट लेकर आए, उस पर वापस चले गये, जिसने कॉइल बोर्ड का लाइसेंस ले लिया, जिस सेनी को कई स्मगलिंग के मामलों में पकड़ा जिसके बारे में श्री रामकिशन ने चार्ज-शीट पेश किया, सरकार ने ट्रांस्फर करने के ऑर्डर्स किए। एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट कहता है कि मदद की आवश्यकता है, किस बात की ? चड्डा को फंसाने की। तो एक ऑफिसर को फंसाने के लिए दूसरे ऑफिसर्स बच जाते हैं।

श्री तलवार इन्वेस्टीगेशन करता है। एक आर. के. शर्मा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ अफसर भरतपुर में थे उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया ब्लैक मार्केट के केसेज़ में, तलवार साहब से उनकी मुलाकात हुई। तलवार साहब ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया उसने पहले कलेक्टर को सूचना दी कि मैंने ब्लेक मार्केट में पार्टी को गिरफ्तार कराया है और यह एस. पी. उनके साथ हैं। राजस्थान सरकार झूठे आदमियों को नहीं पकड़ेगी। आखिर वह केस चीफ सेक्रेटरी ने विथ्ड्रा किया।

इसी तरह से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो सर्किट हाउस में ठहरा था झूठा मुकदमा बनाकर स्मगलिंग का कि एस. पी. ने रेड हैंडेड पकड़ा, उनके खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं ले सकते ? स्मगलर्स से उनका बहुत बड़ा सम्बन्ध है और जब स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, जो स्मगलर्स के साथ जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ नहीं लेते तो मालूम होता है कि सरकार की कोई कॉन्स्पीरेसी है। इसलिए एन्टी करप्शनडिपार्टमेंट से राजस्थान की भलाई हो जाय, मैं यह नहीं मानता। मैं समझता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन व्यक्तिगत मसले यदि सीमा पार कर दें तो मेरी ड्यूटी है जनता के प्रति कि इन मामलों को इस पवित्र सदन के समक्ष रखूं इसलिए मैं उन मामलों को सरकार के सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि सदन के इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य इस बात पर गम्भीरता से विचार करें कि राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी, जिनमें आपका अटूट विश्वास होना चाहिए, उनके कारनामे क्या हैं ? मैं ज्यादा केसेज में नहीं जाऊंगा, केवल १० केसेज़ बताऊंगा।

पहला जो सब से इम्पोर्टेन्ट केस है जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि हिस्टेरिकल केस है राजस्थान के इतिहास में, जिसने राजस्थान सरकार को ५० लाख रुपया का या नुकसान पहुंचाया वह है न्यूयार्क का वर्ल्ड फेयर जिसमें भारत सरकार ने एक पंजाब को वहां पर स्टाल दिया, एक केरल को स्टाल दिया और एक राजस्थान को। एक चुन्नीलाल जयपुरिया नाम का व्यक्ति बिहारीलाल

(श्री भैरोंसिंह)

बेनीप्रसाद फर्म का है उसने उद्योग सचिव से कहा कि You kindly lend me your name and I shall pay you haif percent commission

मुझे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ के नाम दे दें and I shall pay you half present commission.

इंडस्ट्रीज सेकेटरी ने स्वीकार किया, उसके बाद में मसला बोर्ड के सामने रखा गया। कोर्पोरेशन ने चेयर उसको एप्रूव किया। उसकी पहली शर्त यह थी कि कार्पोरेशन के मैन को न्यूयार्क आने जाने का भाड़ा, उसके रहने के लिए १५ डॉलर रोज के। वह कह रहा है कि कोर्पोरेशन के नाम अलॉटमेंट हो जायगा। सरकार कहती है कि कोर्पोरेशन के नाम न हो, बिहारीलाल बेनीप्रसाद के नाम हो जाय। वह उस नाम पर अलॉटमेंट हो गया। आखिर बिज़नेसमैन हॉफ परसेन्ट की कमीशन देना चाहे तो क्या उसका मुख्य मन्त्री से प्रेम है या वह हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर न्यूयॉर्क में प्रदर्शित करने के लिए राजस्थान की सेवा कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह भाव नहीं हो सकता।

अब उसने आकर कहा कि मेरी तीन शर्तें मंजूर कर लो। क्या क्या शर्तें ? ये शर्तें उसने दीं। मैं डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मामूली सी शर्तें उसने रखीं और मामूली सी शर्तें रखने के बाद, पांच शर्तें रखीं। एक तो राजस्थान हैंडीक्राफ्ट्स कोर्पोरेशन के नाम से भत्ता लिया जायगा, जो भी भत्ते के एक्सपेन्सेज़ होंगे, बिहारीलाल बेनीप्रसाद राजपूताना स्टोर का एजेन्ट होगा; राजस्थानमें में जितने प्रोड्यूसर्स और डीलर्स हैं उनसे जो माल खरीदा जायगा और उस माल पर भारत सरकार अपनी एक्सपोर्ट इन्सेन्टिव स्कीम के अन्तर्गत जो कन्सेशन देती है वह इनको मिलेगा, बिहारीलाल बेनीप्रसाद इसके सुपरवाइजर होंगे और एक आदमी का ट्रेवल का जो खर्चा होगा बिहारीलाल बेनीप्रसाद देगा और उसके बाद राजस्थान गवर्नमेन्ट उसको चाहेगी सो मदद देगी। किस्सा थोड़ा सा सुनने लायक है। वह कहता है : "The State Government or the Corporation will incur no financial liability whatsoever in regard to this matter."

अब यहां तक तो मामला समझ में आ गया। अब मामला आगे प्रगति कर रहा है। प्रगति के चरण आगे बढ़ रहे हैं। जिसको यह मिलने वाला है वह हैं बिहारीलाल बेनीप्रसाद। बिहारीलाल बेनीप्रसाद एक एग्रीमेन्ट लेकर कार्पोरेशन के पास आता है। कॉर्पोरेशन उसको देख कर तीन आदमियों की एक कमेटी नियुक्त करता है कि वह इस को एग्जामिन करे। तीन आदमी मिल कर एक एग्रीमेन्ट तैयार करते हैं। तैयार करने के साथ साथ वह कार्पोरेशन अपने जनरल मैनेजर को पॉवर्स देता है, वह दिल्ली में जाकर बिहारीलाल बेनीप्रसाद के सामने उस पर हस्ताक्षर कर दे और इस सारे एग्रीमेन्ट को एग्ज़ीक्यूट कर दे। वे दिल्ली गये और, अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा खेद की बात यह कि उस ने एग्रीमेन्ट तैयार किया, कॉर्पोरेशन ने एप्रूव किया, उसका एक कमेटी जनरल मैनेजर जो आर. ए. एस अधिकारी है जिसको किसी भी कानून में यह अधिकार नहीं होता है कि वह दिल्ली

(श्री भैरोंसिंह)

में बैठ कर एग्रीमेन्ट को चेन्ज कर सकता है, लेकिन एग्रीमेन्ट को चेन्ज किया गया। ६॥ परसेन्ट इन्ट्रेस्ट था वहां ७ परसेन्ट कर दिया गया। एग्रीमेन्ट में जो माल खरीदा जावेगा, पहली शर्त यह थी कि वह माल राजस्थान से ही खरीदा जावेगा, उससे आगे बढ़ कर यह कर दिया गया कि वह व्यक्ति सारे हिंदुस्तान से माल खरीद सकेगा। उस एग्रीमेन्ट में यह भी शर्त रखी गई कि बिहारीलाल बेनीप्रसाद जो भी हैन्डीकाफ्ट्स खरीद करेगा और उसको जितनी कन्ट्रोल्ड कमोडिटीज़ की आवश्यकता होगी वह सारी बिहारीलाल बेनीप्रसाद को देनी पड़ेगी। यह भी एग्रीमेन्ट कर लिया कि जितना भी एक्सपोर्ट इन्सेन्टिव हैं, भारत सरकार की एक एक्सपोर्ट इन्सेन्टिव स्कीम है आप जितना माल एक्सपोर्ट करते हैं, डीलर कमाता है उसका ५० परसेन्ट माल इम्पोर्ट करने का इन्सेन्टिव मिलता है, वह इन्सेन्टिव उनको मिल गया। राजस्थान सरकार किसी भी कम्पनी से, फर्म से या डीलर से कोई एग्रीमेन्ट होता है तो उस एग्रीमेन्ट में, अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार या राजस्थान सरकार का जो भी उस डिपार्टमेन्ट का सेक्रेटरी होता है वह आर्बिट्रेटर नियुक्त होता है। यहां इस एग्रीमेन्ट में आर्बिट्रेटर को बदला गया। जहां आरबिट्रेटर इन्डस्ट्रीज़ सेक्रेटरी पहले के एग्रीमेन्ट में मुकर्रर किये गये थे वहां दो माने हुए आदमियों को आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया जाएगा, यह बात रखी। जो कन्साइनमेन्ट बेसिस पर माल जायेगा, वह हाल वापिस आयेगा तो वह सारा माल लायक है या नहीं इसकी जांच करने के लिए राजस्थान के सेक्रेटरी आर्बिट्रेटर बन सकते थे उसको हटाकर एक आदमी को ले लिया गया। आगे राजवी साहब का इतिहास बताऊंगा, समया भाव के कारण मैं अभी नहीं बताना चाहता। ताज्जुब की बात तो यह है, अध्यक्ष महोदय, एग्रीमेन्ट का एक्ज़ीक्यूशन हो उसके पहले बिज़निस कर लिया गया, चार लाख का माल दे दिया गया। अब तक इस प्रकार की मिसाल हिन्दुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी कि बिना एग्रीमेन्ट के एग्जीयूशन के माल दे दिया जाय। एग्रीमेन्ट हो पहले, एग्जीक्यूट हो, सिग्नेचर हो तब बिज़नेस किया जाता है। लेकिन बिना एग्रीमेन्ट पर दस्तखत हुए, एग्जीक्यूट हुए चार लाख का उसको बिज़नेस दे दिया गया। श्रीमानजी वहां जाकर आये, इस सम्बन्ध में ज्यादा न कह कोर्पोरेशन ने एक्शन लिया वह मैं सुनाना चाहूंगा। हैंडी क्राफ्ट कार्पोरेशन ने लिखा है, in confirmation of the Minutes of the last meeting :-

"The Board observed that the draft agreement approved by the Board in its 24th meeting held on 23. 3. 64 and the agreement eventually executed between the General Manager and Messrs Beharilal Benarsidas Exports & Imports (Pvt.) Ltd. are at variance, and amendments have taken place in the agreement execueted between the parties and not placed before the Board for approval before the execution."

आप उसमें कोई प्रमाण लेना चाहें, मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। कौल साहब, आप भी क्यों भूलते हैं, मैं आपको बता दूं कि ऐसे मामले के अन्दर आपके फाइनेन्स

Page No. 52

(श्री भैरोंसिंह)

डिपार्टमेंट ने एतराज किया था और उसके बावजूद यह किया गया। आपकी चलती नहीं है।

ऐसी हालत के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जो फाइनेन्शियल लाएबिलिटी के डर से उस स्टाल को लेना नहीं चाहती थी, राजस्थान सरकार ने यह तय कर दिया कि यह माल अमेरिका में जावेगा, जो माल बिहारीलाल बेनीप्रसाद राजस्थान के बाहर से खरीदेगा उसका पेमेन्ट भी कॉर्पोरेशन करेगा। जब कॉर्पोरेशन पेमेन्ट करने की लाएबिलिटी लेता है तो क्यों नहीं कॉर्पोरेशन ने खुद ने बिज़नेस किया ? क्यों वह अपने ७ एम्पोरियम चलाता है ? क्यों नहीं अधिकारियों ने और मंत्रि मंडल ने सोचा कि एक्सपोर्ट इन्सेन्टिव स्कीम थी, राजस्थान को कमीशन मिल सकता था ? मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि यहां के जयपुर के सुराणा हैं उससे जयपुरिया १८ परसेंन्ट कमीशन लेता है और हमें आधा परसेन्ट कमीशन देता है सारे इन्श्योरेन्स का खर्चा, फ्रेट, सिक्योरिटी का खर्चा यह बर्दाश्त करने के बाद १८ परसेन्ट का कमीशन जयपुरिया लेता है और हाफ परसेन्ट का देता है। मैं कहता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट इस कॉर्पोरेशन के नाम पर ५० लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती जो अब मजबूरन करना पड़ेगा। ५० लाख का भी करतो, माथुर साहब वहां जाकर देख कर आये हों, एक रुपये की चीज़ चार रुपये में बिकता है, २) रु० आप इन्श्योरेन्स, फ्रेट और सिक्योरिटी के निकाल दो। फिर भी डबल दी अमाउन्ट की इन्कम होती है। ५० लाख का बिज़नेस यदि कॉर्पोरेशन करता तो पचास लाख रुपये सरकार को मिलते। मैं सुखाड़ियाजी से पूछना चाहता हूं यह गलती किसकी हुई ? क्यों नहीं बिजनेस किया यह गलती किसकी हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं कल बताऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप कल बताओगे, लेकिन मैं आज ही बतला देता हूं। गलती हुई मन्नालालजी गोयल की। Any other officer would have been sacked. ५० लाख का राजस्थान सरकार को घाटा बताया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इतना चाहूंगा कि पचास लाख का घाटा कैसे राजस्थान को हुआ, इसकी थोड़ी व्याख्या कर दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : टाइम फिर बढ़ा दें।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको बता दूं। आपने चुन्नीलाल जयपुरिया के पास अरोड़ा को रखा जो डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ है कि समझौता करो। लोगों को पता लग गया, अब पीछे पड़ेंगे। तो समझौता हुआ उन मिनिट्स में यह लिखा गया कि चुन्नीलाल जयपुरिया को कुछ भी कहा जाय वे मानने के लिये तैयार हैं। मानने के लिए तैयार हैं का मतलब क्या ? उस जयपुरिया को दबा कर रुपया बचा लें। नुकसान इस रूप में हुआ। एग्रीमेंट अनप्रिसिडेन्टेड रूप में किया। राज-

(श्री भैरोंसिंह)

स्थान के जवाहरात का ३८ लाख का बिज़नेस वहां हुआ । राजस्थान का सारा बिज़नेस पचास लाख का है, यदि यह बिज़नेस राजस्थान की सरकार या राजस्थान का हैंडी-क्राफ्ट्स कार्पोरेशन करता तो राजस्थान सरकार को पचास लाख की तिगुनी कीमत मिलती । उसमें सिक्योरिटी नहीं । फ्रेट चार्जेज़ नहीं, इन्श्योरेन्स चार्जेज़ नहीं । अगर इनको भी काट देते तो पचास लाख की राजस्थान सरकार को बचत होती, उसको कोई नहीं रोकता । वह पचास लाख....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : वह केलकुलेशन कैसे लगाया ?

श्री भैरोंसिंह : केलकुलेशन तो इससे लगा लीजिये । बिश्नोईजी, यह सांचोर का मेला नहीं है वर्ल्ड फेयर है । इसमें एक पैसे की चीज का चार चार रुपया मिलता है । इसको कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूँ ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पशुओं का इससे क्या ताल्लुक ?

श्री भैरोंसिंह : पशुओं से ताल्लुक नहीं है इसलिए आप इसे नहीं समझे ।

अब दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आता है नम्बर पानरवा का ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था, इस पर काफी विस्तार से चर्चा की जा चुकी है । पानरवा का जंगल आपने दिया, गुलाब अब्बास को दिया । वह जिस समय से ठेका मिला आज तक राजस्थान की सरकार यदि उसे उस समय ऑक्शन करती, कूप्स बना कर ऑक्शन करती तो राजस्थान सरकार को १६ लाख की आमदमी होती । जो उस समय की ऑफर थी वह चीफ सेक्रेटरी सुब्रह्मण्यम् के सामने रखी गई थी । सुब्रह्मण्यम् ने नोट तैयार किया था । उसको भी राजस्थान सरकार अगर स्वीकार कर लेती, उस समय और उसके आधार पर भी राजस्थान की सरकार अगर चलती और उससे कम करके भी चलती तो १६ लाख की आमदनी अब तक होती ।

माननीय मुख्य मन्त्रीजी आप यह कह सकते हैं कि गुलाम अब्बास से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । मुझे समझने में संकोच हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, कि गुलाम अब्बास को वह हाथीपोल के सामने की एग्रीकल्चरल लैंड को आबादी में कन्वर्ट कराके लाखों रुपयों की जमीन मिल गई, गुलाम अब्बास की मोटरें चलती रहें, पैसेन्जर टैक्स उससे वसूल न हो ! टूरिस्ट बंगलों के लिये उसे फाइनेन्शियल कार्पोरेशन से लोन मिल जावे. ये सब बातें आखिर क्या हैं ? इनके पीछे फिर राज क्या है ? आप यह नहीं मानेंगे कि मुख्य मन्त्रीजी अयोग्य हैं इसलिए इनको राज का पता नहीं है । सुखाड़िया जी बहुत बुद्धिमान हैं । योग्यता में तो उनके कमी नहीं है । तो १६ लाख का घाटा सरकार को दिया; हाथीपोल की जमीन में एक लाख का घाटा खाया, पैसेन्जर टैक्स के नाम पर, रोडवेज़ के नाम पर नेशनलाइज़ेशन के नाम पर, इतना बड़ा घाटा खाया । योग्यता से आप काम करते हैं, योग्यता में तो आपकी में सन्देह नहीं । तो दूसरी चीज क्या बचती है ?

(श्री भैरोंसिंह)

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, जयसमन्द झील की मछलियों के ठेके का मामला है। ५३ से २० हजार का चलता आ रहा है। पी० ए० सी० ने जो कुछ लिखना चाहिये था, लिखा। २० हजार चलता आया ५३ से से५८ तक और ५८ में सरकारी अधिकारियों की डेलीबेरेट मिस्टेक के कारण पांच वर्ष तक और देना पड़ा। ६३ में मयाद खत्म हो गई। ऑफर आई १.४५ लाख रुपयों की और इसका ठेका कितने में दिया गया? केवल चालीस हजार में। केवल ४० हजार में मछलियों का ठेका कपूर साहब को, जो उदयपुर के हैं, दिया गया। मैं यह नहीं समझ पाया सुखाड़िया साहब, कि इस प्रकार के मामले उदयपुर में ही क्यों हैं, बाहर क्यों नहीं होते? उदयपुर में आप रहते हैं, मुख्य मंत्रीजी और मुख्य सचिव आप। फिर ये चीजें उदयपुर में क्यों होती हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिए तो धन्यवाद कि कम से कम यह कह कर आपने यह तो स्वीकार किया कि ऐसे मामले उदयपुर तक ही सीमित हैं। बाकी राजस्थान सारा ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : मैं सुखाड़िया साहब आपकी यह बात इसीलिये स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि इस समय मैं केवल आपके लिए ही कहना चाह रहा हूं। बाकी के लोगों को तो मैं छोड़ कर चलना चाह रहा हूं। आपकी इच्छा हो उनके बारे में भी सुनने की तो मैं वह भी आपको सुनाऊंगा।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : बाकी लोग आपसे दया की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : अभी आपको बताऊंगा।

श्री चन्दनमल वैद : शौक से बताइये।

श्री भैरोंसिंह : अब रोडवेज़ का मसला जरा सुन लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आपने जो चालीस हजार कहा, वह चालीस हजार नहीं है? एक करेक्शन मैं करूंगा; पचास हजार हैं।

श्री भैरोंसिंह : ऑफर कितने की थी?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सवाल अलग है।

ठेका ही कम्प्लीट नहीं हुआ था, लॉ कोर्ट से डिसाइड हो गया था।

श्री भैरोंसिंह : यह श्रीमान्जी, मुगालता और किसी को देना।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप गलत बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप गलत बोल रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो अभी आपने चालीस कहा, पचास के बजाय; इसी से मालूम पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : नाथूरामजी, जरा इधर देखें। १.४७ लाख में और पचास हजार में कितना अन्तर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो बता दूंगा जवाब दूंगा उस समय आपको।

श्री भैरोंसिंह : आप कितना समझते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इससे कम ठेका होने की गुंजाइश नहीं थी। यों कोई चिट्ठी लाकर कह दे कि पांच लाख में दे दो तो पांच लाख में मिलता है, इसका क्या मतलब हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आपने ऑक्शन क्यों नहीं किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऑक्शन नहीं हो सकता था कानून में।

श्री भैरोंसिंह : कानून की बात कहते हैं, कानून की जानकारी तो मैं दूं आपको।

कानून और कायदे यह सरकार कैसे बनाती है, मैं बताता हूं। इसका तो दीवाला निकल गया। महाराणा उदयपुर से झगड़ा था उसका। ५३ से पहले लीज़ दी उनको और कितने वर्ष की ? पांच वर्ष की। ५३ में रिन्यू करने की आवश्यकता हुई।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें यह शर्त लिखी हुई थी कि छः महीनों में अपील करते तो ला सकते थे।

श्री भैरोंसिंह : मेरी सुनिये। आप जरा सब्र रखिये। आप सही बात बताते नहीं हैं। झूठी बात कह रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सही बताता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आपको गुस्सा आ रहा है, मैं आपके इस गुस्से को भी समझ रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कोई फैक्ट गलत नहीं बता रहा।

श्री भैरोंसिंह : आप हन्ड्रेड परसेन्ट झूठ बोल रहे हैं। और मैं यह कह रहा हूं....

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो आप स्वीकार कर चुके हैं कि कौन झूठ बता रहा है। मैंने कहा पचास और आप कह रहे थे चालीस।

श्री भैरोंसिंह : कितने परसेन्ट हुआ ? एक परसेन्ट होगा, दो होगा, पर यहां तो हन्ड्रेड परसेन्ट झूठ बोलते हैं। इससे क्यों आप मुगालता में डाल रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यहां तो झूठ बोलना सीखा ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं कह रहा था कि ६३ के पहले आता था ५८ ! पांच वर्ष की लीज़ दी गई; यह ५३ में एग्रीमेंट था और पांच वर्ष ५८ में समाप्त होते हैं। पर यह किसी ने देखा ही नहीं और उसको ५८ में यों का यों रिवाइज़ कर दिया। उस ५३ के एग्रीमेंट

Page No. 56

(श्री भैरोंसिंह)

में लिखा था कि पांच वर्ष का ठेका समाप्त होने के बाद में पांच वर्ष दिया जावेगा। अन्धे मन्त्री ने और ऐसे ही अन्धे इस राजस्थान सरकार के सेक्रेटरियों ने उस एग्रीमेंट को देखा नहीं ५८ में और आपने, आपके अधिकारियों ने दस्तखत कर दिये आंख मींच कर उस पर। उसका यह रिज़ल्ट है! अब कहिये चालीस, पचास और १.४५ लाख में कितना झूठ है और कितना सच है? अब आप कह दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कह दूँगा अच्छी तरह जब जवाब दूँगा तब।

श्री भैरोंसिंह : फिर इतनी बात क्यों कर रहे थे अभी?

नेशनलाइजेशन का मामला आया। ५६ में काम चालू किया। आपने बस रूटें नेशनलाइज़ करनीं शुरु की। उसमें भीलवाड़ा–उदयपुर, अजमेर–भीलवाड़ा, इन दो का भी नेशनलाइजेशन का इरादा किया। पर आपने इनको नहीं किया। ६२–६३ तक नहीं किया, ६३–६४ में नहीं किया। पहले करना चाहते थे चित्तौड़ से वाया मंगलवाड़ होते हुए उदयपुर; फिर करना चाहते थे कपासन होकर। फिर उस स्कीम को पब्लिश किया गया पर वह फेल हुई। उस स्कीम में दस ऑपरेटर्स का नाम नहीं लिखा था। इसलिये वह स्कीम डिफेक्टिव साबित हुई और इस कारण नेशनलाइज़ेशन नहीं हो सका। स्कीम रिजेक्ट हो गई।

अध्यक्ष महोदय, अजमेर-भीलवाड़ा में भी सेन्ट्रल लाइन क्या होगी, डाइरेक्ट रूट क्या होगा, इसका उल्लेख नहीं किया। ५३ बस ऑपरेटर्स का नाम नहीं लिखा। स्कीम डिफेक्टिव बनाई गई और इसलिए खारिज हो गई।

इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, तीसरी योजना के प्रारम्भ में और नेशनलाइज़ेशन के प्रारम्भ में कांकरोली से लेकर अहमदाबाद का रूट नेशनेलाइज़ेशन की स्कीम में लिया गया उसको कांकरोली से उदयपुर से उतनपुर की स्कीम करदी। वह पब्लिश की गई। स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्टस और रीज़न्स जो पेश किया जाता है उसमें लिख दिया अहमदाबाद के लिए गुजरात सरकार की ओर से हमारा एग्रीमेन्ट था। पर कहा गया हमारा कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ। आज यह उदयपुर क्यों, उदयपुर से भीलवाड़ा क्यों, भीलवाड़ा से अजमेर और कांकरोली से अहमदाबाद ही क्यों नहीं नेशनलाइज़ होती, इन्हीं में क्यों डिफेक्ट रह जाता है और स्कीमें सभी नेशनलाइज़ हो जावेंगी; जयपुर से अजमेर की हो जावेगी, कोटा-जयपुर, कोटा-अजमेर, सोजत-जोधपुर की हो जावेगी। पर उदयपुर में नेशनलाइज़ेशन क्यों नहीं होता? यह राज मेरी समझ में नहीं आता। यह स्कीमें उदयपुर में ही क्यों डिफेक्टिव होती हैं? क्यों नहीं सही होती है और पास होती हैं। इन स्कीमों को बार बार क्यों रिजेक्ट कराया जाता है? इसका कारण केवल मैं तो जहां तक समझ पाया हूं अध्यक्ष महोदय, यह है कि चार मोटे मोटे आदमियों की गाड़ियां चलती हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

एक आदमी है ग्रीनबस के, दूसरे हैं टैक्सी मोटर एसोसियेशन के, तीसरे हैं गिरधारीलाल और चौथे हैं बसन्तकुमार। इन चार आदमियों की गाड़ियां इन रूटों पर चलती हैं। उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भीलवाड़ा, गंगापुर, कांकरोली होते हुए उदयपुर की रूट नेशनलाइज नहीं हो सकती। इन चार के प्रोटेक्शन के लिए भीलवाड़ा चित्तौड़ से मंगलवाड़ होते हुए उदयपुर की लाइन नेशनलाइज नहीं हो सकती। कपासन फतहनगर वाली नहीं हो सकती और यह इस लिये नहीं हो सकती कि ये कहते हैं कि हमें अगर हटाते हैं तो बाकी के दो आॅल्टर्नेट रूट दो। तो उनको नहीं छीन सकते। फिर कहते है क्या करें। ये तो स्कीमें रिजेक्ट हो गई और अब एक बहाना दूसरा मिल गया। काॅर्पोरेशन बन गया। तो कहते हैं वह उस पर विचार करेगा और उसके विचार में जो ६०,६१,६२ और ६३ में रूट नेशनलाइज हो जाना चाहिए थे वे आज तक पड़े हैं। इन रूटों के लिए बसें खरीद ली गई। वे आज बेकार खड़ी हैं। २० बसें नई खड़ी हैं और ६० पुरानी पड़ी है। आज अगर इन १२८ बसों का उपयोग किया जावे और ये ११० बसें रूटों पर चलें तो अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को २० लाख की आमदनी हो सकती है। जो आज तक का रोडवेज की इन्कम का स्टेटमेन्ट है उसके अन्दर बताये माइलेज के आधार पर केलकुलेट किया जावे तो २० लाख की इन्कम हो सकती है सरकार को।

वे २० लाख रुपये की इन्कम नहीं कर पाये और इसलिए नहीं कर पाये कि उसमें भी कुछ हमारे लोग बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बा-चौड़ा नहीं कहना चाहूंगा।

पिछली बार मैंने जयपुर स्पिनिंग का मामला सामने रखा उस समय सरकार ने कहा कि हमने अच्छी तरह से विचार कर लिया है। मैंने भी राजस्थान के और दिल्ली के अन्दर जो लाॅ के एक्सपर्ट्स हैं और जो बिज़नेस करते है और कानूनी सलाह देते हैं उन सबसे इस सम्बन्ध में सलाह ली और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राजस्थान को इस सारे बिज़नेस में केवल पोद्दार को सपोर्ट करने के लिए १२ लाख रुपये का घाटा खाना पड़ा। मैंने पिछली बार इस सदन में कहा था कि दिल्ली में लोक सभा के सदस्य इसकी मांग करते हैं कि जो लोन दिया गया है उनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जाय और राजस्थान सरकार इसकी कोशिश कर रही है कि शेयर्स को लोन में कन्वर्ट किया जाये। मैं आज कहता हूं कि फाइल फाइनेन्स मिनिस्टर के दफ्तर में पड़ी है, फाइल के ऊपर नोटिंग हो चुका, फाइनेन्स मिनिस्टर उसको मन्जूर कर चुके और वे शेयर्स जो लोन में कन्वर्ट नहीं हो सके-वे लोन में कन्वर्ट किये जा रहे हैं। उदयपुर की मिल आज इस बात की कोशिश कर रही है कि इन्स्टालमेंट उनको चुकानी न पड़े और एग्रीमेन्ट को बदलवाया जाये। वह एग्रीमेन्ट बदला जा रहा है।

इसी प्रकार से चिपबोर्ड फैक्टरी बांसवाड़ा में बनी। वहां पर झगड़ा हो गया और कामकाज बन्द हो गया। ६ लाख के करीब जो रायल्टी सरकार को आनी चाहिए वह

(श्री भैरोंसिंह)

उनको नहीं मिलती । चिपबोर्ड फैक्टरी से समझौता हुआ उस समय कहा कि राजस्थान के जंगलों को नुकसान पहुंचाया जाकर इसको मैटीरियल दिया जाये । इसी प्रकार से एक कोटा के अन्दर स्ट्रेम बोर्ड फैक्टरी बनी उसको कम पैसों में घास का ठेका दे दिया गया । ५० हजार रूपये के करीब राजस्थान सरकार को उससे नुकसान हुआ । कोटा स्टोन में हीराभाई को कॉन्ट्रेक्ट ५६ में दे कर अब वह खत्म हो रहा है, उसके बारे में आज राजस्थान की सरकार घाटा खा चुकी । इन सब मामलों को यदि जोड़ा जाये तो अध्यक्ष महोदय, सुखाड़िया जी ने जो राजस्थान के मुख्य मन्त्री हैं न मालूम किन कारणों से, अयोग्यता का कारण तो हो नहीं सकता, हां अयोग्यता के अलावा दूसरे कारण हो सकते हैं जिनके कारण राजस्थान को १ करोड़ २५ लाख रुपये का घाटा पड़ रहा है । मैं इसका जवाब चाहता हूँ । एक एक पोइन्ट के ऊपर आपका जवाब चाहता हूं आप जरा इनको बतायें कि यह मसले क्या हैं ? अध्यक्ष महोदय, दास कमीशन का जिक्र किया जाये या और किसी कमीशन का जिक्र किया जाये....

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी ही समाप्त करें ।

श्री भैरोंसिंह : बस थोड़ी ही देर में समाप्त करता हूं ।

मैं किसी कमीशन का उल्लेख नहीं करना चाहता ।

कल बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी चार्जेज़ लगाये । उन चार्जेज़ में काफी तथ्य थे । प्रमाणित करने की और प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है । जो आपने रिश्तेदारों की नियुक्तियां की हैं वे तो हैं । जिन लोगों को नियुक्त किया है वे हैं; वे चाहे असिस्टेन्ट कमिश्नर हों या वे आर्ट के टीचर हों, स्कूल के टीचर हों और वह चाहे किसी भी काम में हों; लोगों को नियुक्त किया, नियुक्तियां उनकी हुई । इन्श्योरेन्स का जहां तक मामला आता है वह इन्श्योरेन्स का भी मामला है और इसमें सुखाड़िया साहब प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं । १६६० और ६१ और उसके बाद पंडित नेहरू हमारे माननीय प्रधान मन्त्रीजी जब आये तो उनको ३ करोड़ रुपयों की इन्श्योरेन्स की माला पहनाई गई । उस माला में जो अकाउन्ट दिया गया उसके लिए बताया गया कि इस साल में इतना इन्श्योरेन्स हुआ उस साल का बिज़नेस उसके आंकड़े इंश्योरेन्स कम्पनी से मंगाकर देख लो ६५ परसेन्ट जो बिज़नेस था वह लैप्स हो गया । वह इस बात का सुबूत है कि यह बिज़नेस पर्सुएशन से नहीं लिया गया बल्कि प्रेशर से लिया गया । पर्सुएशन से लिया हुआ बिज़नेस जो होता है उसकी पॉलिसीज़ लेप्स नहीं होतीं, एक प्रीमियम चुकाने के बाद दूसरा भी चुकाया जाता है । लेकिन दूसरा प्रीमियम नहीं चूका और पॉलिसीज़ लैप्स हुई । ६५ परसेन्ट पॉलिसीज़ लैप्स हुई । न कॉर्पोरेशन को फायदा हुआ न फायदा उस व्यक्ति को हुआ जिसने इन्श्योरेन्स कराया; फायदा हुआ इन्श्योरेन्स एजेन्ट को । ऐसी हालत में मैं यदि यह कहूं कि हमारे मन्त्री लोग कई बार कहते हैं कि क्या हमारे रिश्तेदार भूखों मर जायें, क्या

(श्री भैरोंसिंह)

हमारे रिश्तेदार कोई बिज़नेस न करें ? मैं अमेरिकन प्रेसीडेन्ट श्री जैफर्सन जो १८०१ से १८०६ तक तीसरे प्रेसीडेन्ट थे, उनकी १५० साल पहले की बात कहता हूं जिस अमेरिका की हम नकल करना चाहते हैं। वे जिस दिन प्रेसीडेन्ट बने सबसे पहले उन्होंने एक पॉलिसी ले डाउन की।

"On one point, the President was adamant. He absolutely refused to appoint Kinsmen. 'Nepotism' was a hateful idea. 'No one', Jefferson said, 'would believe that the relative was given a job because he happened to have merit. I lay it down as code of conduct for myself never to give an appointment to a relation."

१८०१ के अन्दर जिस अमेरिका की डेमोक्रेसी की हम नकल करना चाहते हैं उसके प्रेसीडेन्ट कहते हैं कि किसी मन्त्री का रिश्तेदार यदि योग्यता के आधार पर नौकर रख लिया जाये तो कोई आदमी विश्वास नहीं करेगा कि इसमें योग्यता है क्योंकि देश के अन्दर आचरण सिद्ध करने के लिए, लोगों को न्याय मिले यह जनता के हृदय में बैठाने के लिए उस समय जो पॉलिसी ले डाउन की थी; आज राजस्थान के मन्त्री कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार क्या भूखों मर जायें, हमारे रिश्तेदार क्या बेकार बैठे रहें ? आज सारी चीजें चलती हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता और जब विश्वास नहीं होता तो ये परेशानियां बढ़ती हैं। अभी नाथूरामजी फिर चिढ़ेंगे। शीप एण्ड वूल में आपने अपोइन्टमेन्ट्स किये उसमें आपने सुपरवाइज़र्स की जगह बनाई। सिलेक्शन हुआ। मैं उसकी डिटेल्स कहना नहीं चाहता लेकिन आप जरा देखें कि उसमें भरतपुर जिले के कितने और नागौर जिले के कितने अपोइन्ट किये हैं। सारे के सारे नागौर के भर लिए, मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी के क्या सब भाड़ में जायें। नागौर के लोगों की नियुक्तियां हो जायें और दूसरी जगह के लोगों की नहीं। मैं मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि वह सारे मसले की जांच करायें कि सिर्फ दो जिलों के भरतपुर और नागौर के लोग कैसे आ गये ? जब एक से पूछा गया तो कहा गया कि वहां पर कोई योग्यता नहीं देखी गई। हाथ पकड़ कर देखा गया कि हाथ के अन्दर आंटन किसके पास हैं। मैंने कहा कि क्या नागौर के लोग खेती करते हैं। फिर मैंने पूछा कि इसमें जाति विशेष कौन है तो वह भी वही १५-२० आदमी आ गये। मैंने कहा कि क्या इनके हाथ में कोई आंटन नहीं पड़ती तो कहने लगे कि जो अधिकारी काम करते थे वही विशेष जाति के लोग हैं। तो क्या यही ऊपर की जाति में आ गये ? आज सुखाड़िया साहब, आप देखें तो जरा आपके राज्य में कितना अन्धेर है। जातिवाद आज शासन में पनप रहा है, लोग इससे कितने त्रस्त हैं ? जेल का सुप्रिन्टेन्डेन्ट मैट्रिक का गलत सर्टीफिकेट देकर, माथुर साहब की नोलेज में आने के बाद में कोई एक्शन न लिया जाये उसकी भी चिन्ता नहीं होती लेकिन जनता को जलन होती है, उसका भी तो इलाज करो।

अब मैं अन्त में, अध्यक्ष महोदय, एक मामले के ऊपर विशेष तौर से सरकार का

(श्री भैरोंसिंह)

ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह है राजस्थान में जो पाक-तत्वों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। पाकिस्तान लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसके बारे में। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने और मैंने एक प्रश्न पूछा था कि अजमेर के गुलाम हुसैन पाक नागरिक हैं और म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर चुने गये उनको यहां से निकाला जाय तो हमारी सरकार कहती है कि हमने उसके खिलाफ मुकद्मा बनाया है। अब मुकदमा बना दिया है तो सरकार से कहा कि मुकदमे का आरम्भ कब होगा? अन्त की सरकार को चिन्ता नहीं, मुकदमा चल रहा है। मैंने राजस्थान सरकार से अपनी जानकारी के आधार पर एक लिस्ट ली है, अध्यक्ष महोदय, कई व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये और मुकद्मे विथ्ड्रा कर लिये गये और उनको पाकिस्तान भेज दिया गया। कई व्यक्तियों के खिलाफ मुकद्मे नहीं चलाये और पाकिस्तान भेज दिया गया। पिछले दिनों राजस्थान के एक हैड कॉन्स्टेबल को यह कह कर पकड़ा गया कि वह पाक नागरिक है और उसके पास पासपोर्ट नहीं है। एक आदमी को पकड़ा और बिना मुकदमा चलाये ही उसको पाकिस्तान को सरहद के पार कर दिया। कई व्यक्तियों को इस तरह से भेजा है और राजस्थान सरकार इनको हटा नहीं सकती। एक हैं यह गुलाम हुसैन और एक जियाउद्दीन। जियाउद्दीन कौन है? ये हैं हिन्दुस्तान के नागरिक और इनके बीबी और बच्चे चले गये पाकिस्तान वे पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर हिन्दुस्तान आये और पासपोर्ट की मयाद खत्म होने पर ये हिन्दुस्तान से चले गये और वापिस आ गये और कह दिया कि मेरी बीबी मर गई। बीबी जिन्दा है और जोधपुर में बैठी है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): असली नहीं, नकली होगी।

श्री भैरोंसिंह: नकली नहीं, असली है। लेकिन आज वह कगजों में मर गई और वह घर में रोटी बना रही है। यह है राजस्थान राज्य!

(विराम)

कागजों में मर सकती है, लेकिन जमीन पर चल सकती है। इस राज्य की सरकार की कितनी तारीफ की जाय और भारत सरकार बराबर जो इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू कर रही है उनकी कॉपी मेरे पास है जिनमें भारत सरकार ने कहा है निकालो, मुकदमे बनाने की जरूरत नहीं है। निकालो माथुर साहब! ये होम मिनिस्ट्री के सर्क्यूलर्स, जिस समय आप होम मिनिस्टर थे उस समय इश्यू हुए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता है। इस्तेमाल नहीं होता है तभी तो राजस्थान से हजारों गायें पाकिस्तान में जा रही है, कोई इनको रोक सकता है? राजस्थान की गायें अकाल में मर गई और अकाल से मरी हुई गायें अब पाकिस्तान की छुरी के नीचे मरने जा रही है। राजस्थान सरकार इसको रोक नहीं सकती है तो इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात है? एक बाबा वहां सरहद पर दौरा करते हुए कह रहा है कि रोको हजारों गायें रोज जा रही हैं, लेकिन गायों को आप रोक नहीं सकते और राजस्थान का गो-धन समाप्त हो रहा है।

Page No. 61

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वे बाबा कौन हैं ?

श्री भैरोंसिंह : अब, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अब तो बन्द, करो बाबा।

श्री भैरोंसिंह : अब मैं एक और निवेदन करना चहूंगा कि मेरा यहां पर उनका सिक्वेन्स बैठ जायगा। यहां पर एक जगदीश प्रसाद हैं, उनके मन्दिर की जागीर थी और लवाजमे के लिए उनको जमीन मिली थी और लवाजमा जगीर में शुमार होता है। वह धर्मादे की जागीर नहीं है। इसलिए जागीर डिपार्टमेंट ने इस जागीर को रिज़्यूम कर लिया। उन्होंने दरख्वास्त की कि यह धर्मादे को जागीर है इसलिए इसको रिज़्यूम नहीं किया जाय। उसको रिलीज़ किया गया और रिलीज़ करने के बाद में उसको धर्मादे की जागीर मानकर उसकी एन्युइटी फिक्स की गई। खुदकाश्त के नाम पर जमीन एलॉट की गई, अन्तरिम कम्पन्सेशन के नाम पर पैसा दिया गया और वह सारे कानून को तोड़कर—-— आप जागीर डिपार्टमेंट में जाकर देख लें कि लवाजमे की जागीर जागीर में शुमार होती है और धर्मादे में शुमार नहीं होती है। चौमू और सामोद की ऐसी बड़ी बड़ी जागीरें हैं और उनको लवाजमा मिला है और वही लवाजमा मन्दिर के साथ में मिला है और मन्दिर के साथ में लवाजमा मिला है तो वह धर्मादे की जागीर नहीं होती है, किन्तु एन्युइटी हजारों रुपयों की फिक्स अप की गई। उसके विरोध में दरख्वास्त दी गई शिकायत की गई तो आपने उसको बहस नहीं सुनी जिसका कि आपको अधिकार भी नहीं था लेकिन आपने लिख दिया कि बहस सुनी और फैसला दिया गया जिसका कि आपको अधिकार नहीं था। रेवेन्यू बोर्ड की आपके सामने निगरानी हुई। वह मामला अभी तक वहां पड़ा हुआ है आप देख लें। यह पक्षपात इसलिए हुआ। है कि यह लक्ष्मीलालजी जोशी के जंवाई हैं। आप लक्ष्मीलाल जोशी को बचायें। स्टेट बोर्ड के नाम पर कामता प्रसाद को बचायें और इन्टरनेशनल फेयर के नाम पर मन्नालाल गोयल को बचायें। किसी को भी बचाते जायं। यह राज्य ऐसा हो गया है कि राजस्थान में कोई पनप सकता है तो सुखाड़ियाजी के रिश्तेदार ही पनप सकते हैं....

(व्यवधान)

इसलिए मैं कहता हूं कि और आज इसलिए कह रहा था कि इन मामलों को सीमा पार कर गई है। इनके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। आप चाहे इल्जाम दूसरों पर लगाय लेकिन इन चीजों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप हमें गाली निकाल सकते हैं, हम पर इल्जाम जो कुछ भी लगाना चाहें लगायें, आपकी चीजें हैं, लेकिन मैंने जो मसले उठाये हैं उनके एक एक मामले का जावाब चाहता हूं और जवाब इसलिए चाहता हूं कि हर बार मुख्य मंत्रीजी उनको टालते चले जाते हैं। वह पोज़ीशन नहीं होनी चाहिए। बाकी करप्शन राजस्थान में बढ़ रहा है वह रुक नहीं सकता है। उसको रोकने की सामर्थ्य राजस्थान सरकार में नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह)

अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार लोगों को अनाज नहीं दे सकी। आज राजस्थान सरकार लोगों को अकाल से नहीं बचा सकी है, आज राजस्थान सरकार पर-केपिटा इनकम में वृद्धि नहीं कर सकती है, प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकी है, और करप्शन को मिटा नहीं सकी है, तो राजस्थान सरकार को हुकूमत करने का, राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है। और राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है उसको जिसके मुख्य मन्त्री पर इतने आरोप लगाये जायं, मुख्य मन्त्री के अन्दर मंत्री-मंडल के अधिकांश सदस्यों का अविश्वास हो, जो मुख्य मंत्री राजस्थान में एफिशियन्सी नहीं ला सके। उन सबका इलाज केवल एक है कि मंत्री-मंडल को हटाया जाय, और इस मंत्रि-मंडल को हटाये जाने के लिए यह अविश्वास का प्रस्ताव राजस्थान की विधान सभा में विरोधी दलों के माननीय सदस्यों ने जो रखा है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कांग्रेस के सदस्यों से भी अपील करना चाहूंगा कि आप भी कम से कम साथ दें। कांग्रेस का कोई नारा नहीं हो सकता है, भ्रष्टाचार। क्या कांग्रेस का नारा है कि भ्रष्टाचार बढ़ना चाहिए ? यह कांग्रेस का नारा नहीं हो सकता है। यह नेहरूजी का नारा नहीं हो सकता है, गांधीजी का नारा नहीं हो सकता है और यह कांग्रेस का नारा नहीं हो सकता है"। तो इस चीज को बचाने के लिए सुखाड़ियाजी के नारे पर क्यों जोर लगाते हैं ? इस नारे से दूर निकलें और कांग्रेस को बचायें। सुखाड़ियाजी तो जायेंगे। आप बचा नहीं सकते, रोक नहीं सकते। जायेंगे तो कौन बनेगा मुख्य मंत्री ? तो आप में से बहुत हैं तैयार, बनने के लिए। जाने का जिस दिन पता लगा कि दूसरे दिन कई सिर फूटते हुए आप देखेंगे। अभी जाने का इशारा नहीं दे रहे हैं। इस कारण से लोग दबे हुए बैठे हैं, लेकिन जिस दिन तय कर लिया उस दिन कई डाक्टरों के पास जायेंगे। ऐसी हालत में मैं कहना चाहता हूं कि वे दिल्ली जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं केन्द्र में, इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जायेंगे यह जरूर और राजस्थान में जो आने वाला है उसकी वसीयत में घाटा है, उसकी वसीयत में दीवाला है, उसकी वसीयत में कुप्रशासन है, उसकी वसीयत में भूख है, उसकी वसीयत में बेकारी है और उसकी वसीयत के अन्दर जितनी भी बुराइयां हैं वे सारी बुराइयां देकर जाने वाले हैं। इसलिए आप लोगों का कर्त्तव्य होता है कि जल्दी से जल्दी इनको विदा करें ताकि वसीयत में कोई अच्छी चीज भी बच जाय। इसलिए अविश्वास के प्रस्ताव पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं सदन से अपील करूंगा कि इन सारी चीजों पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोला) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में कल से वर्तमान मंत्रि-मंडल के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव के ऊपर बहस चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कुछ तथ्यों के आधार पर जो कि उनके अपने हैं, कुछ भावनाओं के आधार पर जिनको उभारने के लिए उन्होंने हरचन्द कोशिश की, कांग्रेस के सदस्यों से और इस सदन से अपील की कि यह सदन अविश्वास के प्रस्ताव पर वोट दे।

(श्री हरिदेव जोशी)

माननीय अध्यक्ष, आज और गये कल जब यह प्रस्ताव पेश हुआ था उसके बहुत पहले से ही हम यह सुन रहे थे कि राजस्थान सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव पेश होने को है। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले इधर-उधर जब लोगों में कभी सड़क के ऊपर, किसी पान की दूकान के ऊपर खड़े होकर कुछ मित्रों में आपस में चर्चाएं होती थीं किन्तु जैसे ही हनुमानगढ़ के उप-चुनाव की तारीख घोषित हुई, सारे का सारा यह रंग-मंच उठ कर गंगानगर जिले की ओर चला गया और, अध्यक्ष महोदय, शायद सभी महारथियों ने अपनी ओर से कोई कोशिश बाकी नहीं रखी कि वे वहां पर सामूहिक रूप से प्रयत्न करके कांग्रेस को नीचा दिखावें। अध्यक्ष महोदय, एक दूसरे से आंख से आंख नहीं मिलाने वाले वे लोग जो एक दूसरे के पास बैठने पर अविश्वास महसूस करते थे और राजनैतिक मंच पर किसी एक झंडे के नीचे खड़े होकर भाषण नहीं दे सकते थे उन लोगों ने भी कोशिश की और यह प्रयत्न किया कि कांग्रेस वहां पर हारे।

आज और गये कल, अध्यक्ष महोदय, जिन महानुभावों ने भाषण दिये वे कांग्रेस सरकार के विरोध में हुए हैं ये सारे के सारे भाषण, बल्कि इससे भी अधिक जोरदार भाषण, घोषणा-पत्र, पेम्फलेट्स, बुकलेट्स सारे के सारे वहां पर वितरित हुए, किन्तु राजस्थान सरकार को राजस्थान की जनता ने पहचाना था और इसलिए उसने एक वर्डिक्ट दिया और, अध्यक्ष महोदय, वह वर्डिक्ट यह है कि राजस्थान का विरोधी दल खोखला है, उसमें विश्वास व्यक्त नहीं किया जा सकता और इसलिये, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस विजयी हुई, उस संस्था की विजय हुई जो पहले वहीं पर हारी थी। आज हमारे माननीय सदस्य यह कहते हैं कि राजस्थान सरकार के प्रति जनता का विश्वास उठ चुका है, लेकिन असल बात यह है कि राजस्थान की जनता का विश्वास राजस्थान विधान सभा में जो विरोधी पक्ष हैं उनके प्रति हट चुका है।

जनसंघ के नेता यह कहते हैं कि मंत्रि-मंडल के सदस्यों का भी विश्वास मुख्य मंत्री जी से उठ चुका है। वे एक प्रकार से थूक के आधार पर महल बनाकर कुछ कहें लेकिन जनता की अदालत में वही बात चलेगी जो जनता को पसन्द होती है। जनता की पसन्द के आधार पर कांग्रेस की हुकूमत शासन के ऊपर बैठी है। जिस दिन जनता का वर्डिक्ट नहीं रहेगा उस दिन हम भी हरगिज नहीं रहेंगे। यदि जनता का वर्डिक्ट नहीं रहता है तो प्रजातंत्र में हमने ठेका नहीं लिया है और न हमारी गारन्टी है कि बने रहेंगे, लेकिन जब तक जनता का विश्वास कांग्रेस में है और कांग्रेस की हुकूमत में है तब तक उसको कोई हटा नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कुछ साथियों ने मोड़-तोड़ कर और जोड़ कर जो बातें कहीं उनको आप हाउस की प्रोसिडिंग्ज़ पर लाने के लिए तैयारी कर लीजिये, लेकिन जनता के मानस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आज क्योंकि हमको विशेषाधिकार है कि हम यहां पर खड़े होकर कोई भी बात कह दें, अदालत में कोई मुकद्मा नहीं चलेगा इसलिये हम किसी

(श्री हरिदेव जोशी)

की बहिन की, किसी की बेटी की, किसी के भाई की, किसी के भतीजे की बात को कह दें, किसी आदमी के खिलाफ कुछ भी कह दें, और उससे अपने मन के मोदक भले ही खा लें लेकिन उससे न जनता के मानस पर असर पड़ने वाला है और न इधर बैठने वालों के मानस पर असर पड़ेगा। आपने हरचंद कोशिश की, केरल का नारा बुलन्द किया कि कांग्रेस के साथियों में कुम्भारामजी के कारण फूट पड़ने का अब मौका आया है। कांग्रेस विधान सभा दल के बारे में अखबारों में छापा कि १८ विरोधी कांग्रेसी विरोधी पक्ष में आने वाले हैं और उन्होंने अपने मन में खूब पुलाव पकाने की कोशिश की लेकिन आज जब देखते हैं तो पता चलता है कि उनके गुबार हवा में उड़ गये। आज कांग्रेस सन् ६२ से भी दस गुणा अधिक ताकतवर है, आज वह किसी नारे से नहीं डिग सकती।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो मुझ से पहले बोल रहे थे उन्होंने कुछ बातें कहीं, उन तथ्यों के बारे में वे ही माननीय मन्त्री कहेंगे जो उन विभागों से सम्बन्धित हैं, लेकिन मैं भी राजस्थान में और हिन्दुस्तान में दूसरे हिस्सों में घूमता हूँ और देखता हूँ कि यदि कहीं राजस्थान के बाहर राजस्थान की प्रशंसा है तो इस बात से है कि जब राजस्थान का इन्टीग्रेशन हुआ था उस समय राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर उद्योगों के कितने संस्थान थे और आज राजस्थान में उद्योग कितना पनपा है। उस समय राजस्थान की मालि हालत क्या थी और आज राजस्थान की माली हालत क्या है? उस समय सिंचाई का क्षेत्र क्या था और आज क्या है? उस समय किसानों की हालत क्या थी और आज क्या है? उस समय मजदूरों की हालत क्या थी और आज क्या है? राजस्थान सरकार की यदि कहीं प्रशंसा है तो इसलिए है कि उन्होंने आम लोगों के लिये काम किया है।

कल एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि राजाओं के जमाने में जो लोग व्यापारियों के यहां तकड़ियां तोला करते थे वे ही लोग आज राज्य करने को बैठा दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, क्रांति में यही होता है, जहां-जहां क्रांति हुई है वहां यही परिणाम आया है। धरती पर खड़े आदमी ऊपर आये हैं और जो शासन-रूढ थे वे नीचे गिरे हैं। जमीन पर खड़े आदमी ऊपर आते हैं। यह तो एक प्रकार से सरकार की प्रशस्ति है, तारीफ है। आज तक जो लोग सुस्त बैठते थे, मजबूर थे उनको अवाज उठाने का अवसर मिला है और, अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में यही मुख्य चीज है कि सबको समान अधिकार और समान अवसर दिया है। हमने समान अधिकार और समान अवसर के लिये संघर्ष किया और जेल गये थे। इसी समान अधिकार के लिये ही सबने त्याग किया था। आजादी के संघर्ष का कारण यह नहीं था कि केवल अंग्रेज यहां से चले जायं, केवल यह नहीं था कि अंग्रेजों के बदले हिन्दुस्तानी लोग गद्दियों पर बैठ जायं, बल्कि यह था कि हिन्दुस्तानियों को पूर्णरूप से अवसर मिलना चाहिये, विकास का उनको मौका मिलना चाहिये, उनकी बहबूदी होनी चाहिये और सबसे अधिक हिन्दुस्तान के दबे हुए तबके, जो आज तक सामाजिक व्यवस्था के कारण दबे हुए थे, वे ऊपर आने चाहिये, वह सामाजिक व्यवस्थ

(श्री हरिदेव जोशी)

क्या थी दिल्ली में अंग्रेजों की हुकूमत थी और रियासतों में राजा-महाराजाओं की हुकूमत थी और उस राजनैतिक व्यवस्था में समाज के अमुक वर्ग के लोग या अमुक जातियों के लोग ही ऊंचे कहे जाते थे और दूसरी जातियों के लोग शूद्र और नीचे समझे जाते थे । आज उन लोगों को अपनी स्थिति जनता के सामने रखने का अधिकार मिला है । यही तो जनतंत्र है, यही तो समाजवाद की सबसे बड़ी बात है। इस चीज को कांग्रेस सरकार ने आम लोगों के सामने रखा है । यह उसी की बदौलत है कि आज जनता को उन लोगों के मुकाबले में, जिन्होंने सदियों से लोगों को एक प्रकार का शासन दिया था, हमने दूसरे प्रकार का शासन दिया और उसी के कारण कांग्रेस दूसरों के मुकाबले में बढ़ी चढ़ी है ।

कल विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा के उप-चुनाव में सरकारी साधनों का और गाड़ियों का उपयोग हुआ । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल्कुल गलत बात है । किसी मन्त्री ने और किसी व्यक्ति ने सरकारी साधन का उपयोग नहीं किया । यदि हम सरकारी साधनों का उपयोग करते तो महुआ में क्यों हारते ? यदि हम उन साधनों का उपयोग करते तो आप यहां कैसे होते? यदि हम सरकारी साधनों का उपयोग करते तो महारानी गायत्री देवी क्यों पार्लियामेन्ट में जातीं ? अध्यक्ष महोदय, जिस स्थान पर हम समझते हैं कि जहां हम जनता को कन्विन्स कर सकते हैं, समझा सकते हैं, वहां जीत कर आये हैं, और जहां हम जनता को कन्विन्स नहीं कर सके वहां हम हारे । यहां इस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिये, और हमारी कमजोरियों को ठीक करने का ज्ञान होना चाहिये । मैं समझता हूं कि राजस्थान में नये प्रकार की प्रगति हुई है और जनता ने महसूस किया है कि कौन उनकी तकदीर को ठीक बना सकता है. कौन अच्छा बना सकता है ।

(२. ०० म. प.)

इसलिए यह कहना उचित नहीं कि सरकारी साधनों का चुनाव में उपयोग किया गया । अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र के अन्दर मिनिस्टर्स और साधारण व्यक्ति का एक सा रोल हुआ करता है, और विशेष तौर से चुनावों के अन्दर, बल्कि पार्टियों के अन्दर मिनिस्टर्स पार्टी–लीडर की तरह काम करते हैं, साधारण व्यक्ति की तरह काम करते हैं । जिस तरह से मिलिट्री लेफ्टीनेन्ट अथवा दूसरे मिलिट्री ऑफिसर जनता के सामने जाकर जनता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उस तरह न जाकर कांग्रेस वर्कर कांग्रेस के सिपाही के रूप में जाकर काम करते हैं । एक पार्टी के वर्कर के रूप में जिस तरह विरोधी दल के माननीय नेता जाते हैं; वर्कर्स के बीच में बैठते हैं, उसी तरह हमारे मुख्य मंत्री अपने साथियों के पास जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं और धूल खाते हैं । और आप उनको काले झंडे दिखाते हैं, नारे लगाते हैं जिन्दाबाद और मुर्दाबाद के, वे सुनते हैं, उसके बाद भी अपनी फौज को बढ़ा कर ले जाते हैं । इससे उनकी लोकप्रियता साबित होती है । यह बात साबित होती है कि राजस्थान की जनता के लिए राज्य सरकार ने कुछ काम किया है ।

आज इस सदन में महंगाई, भ्रष्टाचार और दूसरी चीजों के बारे में, खास तौर स

(श्री हरिदेव जोशी)

तीन चीजों के बारे में कहा गया । ये वे ही बातें हैं, अध्यक्ष महोदय, जो भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में कही गई । मैं सोचता हूं, आखिर क्या कारण है ? क्यों सारे के सारे विरोधी दल एक दल होकर, सिवाय कुछ साथियों के, सामने आये ? उसका एक बहुत ही साइकोलॉजिकल कारण है, अध्यक्ष महोदय, और वह कारण क्या है ?....

एक माननीय सदस्य : यह, सिवाय कुछ साथियों के– कौन हैं, उनके नाम बता दें ।

श्री हरिदेव जोशी : आप थोड़ा शिष्टाचार बरतें । मैं आपके भाषण के बीच में नहीं बोला । मुझे सुनने की कोशिश करेंगे तो मैं आभारी होऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय, एक साइकोलॉजिकल रीज़न है. उसको समझने की जरूरत है । आज हिन्दुस्तान की राजनीति में एक तब्दीली आ रही है, दुनिया की राजनीति में एक परिवर्तन आ रहा है । राजनैतिक पार्टियों के अन्दर एक दौड़ हो रही है । अध्यक्ष महोदय, उस दौड़ के अन्दर कौन आगे बढ़े ? आज कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर दो तबके हैं, एक पार्टी के नेता स्वयंभू नेता हैं, जो अपने आपको लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि कहते हैं । उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव के ऊपर उन लोगों के साथ दस्तखत किये हैं, जिनके साथ उनका ताल-मेल नहीं बैठता है । यह एक ऐसी चीज है जो बतलाती है कि विरोधी दल ऑपोर्चु-निस्ट है, विरोधी दल किसी आधार पर मिल सकते हैं, किन्हीं चीजों के ऊपर गठबन्धन कर सकते हैं, अपने सिद्धान्तों को बलाये ताक रख कर, और हिन्दुस्तान की जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए काम करने की, अपने सिद्धान्तों की, मार्क्सिज़्म, लेनिनिज़्म की कोई परवाह नहीं उनको, अपने लिए वे समझौता कर सकते हैं । एक्सट्रीम राइटिस्ट स्वतंत्र पार्टी, कम्युनलिस्ट जनसंघ से समझौता कर सकते हैं । जिनके साथ व्यक्तिगत जीवन के अन्दर एक टेबल पर बैठ कर चाय नहीं पी सकते । अब वह चीज क्यों है ? वह इसलिए है कि वे हिन्दुस्तान के अन्दर आज एक प्रकार का वेक्यूम देखते हैं और उसके अन्दर वे छाना चाहते हैं, किन्तु उस वेक्यूम के अन्दर वे छा सकेंगे क्या ? वे अपना असर डाल सकेंगे ? और एक मिनट को मान लिया जाय कि वे किसी हालत में किसी तरह सफल होते हैं तो हिन्दु-स्तान और राजस्थान की बागडोर को चला भी सकेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के लोगों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं । मैं कांग्रेस के सिद्धान्तों के बारे में अपने आपको महदूद रखने की कोशिश करूंगा । सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जनसंघ के नेता ने आज यहां पर यह घोषणा की कि वे सहकारिता के खिलाफ नहीं हैं । वे केवल सहकारी कृषि के खिलाफ हैं । आखिर एक समय था जब कि हमने उनके एक्शन्स से, उनके अटरेन्सेज़ से यह महसूस किया था कि वे पूरे के पूरे सहकारिता के खिलाफ हैं । हमने उनका मेनिफेस्टो नहीं देखा, हमने उनका विधान नहीं देखा । मैंने उनका विधान मांगा था लेकिन मुझे कभी नहीं मिला । मैंने उनका पॉलिसी स्टेटमेंट मांगा था, वह नहीं मिला । लेकिन मैंने उनको जहां-जहां सुना वहां

(श्री हरिदेव जोशी)

सहकारिता के ऊपर हमला करते हुए पाया। और इसलिए मैं आज ऐसा महसूस करता हूं– 'देर आयद, दुरुस्त आयद' आज जनसंघ यह महसूस करता है और पब्लिक्ली यह कहता है कि वह सहकारिता के खिलाफ नहीं है। तो यह कांग्रेस का अचीवमेंट है। हम ऐसा समझते हैं कि वह दूर नहीं है, जब अभी जो यहां बैठे हुए साथी हैं, वे सहकारिकता का विरोध नहीं करते हैं सैद्धान्तिक तौर पर, यहां तक बैठे हुए लोगों ने महसूस कर लिया है कि सहकारिता को अपनाया जाना चाहिए। मैं महसूस करता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह हवा आगे बढ़ती जा रही है और वह दिन दूर नहीं है जब विरोधी दल के माननीय नेता को यह कहते हुए सुनेंगे कि सहकारिता बुरी चीज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, कोई अच्छी चीज अपने आपमें बुरी नहीं हो सकती है। साइफन सिस्टम के अनुसार पानी एक जगह एक अमुक ऊंचाई के ऊपर है तो दूसरी जगह पर भी निश्चित रूप से उतनी ही ऊंचाई पर जायगा। अगर कोई बाधा है तो उसे दूर कर देना चाहिए। सहकारिता के क्षेत्र में भी कुछ भ्रांतियां थीं, उसका परिणाम यह हुआ कि जनसंघ के नेता ने कहा, वह उसके विरोध में नहीं हैं। मैं ऐसा समझता हूं, कांग्रेस हुकूमत के द्वारा जो नीतियां निर्धारित की गई हैं, उन नीतियों के खिलाफ कल से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कुछ नहीं कहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जहां तक नीतियों का सवाल है, जहां तक पॉलिसी का सवाल है, the best policy is being followed by this Government, और उसको आगे भी फॉलो किया जाना चाहिए।

(विराम)

उसके अन्दर अगर किसी प्रकार की खराबी है, चाहे किसी मिनिस्टर के कारण से हो, चाहे किसी अधिकारी के कारण से हो, चाहे किसी स्वायत्त-शासन संस्था के द्वारा हो, उसको कोई टोलरेट नहीं करना चाहता है। अलबत्ता, आप उसको एग्जेजरेट करके कहें और डिस्टोर्ट करके कहें, गलत इन्फोर्मेशन के आधार पर कहें तो हम उनके अन्दर आपकी मदद नहीं कर सकते। कोशिश यह करते हैं कि आपके भ्रम को दूर करें, यदि आप मानें तो आपकी इच्छा की बात है, और आप न मानें तो आपकी इच्छा की बात है।

अध्यक्ष महोदय, कल विरोधी दल के माननीय नेता ने मेरे बारे में कुछ कहा। मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि उन्होंने गलत इन्फोर्मेशन के आधार पर कुछ कहा था, गो कि उन्होंने जो कुछ कहा उसमें मैं ऐसी कोई बात नहीं देखता, सिर्फ मेरे भाषण के एक सेन्टेन्स को उठा कर कुछ कहा। लेकिन मुझे जो कहना है वह यह है कि मैं कुछ स्थानों पर गया, उदाहरण के तौर पर माल नाम के गांव में गया था। वहां मुझे लोगों ने कहा था कि हमारे एम. एल. ए. साहब हैं वे चुनाव से पहले यहां आये थे तब कहा था कि स्कूल पूरा करवा दूंगा, लेकिन स्कूल पूरा नहीं हुआ है, हमारी यह शिकायत दूर होनी चाहिए। मैंने कहा, मैं तो एक महमान के रूप में आया हूं और कल चला जाऊंगा। आप अपने एम. एल. ए. को कहें, वे मुख्य

Page No. 68

(श्री हरिदेव जोशी)

मन्त्री से बातचीत करेंगे, वे मिलते रहते हैं और कहते रहते हैं, इस सम्बन्ध में कह देंगे तो पूरा हो जायगा। मैंने इसमें कोई बुरी बात नहीं कही। वे उनके प्रतिनिधि हैं, मैं इशारा करके कह दूं कि उनसे कह दें वह कह देंगे तो इसमें बुराई की बात नहीं है। मैं अपनी पार्टी के लिए कहता हूं, आज चुनाव का मौका नहीं है लेकिन जब वोट मांगने के लिए जाते हैं, और किसी को कहूं कि कांग्रेस को वोट दीजिये और मैं आपका यह काम कर दूंगा। तो मैं इसमें बुराई नहीं देखता। मैं प्रतिष्ठा देखता हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने उसी प्रकार जाता हूं जिस प्रकार आप जाते हैं, और हम एक मकान में ठहरते हैं, एक ही रेलगाड़ी में चलते हैं और एक ही गांव के अन्दर दो जगह भाषण देते हैं। आप कहते हैं, स्वतन्त्र पार्टी को वोट दो। हम कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दो। इसमें गुनाह क्या है आखिर ? इसलिए आपको इस बात के लिए मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए; बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि आपको खुशी होनी चाहिए कि कहां तक मैं अपनी पार्टी के लिए काम करता हूं। मैं आपकी कॉन्स्टीट्यूएंसी में जाकर कहता हूँ तो आप मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में जाकर कहते हैं कि स्वतन्त्र पार्टी को वोट दो। इसमें बुराई की बात क्या है ? मैं नहीं समझ सकता। विरोधी दल के माननीय नेता, जो कि विरोधी दल के नेता हैं, जिनकी डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी हैसियत होती है उन्होंने इस बात को बुरा क्यों माना है ?

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक शिकायत आई, जब मैं गया, तो वहां पर शायद भैरोंसिंह के शागिर्द थे, उन्होंने पांचजन्य, एक अखबार निकलता है, उसको लाकर मुझसे कहा, काश्मीर के बारे में सीकर में आपने अमुक भाषण दिया है। इसकी उन्होंने शिकायत की।

जनसंघ के सेक्रेटरी साहब, एक जगदीश प्रसाद माथुर हैं, उन्होंने कहा कि आपने स्टेटमेंट दिया जो देश के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने उनसे यही कहा कि मैं इस प्रकार की बातों में नहीं पड़ना चाहता। मैं समझता हूं कि इस चीज़ की आपको जानकारी तक नहीं होगी और उसके बारे में आपको ज्ञान तक नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सी बातें ऐसी हुआ करती हैं जिसकी पूरी जानकारी न हो इसलिए मैं यह कहूंगा कि जिसके बारे में आपको सही जानकारी न हो, जिसके विषय में तथ्यों का पूरा ज्ञान नहीं हो तो आप मुझसे पूछ लेते। मैं सही तथ्य आपको बता देता। मुझे आपको बताने में कोई ऐतराज नहीं था। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा में कई ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिनकी जानकारी अधिकतर माननीय सदस्य को नहीं होती और जब आपको तथ्यों की सही जानकारी नहीं हो, तो उसकी सही जानकारी के लिए आपको चाहिये कि सम्बन्धित लोगों से बात कर लें आपको सही जानकारी हो जाएगी और बहुत सी बातें अपने आप साफ हो जावेंगी।

आज इस बात को लेकर कि अमुक प्रकार का भ्रष्टाचार राजस्थान में फैला हुआ है कई बातें कही गई और उसके साथ-साथ

(श्री हरिदेव जोशी)

दूसरी चीजों के बारे में भी कहा गया । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बम्बई गया था। वहां पर मैं कई लोगों से मिला। उन लोगों की हमारे मुख्य मन्त्री सुखाड़ियाजी के प्रति बहुत अच्छी राय है । मैं प्रादेशिक कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मीटिंग अटेन्ड करने के लिए भोपाल गया था। वहां पर भी मुझे कई लोगों से जो मध्य प्रदेश से आए थे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनसे मेरी बातचीत हुई । वे लोग हमारे मुख्य मन्त्री सुखाड़ियाजी के बारे में हमसे सुनने के लिए बहुत लालायित थे । उन लोगों की हमारे मुख्य मन्त्री के प्रति बहुत हाई ओपिनियन है और वे ऐसा महसूस करते हैं कि राजस्थान की जनता सुखाड़ियजी के शासन में बहुत सुखी हैं। वे यह महसूस करते हैं कि सुखाड़ियाजी प्रान्तों के उन मुख्य मन्त्रियों में से हैं जिनके शासन-काल में राजस्थान की काफी उन्नति हुई है और राजस्थान काफी आगे बढ़ा है। मैं यह कहूंगा कि दूसरे लोग हमारे मुख्य मन्त्री के प्रति कितनी हाई ओपीनियन रखते हैं चाहे वे पंजाबी हों, गुजराती हों या मध्य प्रदेश के रहने वाले हों। उन सभी लोगों के अन्दर इस प्रकार की भावना है कि हमारे मुख्य मन्त्री सुखाड़ियाजी राजस्थान के सफल मुख्य मन्त्री हैं । आप कहीं भी बाहर के लोगों से बात करें तो आपको यही चीज मिलेगी और आप यही चीज पावेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस की जो नीति है वह सफल नीति है और यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस समय राजस्थान बना उस समय कोटा शहर की जो स्थिति थी वह क्या थी ? उसको आप जानते ही हैं और अब कोटा शहर की क्या हालत है उसको भी देखिये।

जिस समय राजस्थान बना था उस समय कोटा शहर में एक भी चिमनी से धूंआ नहीं निकलता था। मगर आज के दिन कोटा एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है। इसी तरह से आप जयपुर को देख रहे हैं। राजस्थान बनने के समय जयपुर क्या था और यहां पर कितना लेबर काम करता था और आज जयपुर क्या हो गया है और कितना लेबर काम करता है ? आज इसका क्या कारण है ? इसका एक ही कारण है कि यहां पर पिछले १० वर्षों में स्थाई कांग्रेस शासन रहा है। जब कि हिन्दुस्तान में दूसरे प्रदेशों में हकूमतें बिगड़ी और बनी है। मगर राजस्थान की कांग्रेस ने राजस्थान को स्थाई शासन दिया और इसका ही यह परिणाम है कि हमारे यहां उद्योग, शिक्षा आदि में काफी उन्नति हुई और उस पर हम गर्व कर सकते हैं। और मैं यह कहूंगा कि इन सारी चीजों पर राजस्थान को किसी दिन पछताना नहीं पड़ेगा, राजस्थान इसके लिए गर्व ही कर सकेगा। मैं पिछले दिनों कई बिजली अधिकारियों से मिला। उन्होंने बताया कि आज राजस्थान में जितनी बिजली पॉवर हाउस पैदा करते हैं उतनी ही बिजली खर्च हो जाती है। मगर राजस्थान बनने से पहले यहां पर जितनी बिजली पैदा होती थी वह सारी की सारी कन्ज़्यूम नहीं होती थी और हर समय अधिकारियों को यह शंका बनी रहती थी कि अगर ज्यादा बिजली पैदा की जाएगी तो वह कन्ज़्यूम कैसे हो सकेगी ? इसके मायने क्या हैं ? इसके मायने स्पष्ट हैं कि राजस्थान

(हरिदेव जोशी)

उद्योग-धन्धों में आगे बढ़ रहा है और हम यह देखना चाहते हैं कि राजस्थान आगे से आगे उन्नति करता हुआ और आगे बढ़ता हुआ चला जाए, राजस्थान का विकास हो। मगर यह एक तरफ की कोशिश से नहीं हो सकता। इसके लिए सबको सामूहिक सहयोग देने की आवश्यकता है। मगर आज हम यहां पर देखते हैं और मेरी यह शिकायत है कि जिस नुक्ते निगाह से सारी चीजों को अपोज़िशन पार्टी के सदस्यों को देखना चाहिए उस नुक्ते निगाह से नहीं देखते हैं। आज बातों को अपोजिशन छोटी-छोटी बातों को लेकर विरोध करता है। आज फूड की प्रोब्लम को लेकर विरोधी दल कहते हैं कि हमने जान-बूझ कर फूड की स्थिति को डिटीरियोरेट करने की कोशिश की है। पुलिस और दूसरे कई अन्य मामलों को लेकर कुछ कहते हैं और इन छोटी छोटी चीजों को केपिटल बना कर राजस्थान में एक प्रकार का केऑस पैदा करना चाहते हैं। आज राजस्थान की दो पोलिटिकल पार्टीज़ ने एक दूसरे से मिल कर आज नई पार्टी पैदा की हुई हैं....

एक माननीय सदस्य : उन्होंने संयुक्त दल बनाया है।

श्री हरिदेव जोशी : इस पार्टी ने इस बात की पूरी कोशिश की कि राजस्थान में काम-काज बन्द कर दिया जावे। उनको तो कहीं न कहीं टिकना है, क्योंकि आज उनके पास काम करने को नहीं है। आज अगर मन्डियां बन्द होती है और अनाज नहीं मिलता है तो सरकार दोषी, अगर बाहर से आने वाला अनाज नहीं आता तो उसके लिए लिए सरकार दोष। सबसे बड़ी खूबी की बात यह कि हर तरह से जनता को बहकाना। यह बात स्वतन्त्र पार्टी ने नहीं अपनाई केवल एक ही पार्टी ने अपनाई क्योंकि वे रेस में आगे आना चाहते है। वे यह बताना चाहते हैं कि उनकी पार्टी की भी कोई पोलिटिकल ताकत राजस्थान में हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि दोनों पार्टियां मिली हैं उनमें से कौन ताकतवर है, यह दोनों पार्टीज़ आपस में जानती हैं। मगर किस प्रकार से उनका निश्चय पूरा हो, इसलिए वे एक हैं और यह साइकोलोजिकल फैक्ट है कि इस तरह से मस्टर करने वाली पार्टीज़ सारी की सारी एक्सपेल होने वाली हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पोलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है वह किसी भी देश और राजस्थान को आगे नहीं बढ़ाता है। इससे पोलिटिकल पार्टीज़ जनता की निगाहों से गिरती हैं। आपके 'भारत बन्द' आन्दोलन के लिए १० हजार वॉलन्टियर को रिक्रूट करने का आश्वासन दिया गया। लेकिन आज उसका १।१० व्यक्ति भी आप वॉलन्टियर्स मुहैया नहीं कर सके। यह साफ जाहिर करता है कि जनता आपको कितना चाहती है? अगर आपको जनता चाहती तो आपको १० हजार वॉलन्टीयर्स मिल जाते। आपको पब्लिक ने क्यों ठुकराया? आपने प्रदर्शन किया और भाषण दिये तो जनता क्यों नहीं आपको सुनने आई? राजस्थान में जयपुर जैसे शहर में जिसकी आबादी ५ लाख है जिसमें एक कांग्रेस से निकले हुए बुजुर्ग को आप अपने साथ में ले सके....

एक माननीय सदस्य : निकले हुए या आप द्वारा निकाले हुए?

श्री हरिदेव जोशी : आपने मीटिंग की। लोगों को इस बात का पता भी नहीं

(श्री हरदेव जोशी)

चला कि जयपुर के बाजार में क्या कोई मीटिंग हुई है ? क्या इसी जन-बल के आधार पर, इसी पब्लिक के आधार पर आप यह महसूस करते हैं कि आप राजस्थान विधान सभा में आकर शासन कर सकेंगे ? मगर जनता इस बात को जानती है कि उसका हित कौन कर सकता है। वह यह भी जानती है कि उसका हित कांग्रेस ही कर सकती है। क्या आप इस प्रकार की बातें करके यह चाहते हैं कि मैं राजस्थान सरकार के खिलाफ आपका साथ दूं ? यह असम्भव है।

एक माननीय सदस्य : आज नहीं तो एक साल बाद आ जायेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : इसी पार्टी के सदस्य को करप्शन के मामले में हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने विधान सभा में बैठने से डिबार कर दिया। यह बात मैं आपको नहीं कहता लेकिन यह फैसला है राजस्थान की हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का।

(२.१८ म०प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैंने नहीं कहा है, हाई कोर्ट ने उसको सदन के अन्दर बैठने से डिबार किया है। यह नई पार्टी का क्रेडिट है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस प्रकार के जजमेंट तो कांग्रेसियों के लिए सैकड़ों हुए हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप उसके लिए गद्दी छोड़ कर चले जावेंगे ? मैं समझता हूं कि आप गद्दी छोड़ कर नहीं चले जावेंगे।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यदि कोई पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो तो आप एक एक करके कहें।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो कोई पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें नई पार्टी के सदस्य को करप्शन में विधान सभा से डिबार किया गया है।

एक माननीय सदस्य : रामरतन कोई सोशियलिस्ट पार्टी के नहीं थे।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं ...

(शोरगुल)

श्री मानिकचन्द सुराणा : कुछ तो शर्म करो।

(शोरगुल)

श्री हरिदेव जोशी : तो आपको बुरा लग सकता है, पर मैं नहीं कहता....

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : खादी वाले 'खादी वाला' को भूल गये क्या ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऐसा लगता है कि वे अखबार पढ़ते नहीं, न उन्हें राजनीति का ज्ञान है, न चुनाव पिटीशन्स का ज्ञान है। ऐसे आदमी को कांग्रेस पार्टी ने बोलने के लिए खड़ा कर दिया ! बड़ी शर्म की बात है....

(शोरगुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : पद्मावती बस सर्विस वाला मामला बता दूं। ....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यदि कोई पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन हो तो उसे उठायें, पर इस प्रकार से बीच में हस्तक्षेप करने से सदन का स्तर नीचे गिरता है। आपको भी बोलने का चान्स मिलेगा, उस वक्त आप कह सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष, वे तो इस तरह से प्रजातन्त्र की रक्षा कर रहे हैं। मेरा निवेदन करना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी पार्टी के सदस्य नहीं कह रहे हैं, मेरी पार्टी के मिनिस्टर नहीं कह रहे हैं, यह तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम सैकड़ों फैसले ऐसे बताने को तैयार हैं....

(शोरगुल)

On a point of order, Sir. इस सदन के भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री श्योपतसिंह के खिलाफ जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं ऐसे सैकड़ों फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इनकी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के खिलाफ हैं, उनके आधार पर यदि गद्दी छोड़ने को तैयार हों और कदम उठाने को तैयार हों तो मैं १५ वॉल्यूम्स इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स के हैं उनको सदन में पेश करने को तैयार हूं। ये न वकील हैं न इनको कानून का ज्ञान है। एक फैसला श्योपतसिंह के खिलाफ हो गया उसको इस तरह बढ़ा-चढ़ा कर कह रहे है, ऐसे आपकी पार्टी के सदस्यों के खिलाफ सैकड़ों फैसले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : This is no point of order. मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि एक पक्ष से एक बोलें, दूसरे पक्ष से जब बारी आये तो वे बोलें। पर्लियामेंट्री पद्धति को फॉलो करें। यहां आपको भी चान्स मिलेगा। आखिर जनता देख रही है। दूसरे भी देख रहे हैं। हमारा भी एक स्तर है। विवाद भले ही चलें पर अच्छे स्तर पर हों।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस तरह की बेसलेस चीजें सदन की प्रोसीडिंग्ज़ में लाने की ये कोशिश कर रहे हैं, इनको रोका जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जब आप बोलें तो आप जो बातें रखना चाहते हों रखें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इस तरह की बेसलेस बात रख रहे हैं। उन्हें कानून का ज्ञान नहीं। इस तरह के सैकड़ों फैसले उनकी पार्टी के सदस्यों के खिलाफ मैं रखने को तैयार हूं, क्या वे गद्दी छोड़ने को तैयार हैं?

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय....

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय सदस्य इतना और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस फेक्ट पर करप्ट प्रेक्टिस कहा है, वह फेक्ट कौन सा है?

श्री हरिदेव जोशी : वह पब्लिक डोक्यूटमेंट हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और इस लिए उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। मुझसे पहले आपने देखा है। जिन फेक्ट्स को मैं कहता हूं आप डिनाई नहीं करते हैं और मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे पहले तो आपने देखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप छिपाने की कोशिश क्यों करते हैं? उस स्टेन्डर्ड से आप अपनी पार्टी के सदस्यों के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हैं क्या जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने इस प्रकार के फैसले किये हैं? उन्होंने एक पर्चा निकाला कि चौधरी रामचन्द्रसिंह ने सरकारी सीमेंट को अपने काम में ले लिया, यह सही साबित नहीं हो सका; इस आधार पर उनका जो पर्चा निकाला उसको गलत माना है, यह आधार करप्शन का है। अगर यही करप्शन का आधार मानते हैं तो अपने दिल पर हाथ रख कर देखिए कि आपके मंत्री, आपके दल के सदस्य उस करप्शन से कितने ऊंचे उठेंगे

श्री हरिदेव जोशी : क्या पर्चा निकाला, इसका मुझे पता नहीं। किसने निकाला, यह भी नहीं कहता। मैं तो यह कहता हूं कि आपकी पार्टी मेम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन का वर्डिक्ट देकर फ्रेन्चाइज़ से डिबार किया या नहीं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of order, Sir...

श्री हरिदेव जोशी : हिन्दुस्तान के नागरिक को जो अधिकार हैं उस अधिकार से वंचित किया है या नहीं?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑडर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हाउस को मिस्लीड कर रहे हैं। पर्चा यह था कि श्री रामचन्द्रसिंह चौधरी ने सीमेंट का उपयोग अपने सिनेमा और कोठी के लिये किया। मैं चैलेंज करता हूं, सीमेंट का सिनेमा और कोठी के लिए उपयोग किया है। आप इन्क्वायरी करा लें। मैं चौधरी रामचन्द्रसिंह के खिलाफ साबित कर सकता हूं; श्योपतसिंह नहीं रामचन्द्रसिंह करप्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : Now that is a speech. That is not desirable.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज अगर आप चाहें तो जांच करा लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण प्रारम्भ नहीं करें।

श्री हरिदेव जोशी ; आप क्यों परेशान हो रहे हैं ? मैंने कब कहा कि पर्चा किसने निकाला, कब निकाला। मैंने तो यह कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डमोक्रेसी का सबसे बड़ा अधिकार फ्रैन्चाइज़ है उससे आपकी पार्टी के सदस्य को सुप्रीम कोर्ट ने डिबार किया है। क्या आप इससे इन्कार करते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप उस स्टैन्डर्ड को, नैतिकता और ईमानदारी के उस स्टैन्डर्ड को मानने को तैयार हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपॉच्युनिटी थी कोर्ट ऑफ लॉ में जाने की। मैंने और मेरी पार्टी ने उस अपोच्युनिटी को अवेल किया और आपकी पार्टी का एक सदस्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा करप्ट डिक्लेअर किया गया Your member is declared corrupt. जिस पार्टी के सदस्य को करप्ट डिक्लेयर किया गया है वह भी बढ़ बढ़ कर एक प्रकार से हम पर हमला कर रही है। इसलिये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं। इसलिए विरोध करता हूं........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिस पर्चे पर श्योपतसिंहजी को करप्ट कहा गया है उस पर्चे की जांच कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य की परेशानी को मैं नहीं मिटा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, उसकी जो परेशानियां हैं उनको मिटाने का आधार मेरे पास नहीं है। उनकी परेशानी कहीं दूसरी जगह है, उनका इलाज कहीं दूसरी जगह है। आज हनुमानगढ़ की जनता ने उनकी जोर-जोर से लगाई हुई आवाज को नहीं सुना। इसका मेरे पास में क्या इलाज है ? मैं केवल दया कर सकता हूं, उनकी दशा पर मेरी पार्टी रहम कर सकती है, मैं सहानुभूति रख सकता हूं और मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिए मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान !

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री हरदत्तसिंह (नौहर) : हरिरामजी, आप फिर बोल लेना।

श्री हरिराम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, ये चाहते हैं कि इन्हें पहले बोलने दिया जाय। मैं फिर बोल लूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : (कृषि मंत्री) : एक दफा नाम कॉल कर दिया गया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह कैसे हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please All-right i Shri Hardutta Singh ! Does not matter.

श्री हरदत्त सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पार्टियों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। कल से जो बहस चल रही है उसमें शासक दल की ओर से.......

श्री उपाध्यक्ष : मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि कुछ भी बात हो इधर से अथवा उधर से, वह पार्लिममेन्ट्री ढंग से कही जाय। चाहे वह तीखी भी हो तो भी सुनकर अपना जब अवसर आए तब कहने का प्रयत्न करें। अगर किसी बात को रिफ्यूट करना हो तो पॉइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन उठाकर कह सकते हैं। किन्तु यदि एक साथ सब उठ कर बोलने लगेंगे तो उससे कोई व्यवस्था का ढंग भी नहीं रहेगा और न ही इस सदन का स्तर ऊंचा रह पाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन का स्टैन्डर्ड मेन्टेन करना माननीय सदस्यों के हाथ में है और जिस पार्लियामेंट्री पद्धति से वाद विवाद होना चाहिये उसी ढंग से करने की कोशिश करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य ; (उपमंत्री-गृह) : हमको आप बीच में रोक करें ताकि हम नियंत्रित रहें ।

श्री उपाध्यक्ष : रोकने से परे चले जाते हैं ।

श्री हरदत्तसिंह : शासक दल की ओर से जिन माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं उनमें इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध दो-तीन बातों को लेकर किया है। पहला आधार यह है कि कांग्रेस ने सामन्तशाही और जागीरदारी को खत्म किया इसलिए कांग्रेस को सत्ता में रहना चाहिए। दूसरी बात जो कही गई कि कांग्रेस ने हरिजनों का उत्थान किया इसलिए कांग्रेस को शासन में रहना चाहिये और तीसरी कुछ दबी आवाज में डेवलपमेंट का नाम लिया गया है। जहां तक सामन्तशाही का सवाल है वह जा चुकी, जागीरदारी जा चुकी और उसके आधार पर अगर कांग्रेस भविष्य में लीज़ मांगती है, तो जब वह अख्त्यार नहीं है तो लीज़ मांगने का उसे अख्त्यार नहीं है। जहां तक हरिजनों का सवाल है, एक हरिजन सदस्य महोदय से यहां कहलवाया गया कि कांग्रेस ने हरिजनों का कल्याण किया और जब तक एक भी भंगी का नाम रहेगा वह कांग्रेस का साथ देगा। लेकिन माननीय सदस्य इस बात को भूल गये कि श्री हरिराम चौहान माननीय सदस्य इधर बैठते हैं, कांग्रेस के विरोध में बैठते हैं। इसके अलावा वे इस बात को भूल गए कि हरिजन सदस्यों की तादाद इधर ज्यादा है बजाय कांग्रेस पार्टी के।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : हरिराम भंगी के लिए कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : A member can rise only on a point of information.

Page No. 76

श्री हरदत्तसिंह : जहां तक जनतन्त्र का सवाल है, वह एक शासन प्रणाली है। जब तक जनता में उसके लिए आस्था कायम रहेगी तब तक जनतन्त्र कायम रहेगा। रोम में जनतन्त्र का शासन था। रोम हमारी तरह अहिंसा में विश्वास नहीं करता था। वहां जूलियस सीज़र ने जनतन्त्र के लिए खतरा पैदा किया तो कुछ नेताओं ने जनतन्त्र की रक्षा के लिए अपने एक माननीय नेता की हत्या कर दी और जूलियस सीज़र को खत्म कर दिया। उसके बाद में एक ताजा इतिहास की याद दिलाना चाहता हूं जो शासक पार्टी की ओर से बैठते हैं इस जनतन्त्र की रक्षा के लिए उनको। चर्चिल ने हिटलरशाही को यूरोप में फैल जाने से रोकने का भारी प्रयत्न किया। इसके बाद इंग्लैण्ड के लोगों ने चर्चिल को दूसरा चांस नहीं दिया और उसको फेल होना पड़ा। जिसने अपने राष्ट्र के लिए ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय रक्षा के लिए भी बड़ा प्रयत्न किया। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी हमारे देश में जनतन्त्र की भावना इतनी मजबूत नहीं हो पाई है कि पुराने किए हुए कामों के लिए गांधी और नेहरू की प्रपस्या के लिए फिर लीज़ मांगी जाय। मैं तो यह कहता हूं कि कांग्रेस के पास पुरानी बातों के अलावा एक नीति है, एक कार्यक्रम है। वह नीति यह है कि उसे निरन्तर तौर पर, निरंकुश शासन की सत्ता की भूख है जिसके लिए परमानेन्ट पट्टा वह जनता से चाहती है इसके अलावा कोई लक्ष्य उनके पास नहीं है।

कल कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बहस की गई उसमें मुद्दा एक बात पर ही रहा कि विरोधी पक्ष की ओर से हुई बहस में उनको निम्न स्तर नजर आया, तो जैसा काम होता है उसी स्तर की आलोचना होती है। अगर शासक दल निम्न स्तर के काम नहीं करता तो निम्न स्तर की आलोचना नहीं होति। लेकिन जिस तरीके से काम किए जाते हैं उसी तरह की आलोचना होती है। तुलसीदासजी ने भी कहा है :

"जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन
देखी तैसी।'

अपने अन्दर जैसी भावना है वैसे ही सारे संसार के अन्दर देखने में आएगी। जहां तक कांग्रेस के इस मुद्दे का सवाल है कि उन्होंने स्टेट्स की स्थायी हुकूमत दी, अब तक के लिए हम इस बात को मानते है, लेकिन जैसा विधि मन्त्री कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वह विश्वास जनता में अपनी जगह खो बैठा है। आज कांग्रेस के प्रति आम लोगों का विश्वास नहीं रहा। इसका और सबूत आपको क्या दूं राजस्थान की तमाम विरोधी पार्टियां, एक्स्ट्रीम राइट से लेकर एक्स्ट्रीम लेफ्ट तक आपके खिलाफ हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि फ्रस्ट्रेशन है दोनों साइड्स में है। एक फ्रस्ट्रेशन इकोनोमी साइड में है। जनता में आज इस तरह की निराशा है कि जिसे आप फ्रस्ट्रेशन कहते हैं उसका कारण आपकी इस तरह की ढिलमिल नीति है। आपने इस देश में बड़े-बड़े सुख और आराम के वायदे किए और ख्वाब दिखाए और जनता ने उन ख्वाबों को देख कर आपको तीन बार मौका दिया। आपकी पिटारी ने जनता को पांच सांप दिखाए हैं, वे हैं, बेरोजगारी, मंहगाई, भुखमरी, पक्षपात

(श्री हरदत्तसिंह)

और करप्शन और पांचों सांपों की जहरीली हवा जनता की भावनाओं को खत्म कर चुकी है। इसलिए जनता में राजनैतिक तौर पर और इकोनोमिक तौर पर फ्रस्ट्रेशन है। आप बार बार इस बात की आलोचना करते हैं कि राइट और लैफ्ट एक होकर बैठें। अगर किसी गांव में डाकुओं का हमला होता है तो उस समय सारे गांव के लोग एक होकर साथ में; चाहे चौकीदार चाहे जागीरदार, उन डाकुओं का मुकाबला करें और आप कहें कि ये इकट्ठे क्यों हो गए, तो यह किस तरह की दलील है ?

सबसे अच्छी बात आप कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया। आपने अरबों रुपए योजनाओं पर खर्च किये, खेती की पैदावार बढ़ाने के कार्य किए, लेकिन आपका आंकड़ा विभाग कहता है कि आपकी खेती की पैदावार बहुत नीचे चली गई।

फिर आपने वह रुपया क्यों बरबाद किया ? देश के करोड़ों रुपये बर्बाद किए, यह तो वही बात हुई कि कोई कारीगर कहे कि लाख रुपये लगाकर मैंने यह बंगला बनाया है लेकिन उस बंगले कि छतें चू रही हैं, लटक रही हैं, तो फिर क्या बंगला बनाया ? आपने जनता को रोटी देने के लिये कहा। अमेरिका गए और भीख मांगी और वहां से ६० लाख टन गेहूं आपके मांगने से आता है दान में लेकिन आपमें इतनी भी योग्यता नहीं है कि आप उस दान में आये हुए गेहूं के वितरण की भी व्यवस्था कर सकें। अमेरिका गैर मुल्क है, हमसे उसका सम्बन्ध नहीं है। लेकिन हमको भूख से बचाने के लिए वह लाखों मन गेहूं हमको दे रहा है; लेकिन आप बन्दरगाहों से लाकर भी उसका ठीक प्रकार से वितरण नहीं कर सकते और बांटने में भी इतना करप्शन। मिसाल के तौर पर कह सकता हूं कि गंगानगर में एक आध तहसील को छोड़ कर ८ आना बोरी रिश्वत लेकर अफसरों ने लोगों को दी। भूखों के साथ खिलवाड़ किया जाय और ऊपर से यह कहो कि यह दिया। बात यों आती है, जैसे सिख गुरुद्वारा के पास कोई भी आदमी गया। कहा भूखा हूं। तो उसे कड़ा प्रसाद दे दिया। कहा प्यासा हूं, पानी पीने लगा। जब पानी पीने लगा, तो हलुआ एक हाथ से पीठ के पीछे कर लिया और एक हाथ से पानी पीने लगा, तो पीछे कुत्ता खड़ा था वह हलुआ खाने लगा। जब हलवा खाने लगा तो उसका हाथ हिलने लगा और उससे उसके हाथ से पानी बहने लगा। आपकी भी वही हालत है। अमेरिका से अनाज आया और आप उसका प्रबन्ध नहीं कर सके।

गंगानगर को सबसे ज्यादा अनाज की जो किस्म है, जो लोगों को सप्लाई किया जाता है वह है चना। गंगानगर का चना बम्बई जाता है, कलकत्ता जाता है। चने की काश्त वक्त आया तब आपने उस चने को निकाल दिया। १।३ चना अपने पास कोई व्यापारी रख कर ही निकास कर सकता था। नतीजा यह हुआ कि अंधाधुन्धी' माल का बाहर निकास किया, अफसरों को रिश्वत दी और कागजों में झूठे इन्द्राज दिखाकर चना बाहर भेजा और उसके परिणाम स्वरूप वहां पर ३५) मन चने की कीमत हो गई। काश्तकार को चने की जरूरत थी वह चना उसको ३५)रु० मन में लेना पड़ा। पंचायत समितियों ने काश्तकारों को बीज वितरण किया तो ३५) दो आने मन के भाव में किया। लेकिन

(श्री हरिदत्तसिंह)

इसके बाद जब काश्तकार बीज बो चुकता है, चने की जरूरत समझी आपने। चने में १।४ पैदावार चली जाती है और ३।४ खाने के काम में आता है, चना आम लोगों के लिए नहीं है, पशुओं के लिये है। जब किसान को उसकी जरूरत थी आपकी समाजवादी सरकार ने, आपकी किसानवादी सरकार ने उसके निर्यात को खोल दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि उसको ३५ रु० २ आ. मन लेकर चना बोना पड़ा और जब बीज का वक्त चला गया तो आपने उसका बाहर जाना बन्द कर दिया। आज वही चना २०)रु० मन है। जब किसान के खलिहान में होगा तो आपकी इस दूषित नीति के कारण उसको १२)रु० मन मिलेगा और जब आपका साहूकार से मिलाप हो जायगा तो आप उसकी निकासी खोल देंगे और फिर वही ३०), ३५) मन हो जायगा। क्या आपको यह बहुत किसान को राहत देने की है? बातें तो नीति करते हैं लेकिन परिणाम में साहूकार।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने, जो कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट हैं, बड़े गर्व के साथ कहा कि हनुमानगढ़ के चुनाव में लोगों ने हमारे हक में फैसला दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस बात को मानता हूं कि वहां कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई। लेकिन इसके साथ साथ यह भी उनको नहीं भूलना चाहिये था और कहना चाहिये था, उनकी जीत तब हुई जब उनके उम्मीदवार के नाम से १३५ जीपें चलती थीं। कायदे के माफिक ६॥ हजार से अधिक रुपये खर्च नहीं कर सकते। १३५ जीपों का किराया हो लाखों होता है, केवल ६६ हजार तो पेट्रोल का खर्च किया है। कानून और विधान का सरे आम उल्लंघन किया है और सदन में आकर फक्र करते हैं कि जनता ने हमारे हक में फैसला दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत बातों में नहीं जाना चाहता लेकिन, माननीय मुख्य मंत्री, गृह मंत्री और जो जिम्मेदार मंत्री हैं ये चाहें कि मैं उनका नाम दूं तो मैं नाम भी दे सकता हूं कि हनुमानगढ़ इलेक्शन के अन्दर सरकारी कर्मचारी जो उस इलाके का था, राजस्थान में कहीं भी पोस्टेड था उसको वहां बुलाया गया, उसके द्वारा उसके रिश्तेदारों पर, उसके घर वालों पर और पड़ौसियों के ऊपर हर प्रकार से दबाव डलवाया गया, इसीलिए वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई, लेकिन आप यह कहें कि कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है तो यह गलत है। आप शासनारूढ़ हैं इसलिए आपकी मशीनरी के कारण जीत हुई है। वह आपकी जीत नहीं है, आपकी मशीनरी की जीत है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला गंगानगर की हर तहसील में चीनी का कोटा बंधा हुआ है, २९० बोरी चीनी प्रति तहसील बंधी हुई है लेकिन सितम्बर का कोटा जो इस चुनाव के वक्त आया, उस समय सरकार ने क्या महरबानी की कि सब तहसीलों को ७५-७५ बोरी कम दिया और इस कारण ६०० बोरी चीनी बचा कर हनुमानगढ़ के इलेक्शन में कांग्रेस को वोट देने के नाम पर वितरित की गई। कांग्रेस की जीत हुई लेकिन वह जीत तो कोटे और परमिट की जीत है।

(श्री हरदत्तसिंह)

जितने भी ट्रक और बसें उस इलाके में चलती हैं, आपको ध्यान में होगा अन्यथा मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजपत्र में उस क्षेत्र के रूट्स के नेशनलाइजेशन का नोटिफिकेशन निकल चुका था और उस सम्बन्ध में उनसे एप्लीकेशन्स भी मांगी जा चुकी थीं लेकिन उसके विपरीत ट्रकों और बसों के मालिकों को बुला कर सरकार ने, उसके कर्मचारियों ने कहा कि नेशनलाइजेशन रूट्स का नहीं होगा। अगर कांग्रेस को सौंप दें इलेक्शन में, इसलिए जितने भी बसेज़ और ट्रक्स के मालिक थे उन्होंने कांग्रेस को सौंप दी, १०० बसेज़ और १०० ट्रक्स थे। इतना काफिला तो चीन का सामना करने के लिए ले जाते तो मुंह की नहीं खानी पड़ती। दूसरों के सामने जाने के लिए तो मांगना पड़ता है और घर में तो उलटा सुल्टा कुछ भी कर लो।

हनुमानगढ़ में बाढ़ आयी हुई थी। मकासर के मोगे चल नहीं पाते थे। बाढ़ का पानी प्रवाह में था। उसमें क्या होता है कि आराजी मोगा मकासर इलाके में दिये जाते तो पानी खेतों में जा सकता था। निष्पक्षता की तो हद ही हो गई। खूब किया आपने! दौलतरामजी हंसते हैं। कुबूल कर रहे हैं, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हमारे मोगे तो आपने कटवा कर फिंकवा दिये क्योंकि टेम्प्रेरी हैं। बाढ़ आती है टेम्प्रेरी आती है। इसलिए फिंकवा दिये कि हनुमानगढ़ के इलाके में चुनाव में वोट मिल जांय। वगैर लड़े ही माननीय दौलतरामजी झंडे फहरा कर चले जा रहे थे कि हमने यह कर लिया, बस जीत लिया। वह तो लड़ रहे थे। हम तो दूर बैठे थे नौहर और भादरा में। भाखरा की नहरें लगातार अक्टूबर तक बन्द रहीं, एक बूंद पानी नहीं आया। भाखरा के गुण गान करते हैं। सरकार ने रिलीफ चालू किये और तकावियां दीं। भाखरा में दरड़े खोद कर छोड़ दिये और अक्टूबर तक पानी नहीं चला। मरने दिया। उसी भाखरा की तीन नहरें अमरसिंह, करणीसिंह और सादु'ल; जहां तक अमरसिंह ब्रान्च का ताल्लुक है वह अमरसिंह ब्रान्च करणसिंह सादु'ल में दाखिल होती है। लोगों को यह दिखाने के लिए हम बड़ा पानी देते हैं, २८ को अमरसिंह ब्रान्च को बन्द कर दिया और इसको करणीसिंह और सादु'ल नहर में डाल दिया और वह हनुमानगढ़ में जाता था पानी इसलिए कहते हैं कि हमने पानी दिया और ऊपर से यह दावा कि हमारी जीत हुई। आपकी जीत हुई, मानता हूं, पर इस कीमत पर! नौहर और भादरा की हजारों बीघा जमीन को पानी बन्द करके हनुमानगढ़ को वोट के खातिर पानी दिया। यह कारण है आपको जीत के कई कारणों में से ऐसे ही कारणों में से एक। आप इन पर फक्र करते हैं कि हमारी जीत हुई।

तो उपाध्यक्ष महोदय, भाखरा का जो बार बार गीत गाया जाता है उसका एक हवाला और देना चाहता हूं। भाखरा नहर इस साल भी जैसा मैंने निवेदन किया, १८ तारीख से २८ तक बन्द थी और दो दिन चलने के बाद अब भी वह नहर बन्द है।

गोगामेड़ी के एक कल्टीवेटर ने दरख्वास्त दी कि यह नहर में पानी कम मिलता है इसलिए आप बाड़ाबन्दी खत्म करिये। एस.

(श्री हरदत्तसिंह)

डी.ओ. साहब ने लिखा, पंजाब सरकार पानी नहीं देती इसलिए पूरा पानी नहीं मिल सकता। वह तहरीर यहां आई। तो मन्त्री महोदय ने, छोटे-मोटे मन्त्री ने उसे रोक लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में पिछली बार यह आश्वासन दिया गया था कि पंजाब पानी नहीं देता है तो इसके लिए हम भाखरा पर अपना ऑफिसर रखेंगे; हम कन्ट्रोल करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। तो हम पहले तो यह समझते थे कि कैरों से डरते हैं इसलिए ऐसा करते हैं। पर अब भी वही हालत है। पंजाब वाले पानी नहीं देते। पर आज भी ये कुछ नहीं कर पाते, तो हमें तो लगता है इनके लिए तो सभी कैरों हैं। इनके तो पैर कहीं टिकने को है ही नहीं। ये भूल जाते हैं कि यही चाल इनकी रही, तो राजस्थान में पानी आने का नहीं है। देहाती कहावत है एक :

"जिसके हाथ में डंगी,
वह गूंगी हो या स्याणी"

आपकी ये सब बातें कागजों में बनी हुई हैं। आप भारत सरकार को बीच में डालकर नहीं कह सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। और काबलियत के नाम पर तो आप में साइफर है और कुछ नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अभी मेरा समय है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम समाप्त होता जा रहा है। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री रामकिशन (वैर) : क्यों, अभी तो उनको सात मिनट ही हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बीस मिनिट हो गए हैं।

श्री रामकिशन : कुछ हमारी घड़ी तेज चल जाती है ?

श्री उपाध्यक्ष : बोलने वाले को पता थोड़े ही चलता है समय का।

श्री हरदत्तसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और अर्ज करूंगा। आज कांग्रेस ने जो पिटारा खोला है उसमें पांच नाग हैं। सबसे जहरीला नाग है भुखमरी का और महंगाई का। ये जोड़ले हैं और साथ रहते हैं। जब पिछली बार हमारे किसी मन्त्री ने, कृषि मन्त्री ने, जो किसान के बेटे हैं जो अपने आपको खेती में माहिर समझते हैं, किसानों का हमदर्द होने का दावा करते हैं उन्होंने सेक्शन ९ केबारे में फूडग्रेन्स लाइसेंसिंग ऑर्डर जो पास किया था तो आखिर में पूछा था कि सारी अपीलें हो रही हैं, व्यापारी चिल्ला रहे हैं, पार्टियां विरोध कर रही हैं, और वे सब सेक्शन ९ के लिये करती हैं तो उसको आप हटा दीजिये, झगड़ा मिट जावेगा। मैंने कहा आपको जो फार्म मिला के केन्द्रीय सरकार से वह सभी सरकारों को स्टेटों में मिला है, पंजाब को भी मिला है, पर उसने इसको नहीं माना, उसी रूप में आप उसकी नकल करिये। तब कृषि मन्त्री ने बड़े फख्र के साथ फरमाया था कि हम किसी की नक्ल नहीं करते। हमने भी उनका लोहा माना कि हममें से भी एक तो ऐसा माई का लाल है कि जो किसी की नकल नहीं करता, पर खेद के साथ कहना

(श्री हरिदत्तसिंह)

पड़ता है कि वे नकल भी करते हैं, देर से करते हैं, और वह भी अधूरी करते हैं। जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था तब किताबों में च्यांग काई शेक के करप्शन के बारे में सुनता था। तब हमें अफसोस होता था कि ऐसा हो नहीं सकता। पर आज यह सब साबित हो चुका है। आज यह कांग्रेस सरकार उसी च्यांग काई शेक के पदचिन्हों पर चल रही है। पर अहिंसक क्रान्ति पैदा होगी तब ये कहां जावेंगे, कुछ ठिकाना नहीं। इसकी उनको बड़ी भारी फिक्र है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही जहां तक डेमोक्रेसी का संबध है उसके दो शीशे हैं, दो प्रतिबिम्ब हैं, दो खम्भे हैं; एक खम्भा पंचायती राज्य है और दूसरा कोऑपरेटिव।

जहां तक कोऑपरेटिव का सवाल है मेरे से पहले वाले वक्ता ने जैसे कहा, उपाध्यक्ष महोदय, संसार का नियम है, संसार में जितने अनाचार होते हैं जितने जुल्म होते हैं सारे पवित्र उद्देश्यों के नाम पर उनकी आड़ में होते हैं। गिरजाघरों और मंदिरों के नाम से होते हैं; इसी तरह से सहकारिता के नाम पर इन कांग्रेसी नेताओं ने गुड़-गपोड़ा के नाम से गड़बड़ी की है। राजस्थान का बच्चा बच्चा इससे परिचित है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि इसमें लाखों रुपयों का घोटाला किया गया और जिस आदमी के प्रतिनिधित्व में इस सहकारिता के नाम पर यह सब किया है उससे सब के सिर लज्जा से नीचे हो जाते हैं। मैं आपके सामने विश्वास के साथ और चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि जहां तक मेरे क्षेत्र सम्बन्ध है, गंगानगर जिले का सम्बन्ध है, एक भी तहसील ऐसी नहीं है जिसमें गुड़ पब्लिक को कन्ट्रोल से मिला हो। ६० परसेन्ट गुड़ ब्लैक करने वाले व्यापारियों को बेच दिया गया और बाकी बचा टन परसेन्ट के लगभग वह अपने खास खास पिट्ठुओं को उन पर मेहरबानी करके दे दिया गया। इसका नतीजा हनुमानगढ़ में देखा, जहां चुनाव में जो बिल्कुल खिलाफ थे, फूटी आंखों जो देख नहीं सकते थे वे सारे साथ चलते थे इसलिये कि, उपाध्यक्ष महोदय, गुड़ बड़ा चमकीला होता है। लिफाफा भी इससे जुड़ जाता है। उसकी बदबू से मेरी आज भी नाक फटी जा रही है। इस गुड़ घोटाले के लिये निष्पक्ष जज के मार्फत जांच कराई जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो जहां तक कोऑपरेटिव का सवाल है बड़ा पवित्र सिद्धान्त है आज कांग्रेस के लोगों ने उसको भी भ्रष्ट कर दिया है। इसके लिये काफी कहा जा चुका है, मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। अगर कोऑपरेटिव को पनपाना चाहते हैं आप, तो मैं मांग करूंगा कि क्रय विक्रय संघ का आमूल चूल परिवर्तन किया जाय। पुराना भंग किया जाय और इसके बाद नये सिरे से ठीक काम किया जाय और सही मायने में कॉओपरेटिव की स्थापना की जाय।

जहां तक पंचायतों का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिसाल रखना चाहता हूं। तहसील नौहर में रामगढ़ एक पंचायत है। वहां गोगामेडी नाम का स्थान है। जहां

(श्री हरिदत्तसिंह)

की मंडी थी वहां १४,६३४।। गज भूमि ८३४६) रुपयों में ३१. १२. ५६ को वहां की ग्राम पंचायत ने फरोख्त कर दी । १३६ प्लाट थे जिनमें से १७ पंच, सरपंच और सेक्रेटी को गये । ६ मुकामी पटवारी पीगये और ये प्लॉट शिकायत होने पर ३०।७।६ २ को डिप्टी कमिश्नर, कोलोनाइजेशन बीकानेर ने कैंसिल कर दिये । इसके बाद ७६ व्यक्तियों ने अपीलें कीं । रिविज़न किया । डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर ने स्टे दे दिया। और स्टे देने के बाद वहां के मण्डी के जो छोटे कर्मचारी थे, पटवारी थे, जिन्होंने ३०-३० में प्लॉट लिये थे दो दो हजार की रजिस्ट्रियां कराई और स्टेकी आड़ में फरोख्त हो चुकीं और सब से ताज्जुब की बात यह है कि जो भी पंच, सरपंच, पटवारी या सेक्रेटरी ने प्लॉट खरीदे थे चार चार वर्ष के माबालिग बच्चों के नाम से खरीदे थे । उनके दस्तखबनाये गये और फर्जी कार्यवाही सारी की गई थी । मैंने यह सारी की सारी कार्यवाही मय रजिस्टर के डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब और डिप्टी पंचायत मिनिस्टर के पास ले जाकर पेश की ।

(३. ०० म. प.)

माननीय डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने इसके लिए पुलिस कार्यवाही का हुक्म दिया और उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के पास से ६-११-६३ को नम्बर ४८४७ पर यह फाइल डिप्टी होम मिनिस्टर के पास भेज दी और डिप्टी होम मिनिस्टर साहब के यहां १३-११-६३ को ३४३६ नम्बर पर होम सेक्रेटरी को कानूनी कार्यवाही के लिए भेज दी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि आज इस बात को एक साल से ऊपर का अर्सा हो चुका है । आज तक उस मिसल का कहीं पता नहीं चला, मिसल के जो नम्बर बताये हैं, होम सेक्रेटरी का बताया है उसमें होम सेक्रेटरी के नारायण नाम के चपरासी के दस्तखत हैं; लेकिन आज तक उस मिसल का पता नहीं और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मिसल बजाय इसके कि मिलती और ढूंढते, क्योंकि उससे सरकार को ७ लाख का घाटा हुआ, इसके बदले में उस मिसाल में पूरियां और कचोरियां डालकर खाली गई और आज तक होम सेक्रेटरी के खिलाफ या उस चपरासी के खिलाफ या और किसी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट की बात और है·······

श्री उपाध्यक्ष : That is all

श्री हरिराम

श्री हरदत्तसिंह : सिर्फ एक मिनट ।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी बात मैं यह अर्ज करता हूँ कि आज की सरकार जमाखोर और लालची लीडरों के लाभ के लपेटे में राजस्थान की जनता को रैल रही है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस सरकार को खत्म करने के लिए इस अविश्वास के प्रस्ताव पर वोट दें । अगर आज नहीं तो ६ महीने बाद आप फिर हमारे पास आयेंगे और कहेंगे कि हम तो मर गये और हमारा साथ दो ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, १७ जुलाई को भारत के गृह मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने जो जमाखोर हैं, जो मुनाफाखोर हैं, जो सटोरिये हैं उनकी तुलना हत्यारों से की । अब जब अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस चल रही थी तो श्री गोकुलप्रसादजी शर्मा कांग्रेसी एम० एल० ए० ने राजाओं की तुलना पापियों से की । ये दो मुख्य आदमी हैं जिनको मुख्य मानें या नहीं मानें लेकिन चुने हुए आदमी हैं इसलिए मुख्य मानता हूं; वे जखीरेबाजों को हत्यारों की संज्ञा देते हैं और यह राजाओं को पापियों की संज्ञा देते हैं अब सवाल इस बात का है कि इस सरकार के जिसके हमारे गृह मंत्री भी हैं, जिम्मेदार आदमी हैं और इस कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, जिनकी सारे राजस्थान में हुकूमत है और यह गोकुलप्रसादजी शर्मा भी इस कांग्रेस के नेता हैं और ट्रेड यूनियन फ्रन्ट उनको संभला रखा है; इस पार्टी के लोगों ने इन दोनों ही लोगों को क्या समझा है यह एक विचारणीय विषय है । राजाओं का क्या करेक्टर रहा, जागीरदारों ने लोगों के ऊपर जुल्म कितने किये—आज सवाल इस बात का नहीं है । जुल्म किये हैं इसमें दो राय नहीं है और हिन्दुस्तान की जनता ने राजाओं का भी बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़े संगठन के साथ उनके जुल्मों का मुकाबला किया है । हिन्दुस्तान के किसान और मजदूरों ने जागीरदारों के जुल्मों का मुकाबला किया है । यह कोई ठेका नहीं है कि आपके नेताओं ने ही किया हो । मैं यह समझता हूँ कि इधर बैठने वाले जितने भी लोग हैं उनमें आधे से ज्यादा तो इस तरह के लोग हैं कि जिन्होंने कभी जेल का दरवाजा देखा नहीं, कभी एक लाठी नहीं खाई जागीरदारों की, कभी राजाओं के जुल्म नहीं सहे उस समय वे राजाओं की गोद में थे; उस समय वे जागीरदारों की गोद में थे, उनकी झोलियां उठाते थे, उनके थैले उठाते थे और वही आज यहां बैठकर मिनिस्टर बन गये हैं और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं । तो जब आज वह सरकार में बैठे हैं तो हम पूछना चाहेंगे कि मुनाफाखोरों के लिए उन्होंने क्या किया ? जिनकी एक हत्यारे से तुलना करते हैं । इस सरकार को हमने यह कहा था दिल्ली के अन्दर भारत के प्रधान मंत्री को जब उन्होंने विरोधी दल के नेताओं की मीटिंग बुलाई, उस समय हमारी पार्टी ने यह सुझाव दिया था कि अगर आपको जखीरेबाजों का अनाज बाहर लाना है और अगर आपसे वह बाहर नहीं आता है तो आप जनता के ऊपर भरोसा कीजिए, आप नौकरशाही पर भरोसा छोड़िये—जनता घेरा डालो आन्दोलन चला रही है और जनता चाहती है कि जखीरेबाजों का तमाम का तमाम माल बाहर आ जाये, मैदान में आ जाये और वे ले आएंगे । आपकी पुलिस को कह दीजिए कि वह उधर मौके पर जाकर तराजू उठाकर भूखे-नंगों का बांट दे । लेकिन यह बात करने के लिए आप तैयार नहीं हो पायेंगे क्योंकि हिन्दुस्तान के अन्दर बड़ा जबरदस्त आन्दोलन चल रहा था, हिन्दुस्तान के अन्दर तमाम जगह कहीं गुजरात बन्द हो रहा था, कहीं बम्बई बन्द हो रहा था, कहीं राजस्थान

(श्री हरिराम चौहान)

बन्द हो रहा था और तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत बड़ा मुहिम चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था और आपकी सरकार लोगों के ऊपर लाठियां चला रही थी। आपसे आटा मांगते थे, चावल मांगते थे, गेहूं मांगते थे और आप उनके ऊपर लाठियां चला रहे थे और फिर उसके बाद यहां बैठकर यह कहें कि ये हत्यारे लोग हैं और उन हत्यारों से आपकी सांठगांठ रहे, उन हत्यारों के ऊपर आपकी कलम नहीं चले, उन हत्यारों के ऊपर किसी भी सिपाही का हाथ न उठे। आखिर आप जनता को क्या समझ देना चाहते हैं।

इसी तरह से उन्होंने कहा कि राजा लोग पापी थे और आज वे नेता बनकर बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि वे कम से कम शीशे में अपना मुंह देख लेते। मुझे उनकी भावनाओं से कद्र हो सकती है, लेकिन कम से कम ये देख लेते कि आज हमारी कांग्रेस का ढांचा क्या है, इस कांग्रेस के अन्दर कितने राजा है, इस कांग्रेस के अन्दर कितने जागीरदार हैं? वे कौन हैं जो इनको जेब खर्ची देते हैं, यह किसकी जिम्मेदारी है जो इनको जेब खर्ची देते हैं? यह किसकी जिम्मेदारी है जो राजाओं से पानी और बिजली का पैसा नहीं लेते? यह किसकी जिम्मेदारी हैं जो कि सरपंच की हैसियत का राजा हैं—मैं हमारे नीमराने का जिक्र करूं। वह सरपंच की हैसियत का राजा है लेकिन सुखाड़िया साहब की पुलिस उसका पहरा देती है ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जो नो-कॉन्फीडेन्स के ऊपर साथ साथ दस्तखत करते हैं।

श्री हरिराम चौहान : ये सब चीजें कौन करता है? और इतना नहीं, यह बात आप कह सकते हैं कि हमने मुआवजा दिया था। आप यह कह सकते हैं कि हमने जब इनसे राज्य लिया तो हमारा समझौता हो गया था, वर्ना यह समझौता नहीं करते तो कांग्रेस के लोग गद्दी पर नहीं बैठते, लेकिन मैं इसके बदले में एक बात कहना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा चुनाव है, कौनसा ऐसा आम चुनाव हुआ है जिसमें राजाओं के दरवाजे पर आपके कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता टिकट लेकर नहीं गये? उनको टिकटें दी हैं, उनको पार्लियामेन्ट का मेम्बर बनाया है, उनको असेम्बली का मेम्बर बनाया है और उनको आपने अपने मन्त्रि-मण्डल में लिया है और अगर गिनती करो और आपके सारे हिन्दुस्तान के राजाओं की लिस्ट लें तो उससे साबित हो जायेगा कि सबसे ज्यादा राजा और रानियां कांग्रेस में हैं।

मैं यह इसलिए आपसे कह रहा था कि कोई भी आदमी जो कि शीशे के महल में रहता है और वह समझे कि मैं किसी के ऊपर पत्थर फेकूँ। अविश्वास का प्रस्ताव चल रहा है उसके अन्दर चार्ज है आपके खिलाफ, और मेरा चार्ज यह नहीं है, मेरी शिकायत यह नहीं है कि यह सरकार कोई समाजवाद नहीं ला सकी। यह मेरी कतई शिकायत नहीं है। मैं यह जानता हूं कि न सरकार समाजवाद ला सकी है, न यह लायेगी और न इससे लाने की उम्मीद

(श्री हरिराम चौहान)

करते हैं। यह बिल्कुल नहीं लागेगी। मेरी शिकायत इस बात की है कि १७ साल के अन्दर जो कुछ आपने वायदे किये थे, जो कुछ भी आपके पास वस्तुएं हैं, जो कुछ भी उत्पादन के साधन आज मौजूद हैं—आगे की बात मैं नहीं करता हूं कि आगे क्या तरक्की करेंगे; तरक्की की बात तो इधर बैठने वाले समाजवाद के थके हुये पुरोहितों ने अपनी तकरीर में की है। उन थके हुए समाजवाद के पुराहितों की तकरीर को मैंने सुना और उनकी तकरीरों के ऊपर मैं आऊंगा कि वे समाजवाद के थके हुए पुरोहित क्या कहना चाहते हैं? मेरी शिकायत यह कतई नहीं है कि आप समाजवाद को कतई नहीं ला सके। मेरी शिकायत है कि जो आपके पास आज उत्पादन के साधन थे; चाहे जमीन थी, चाहे कल-कारखाने थे चाहे और तरह के भी जो साधन थे उनका ठीक तरह से बंटवारा नहीं किया, आपने। उत्पादन बढ़ा है लेकिन उत्पादन का ठीक तरह से बटवारा नहीं, किया। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो समाजवाद की बात करते हैं तो बेशक करिये खुशी से लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो भूमिहीन किसान थे क्या आज भूमिहीन किसान नहीं रहे। जागीरदारों के पास जितनी जमीनें थीं, राजाओं के पास जितनी जमीनें थीं, राजाओं के पास जितनी प्राइवेट प्रापर्टी थी, जमींदारों के पास जितनी जमीनें थीं क्या उनको भूमिहीन किसानों के अन्दर सीलिंग के तहत बांट दी? आपका यह दावा था कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर इन लोगों से ३५ लाख एकड़ भूमि लेंगे। आपका यह दावा था कि हम ग्रामदान के अन्दर ५ लाख एकड़ जमीन लेंगे। आपका यह दावा था कि हम १० लाख एकड़ जो काश्त के काबिल जमीन नहीं है उसको काश्त के काबिल करेंगे और ५० लाख एकड़ जमीन को सारे हिन्दुस्तान के ७ लाख परिवारों में बांटने का आपका दावा था। लेकिन आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? वह खुद यह कहती है कि हमने केवल २० हजार लोगों को जमीनें दी हैं। सारे हिन्दुस्तान में आप ७ लाख लोगों की बात करते थे और २० हजार लोगों को जमीन देते हैं।

इसी तरह से आप लोगों ने कहा था कि हमने हरिजनों को जमीनें दी हैं, हमने उनकी आमदनी बढ़ाई है लेकिन आपकी खुद की सरकार के आंकड़े यह कहते हैं कि जो खेतीहर मजदूर हैं उनकी यह रिपोर्ट है कि ११ प्रतिशत उनकी इन्कम घट गई है। आपके राज्य के अन्दर जहां तरह तरह की डींगें मारते हैं, बिगुल बजाते हुए घूमते हैं, आप तरह तरह के भाषण देते हैं उनके राज्य के अन्दर उन्हीं की रिपोर्ट से साबित होता है कि खेती के मजदूरों की ११ प्रतिशत आमदनी घट गई है। आपने तरक्की की है। आपने कोई तरक्की नहीं की, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आपने तरक्की की है जैसी कि अभी कहा गया था कोटा की मिसाल देकर कि कोटा में धुआं नहीं निकलता था वहां अब कोटे में धुआं निकल रहा है। कोटा के अन्दर धुआं निकल रहा है किसका? धुआं निकल रहा है कांग्रेस का।

अभी जो कांग्रेस का अध्यक्ष हैं वे अपनी तकरीर में कह रहे थे बड़ी शान से कि जनता का उनको विश्वास प्राप्त है और जब तक यह विश्वास प्राप्त रहेगा तब तक राज्य करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, श्रीमान, आप मत फूलिये हनुमानगढ़ के चुनाव पर। यह ठीक है कि आप जीते हैं किसी न किसी तरह से; वह एक झटके में टूट जायगा। आप कहते हैं

(श्री हरिराम चौहान)

कि जनता हमारे साथ है । तो आपके खिलाफ आम चुनावों के अन्दर ६० प्रतिशत लोग थे । आपको ४० प्रतिशत ही वोट मिले हैं. ६० प्रतिशत आपके खिलाफ गये हैं । (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) उपाध्यक्ष महोदय, इन सबको मना कर दें ।

उपाध्यक्ष महोदय, आम चुनावों में ६० प्रतिशत लोगों ने इनके खिलाफ वोट डाला है । अरे, इतना ही नहीं आपके मन्त्रि-मंडल के जो मंत्री थे ११, उनमें से ७ का सफाया हो गया । और इतना ही नहीं असेम्बली के अन्दर आपको मेजोरिटी वोट नहीं मिल सके । आपने इधर से तोड़ कर उधर मिलाये हैं । आपका खरीद-फरोख्त का धन्धा है । आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं । आप बोली लगाते हैं और इन्सान को खरीदते हैं । इसी वजह से आप सरकार चला रहे हैं और उस खरीद-फरोख्त के धन्धे के आधार पर आज कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट यह बात कहे कि जनता का विश्वास उनके साथ हैं, मैं कहता हूं कि उनको ऐसी गैरजिम्मेदाराना बात कहते हुए, लोगों को मुगालते में डालते हुए थोड़ा बहुत झिझकना चाहिए, शर्म तो मैं समझता हूं कि नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम झिझकना चाहिए । वही तकरीर उनको करनी चाहिए जो कि वे जनता के अन्दर कर सकें । यहां तकरीर कुछ करें और बाहर तकरीर कुछ करें । आप कहते हैं कि जनता सारी की सारी सुखी है । उसने अपोज़िशन के लोगों को ठुकरा दिया । आपकी आवाज पर हड़ताल नहीं हुई । मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई अलवर के साथी यहां मौजूद होंगे वे बतायेंगे कि अलवर के अन्दर कितनी शानदार हड़ताल हुई, कितनी दूकानें खुली हुई थीं । कांग्रेस ने विरोध में पर्चे निकाले और दूसरे लोगों को भी साथ लिया गया ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो बहुत टाइम है ।

बीकानेर के अन्दर वह हड़ताल हुई है । गंगानगर के अन्दर वह हड़ताल हुई है, सारे राजस्थान के अन्दर लोगों ने सत्याग्रह किया है, इस सरकार के दरवाजे को पीटा है कि हमें नाज चाहिए । हम भूखे और नंगे हैं. नाज चाहिए । लेकिन इसके बावजूद भी इस हत्यारी गवर्नमेंट के खिलाफ जो भूख हड़ताल करते थे वे भूख हड़ताल करते करते मर गये । कॉमरेड हमीद बेग भूख हड़ताल करता हुआ मारा गया । वह सरकार है जो मंहगाई के सिलसिले में इन्सान की जान लेती है और हमारे उप-गृहमंत्रीजी हंस रहे हैं । वह इन्सान का जीवन लेती है....

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री गृह): उनको तो मरवा दिया आपने ।

श्री हरिराम चौहान : उनको इस बात पर शर्म महसूस नहीं होती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कसाई बकरा काटने के बाद इसी तरह से हंसा करता है ।

श्री हरिराम चौहान : इसी प्रकार से एन० बी० सी० को हड़ताल के अन्दर क्या नहीं किया ? उस वक्त वह चल रही थी जब कि तमाम अपोज़िशन के लोग चुनाव में लग रहे थे और तमाम अपोज़िशन के लीडर्स वहां पर चले गये थे और मजदूरों का लीडर कॉमरेड मोहन पुनमियां यहां पर मौजूद था तो इस सरकार को वह भी सहन नहीं हो

(श्री हरिराम चौहान)

सका। सरकार ने यह देखा कि वह अकेला ही हड़ताल चला सकता है तो उसको डी० आई० आर० के अन्दर बन्द कर दिया गया; पहले भी बन्द किया गया था। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि हड़ताल टूट गई तो डी०आइ० आर० भी खत्म हो गया। हड़ताल भी समाप्त हुई और डी०आई०आर० भी खत्म हो गया। इस तरह से लोगों को तंग किया करते हैं। वहां पर ५.१ दिन की हड़ताल चली और ये पूरे के पूरे बिड़ला जी की मदद पर थे। आपकी पुलिस बिड़ला जी की मदद पर थी। वहां पर पुलिस ने लाठियां चलाई हैं, एक बार नहीं चार बार लाठियां चलाई हैं, अश्रु गैस का प्रयोग किया गया है और जब यहां पर सवाल पूछा गया तो श्रीमान् मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि कोई लाठी नहीं चली। इन्होंने तो (हाथ के इशारों से) यों यों किया था। अरे, यो यों करने वालो....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : "लू....लू" किया होगा, "यों यों" नहीं किया।

श्री हरिराम चौहान : वहां जाकर देखिये उनकी हालत। आज भी मजदूरों के चोटें हैं। आप जाकर देख सकते हैं कि एक दूकानदार की आंख फूटी है। इस तरह से यह सरकार जो समाजवाद का ढोंग रचती है, जो प्रजातंत्र की हामी अपने आपको बतलाती है, वह वहां पर मजदूरों की औरतों पर घोड़े दौड़वाती है ऐसी सरकार के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लावें, हमको कांग्रेस के प्रधान सलाह दें कि इस सरकार के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव में आपने कैसे साथ दिया, कैसे दस्तखत कर दिये? वे हमको उपदेश देते हैं, हमको वे लेनिनवाद और मॉर्क्सवाद पढ़ाते हैं। वे यह नहीं समझते कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद का आपसे हमारा ज्ञान ज्यादा है............

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : इस ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जूमरे बैठ।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर चुका हूं कि सिर्फ पोइन्ट ऑफ ऑर्डर और पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन पर ही खड़े हों, बाकी इन्ट्रप्शन न करें।

(विपक्ष की ओर से हियर हियर)

You will please wind up.

श्री हरिराम चौहान : मेरे को आधा घंटा तो देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका जितना निर्धारित समय है उससे अधिक ले लिया है।

श्री हरिराम चौहान : बीच में गड़बड़ भी तो करते है।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई नहीं करेंगे।

श्री हरिराम चौहान : आज ५६ मजदूर जो बॉल-बियरिंग मिल में नौकरी करते थे, वे हटा दिये गये हैं, काम पर नहीं जा रहे हैं, आपकी सलाह पर वे काम पर गये थे, आज उनके पास खाने को नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मन्त्रीजी से कि आप एम. एल. ए. नहीं बनें या मन्त्रि-मंडल से हटना पड़े, आप पर कामराज योजना लागू हो जाय और जाने का नम्बर आ जाय तो क्या कहेगी आपकी घरवाली? किस तरह मजदूरों को भूख से तड़फा कर राज्य कर रहे हैं ?

गंगानगर के चुनाव पर आपको बड़ा भारी गर्व हो सकता है। आप यह कह सकते है कि जनता का विश्वास हमको प्राप्त है लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है ? हकीकत

(श्री हरिराम चौहान)

यह है कि आपने किन लोगों के साथ ताल मेल बैठाया ! हमको कहते हैं कि आप आपस में बात नहीं कर सकते थे, वे एक कैसे हो गये, लेकिन आप कैसे लोगों के साथ एक हो गये। हमने देखा है कि तमाम जागीरदार तबका था वह आपकी गाड़ी में बैठा था, ट्रान्सपोर्ट और बसों के जितने मालिक थे वे आपकी गाड़ियों में बैठे थे, जितने परमिट वाले और पुलिस के दलाल थे वे आपकी गाड़ी में बैठे थे। आप उनकी मदद से जीत कर यहां शेखी बघारना चाहते हैं !

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहूंगा, गंगानगर में एक आर्यनगर बसाया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन पर चुनाव के मौके पर ७ तारीख से आर्य नगर शुरू हुआ और १६ तारीख को आर्य नगर पूरा हो गया। लोगों के मकानों की दीवारें बन गईं, छतें पड़ गई और दरवाजे लग गये और १८ तारीख को जब वोट ले लिये गये और १६ तारीख को डिब्बे खुल गये और आर्य साहब विजयी हो गये और फिर २१ तारीख को उन लोगों के पास नोटिस आ गये कि २४ घंटों में मकान हटा लो। नोटिस मेरे पास मौजूद हैं। २४ घंटों में हटाने की बात कही गई, लेकिन २३ तारीख को बगैर सुने बुलडोजर आ गया। पता नहीं आर्य साहब का बुलडोजर था या सरकार का था या सुखाड़ियाजी का था, लेकिन बुलडोजर आ गया। मैं फोटो सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। वहां पर १२० मकान बने और १२० मकान ही साफ कर दिये गये।

एक बात मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से ७ तारीख से काम शुरू हुआ, कलेक्टर वहां पर मौजूद था, आपके मंत्रियों की गाड़ियां वहां पर गई हैं, आपके तमाम के तमाम मंत्री वहां मौजूद थे और जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है नगर बन रहा था उस समय सब लोग वहां मौजूद थे, उनके दफ्तर के पास, कुंभारामजी के दफ्तर के पास वह काम हो रहा था लेकिन उस समय उनको मना नहीं किया लेकिन जब बेचारों के घर बन गये, आपको उनके वोट मिल गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उस वक्त बुलडोजर लाकर गिरा दिये और वे लोग मलबा भी नहीं हटा सके। यह है आपका.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास के प्रस्ताव पर कल से बहस चल रही है। पहला सुबूत, इस देश में प्रजातंत्र है इसका यह है कि आज यह अविश्वास का प्रस्ताव दो रोज से यहां पर डिस्कस हो रहा है इसलिये मैं कहूंगा कि अविश्वास के प्रस्ताव का हक केवल डेमोक्रेसी के अन्दर ही होता है और आपका जो अधिकार है उसमें कोई देरी नहीं हुई। दूसरे देशों में कभी पता भी नहीं चलता राज्य बदलने का और राज्य बदल जाते हैं, मगर यहां डेमोक्रेसी है और इस

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

डेमोक्रेसी में आप देख रहे हैं कि आपके ऑपोज़िशन के नेता और सब लोग अपने विचार रख रहे हैं। इसके बाद भी यह कहना कि डेमोक्रेसी नहीं है। इस तरह की बात करना मैं समझता हूं अपील नहीं करता। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे एक बेक ग्राउन्ड है। अविश्वास के प्रस्ताव आते हैं, आते रहेंगे, पहले भी आये थे उनको आप हसरत से देखें और आगे आवें उनको भी हसरत से देखें, लेकिन यह विशेष कारणों से प्रस्ताव आया है; इन कारणों से मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में एक इन्कलाब हुआ है, ऐसी बातें हुई हैं जिससे सारी पार्टीज़ में खोखलाहट पैदा हो गई है। कांग्रेस बड़ा परिवार है, एक डेमोक्रेटिक संस्था है। जहां डेमोक्रेसी देश में हो, यह कांग्रेस चलती है तो डेमोक्रेटिक संस्था के रूप में चलती है यह जनता से छिपा नहीं है। इसमें जब बड़ा परिवार होता है, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसका फायदा कई लोग उठा लेते है। आज उसका एक बैंक ग्राउन्ड है। मैं आज मुबारकबाद देता हूं, कांग्रेस चट्टान की तरह मुकाबला करने के लिए सारी कांग्रेस एक हो गई है। जो चीज कभी कभी लोगों के दिमाग में पैदा होती थी, जिनकी चर्चाएं चलाने में मजा लेते थे उनकी सारी आशाएं निराशा में बदल गई हैं, आज वे पंगु हो गये हैं, आशाएं निराशा में बदल गई हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि मैं उनकी दाद दूंगा, इसलिए कुछ भी कहा जाय उधर उसमें हर्ष, आवेश, गुस्सा भरा हुआ है और सारा ऑपोज़िशन इसका शिकार है। इसको ध्यान में रख कर इधर वालों को अपना दिमाग नहीं खोना चाहिए। मैं गलत समझता हूं कि हम किसी के बारे में बात करें। जो अपनी ताकत पर नया दौर और इन्कलाब शुरू करता है, जैसे जब फल लगते हैं तो पेड़ झुकता है; तो हमें भी झुकना चाहिये। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कहना चाहता। हमारे विरोधी दल के नेता ने प्रस्ताव रखा और अविश्वास का प्रस्ताव रखा फूड पोलिसी को लेकर। आज देश की हालत को देखते हुए मैं अर्ज करूं बड़े अदब के साथ कि यह मकसद अविश्वास प्रस्ताव का नहीं हो सकता। बार बार वही बात लाना, जैसे "हर भूला नारायण न भूला, लाओजी चने की दाल"। कुछ हो नहीं और बार बार वहीं रट चलती रहे। वही बातें, वही तर्क! इस फूड प्रॉब्लम के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ऑपोज़ीशन को कि इस संबंध में पूरी तरह से संतोष हो इस सरकार को, यह बात नहीं है। यह सरकार एडमिट करती है। लेकिन जो नेशनल स्थिति है, उसको सम्भालने के बजाय जब कभी दुःख पैदा होता है, पीड़ा होती है तो उस दुःख और पीड़ा के कारण आग सुलगा कर, जनता में असंतोष बढ़ा कर, बाटियां सेकने का काम करते हैं, इससे पार्टी की तुच्छता झलकती है और ऐसी पार्टियां कभी नहीं पनपती हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा है- किसी काम को करने से पहले हंसना एक बात है। लेकिन किसी काम को पूरा करके हंसना दूसरी बात है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप समझें, जनता बहुत होशियार है।

जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस को कहा गया था रिएक्शनरी लोगों की तरफ से

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मांग की गई थी कि बगैर पढ़े-लिखे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाय, न जाने क्या देश में इससे होगा। लेकिन कांग्रेस ने कहा—नहीं! इस देश की संस्कृति ऐसी है कि यहां के लोग खेतों की यूनीवर्सिटी में पढ़ते हैं। वे अपने देश को पूरी तरह से समझते हैं। इसलिए उनको यह अधिकार देना चाहिए। वह अधिकार मिला। उसके बाद यह मानना होगा, आज जनता वोट देने का अधिकार रखती है, वह काफी होशियार है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको कल्पना करने के लिए कहूं, मैं आपके सामने एक बात रखूं, थोड़ी देर के लिए मान लें कि यह अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाय, फिर आप कल्पना कीजिए राजस्थान के हाल की। एक मिनट के लिए मान लिया जाय कि प्रस्ताव पास हो जाय, तो वही हाल होने वाला है, जिसको मैं पंचतंत्र की एक कथा के माध्यम से कहूंगा। एक कमरे में एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक चूहा बन्द कर दिया जाय। और कमरे को पांच मिनट बंद रखा जाय, तो क्या हाल हो जायगा उसके अन्दर। अजी कमाल है, आप नोकॉन्फीडेंस मोशन रखते हैं, आप राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं? वह जो इलेक्शन लड़ा तो किस बिना पर, वही एक बिना, वही एक गाना और उसके अन्दर किस तरह के लोग, कितनी तरह के लोग कि जो एक दूसरे के जन्म-जात विरोधी हों, प्रकृति से विरोधी हों, जो कुत्ते, बिल्ली और चूहे जैसे एक जगह रह कर हालत करते हैं। आज देश का वोटर समझता है कि देश की यह हालत नहीं करनी है, वह देश के इस हाल को बरदाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए वह हमें वोट देना तय करता है। हम दावा नहीं करते हैं कि हम आदर्श गवर्नमेंट चलाते हैं, हम दावा नहीं करते हैं कि हम कोई गलतियां नहीं करते हैं, लेकिन एक दावा जरूर करते हैं, जिसका दावा देश के अन्दर कांग्रेस बड़ी शान से करती है, मैं पहले की बात नहीं करता हूं। पहले की कांग्रेस की बातों को आप जैसे बोलने वाले हैं। मैं उसको कहने का क्रेडिट नहीं लेने वाला हूं। आप जानते हैं कि आप कांग्रेस में थे, और आपके बाप-दादे कांग्रेस में थे। यही कांग्रेस पहले थी, जब आपकी पार्टियों का जन्म नहीं हुआ था, उस वक्त देश के अन्दर कांग्रेस ही थी जिसने देश में से इतने वर्षों की गुलामी के बाद भी आप सबके सहयोग से अंग्रेजों को निकाला। आजादी की लड़ाई के बाद जब आजादी आई तो कांग्रेस शासन में आई। ठीक है, उसके बाद कुछ हमसे नाराज हो गये, कुछ को असंतोष हुआ, कुछ इसलिए नाराज हुये कि हम इन्कलाब लाये। कुछ पार्टियां बनीं, कुछ बदलीं। हम उन पार्टियों का स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ परम्परा कायम हो और एक रिवोल्यूशन पैदा हो। हम वैसे ही राज्य नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिस जनता ने अपना विश्वास दिया है, जो जनता के लिए लड़े हैं नेता लोग, व उस जनता को डुबा नहीं सकते।

हम स्वस्थ ऑपोज़ीशन के पक्षपाती हैं। लेकिन ऐसे ऑपोज़ीशन के पक्षपाती नहीं हैं और देश को उनके ऊपर विश्वास करके नहीं छोड़ सकते। यह जिम्मेदारी हम पर आयद हुई है, यह जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है। पचास तरह की कमियां होने के

Page No. 91

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

और हम जनता को इस तरह की हालत में छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अगर देश को चलाना है तो एक हुकूमत होगी। जो देश को चलाती है वह हुकूमत होगी और वह हुकूमत सिवाय कांग्रेस के दूसरी नहीं हो सकती है। इस देश का किसान समझदार है, वह समझदारी के साथ में हमको वोट देता है। उस वोट के लिए आप हजार कोशिश करें, लेकिन उन पर कोशिश का असर नहीं पड़ता है। हमारे वयोवृद्ध नेता ने कहा कि तर तरह की टेक्टिक्स इलेक्शन में इस्तेमाल हुई। मुझे भी इजाजत दीजिए कहने की। मैं यकीन के साथ आपके जरिये जनता को बतलाना चाहता हूं कि वहां पर मोटरें नहीं थीं। मैं कहता हूं कि किस प्रकार की प्रचार को टेक्टिक्स की गई। मोटरों के अन्दर अपोज़ीशन वाले गये, न कि कांग्रेस की तरफ से गये थे और जाकर कांग्रेस का नाम लेकर ऐसी बात कहीं जिससे कांग्रेस से लोग नाराज हो जायं। इस तरह भाग भाग कर लोगों में गलतफ़हमी पैदा करने का काम आपकी पार्टी ही कर सकती है। लोगों से उन्होंने कहा कि हम सरकारी ऑफ़िसर हैं और कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो हम खत्म कर देंगे। इस तरह वहां प्रचार किया गया और वहां पर सारी तरह की टेक्टिक्स अपनाई। इस तरह की टेक्टिस से क्या कर सकेंगे? मैं अपोज़ीशन के नेता से पूछना चाहता हूं, आप कुछ लोगों को वहां भेजें और कांग्रेसी अपने को बता कर, इस तरह का ड्रामा करके लोगों को धोख दें....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आप मुझसे क्या पूछते हैं? आप अपने भाइयों से पूछिए, किस कीमत पर विजय प्राप्त की है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इस बात पर रहम कर सकता हूं कि आपको पता नहीं है, और आप नीचे वालों की गारन्टी नहीं लेते हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि चुनाव के अन्दर पंचमेल की हालत कर रखी थी। उसके लिए आपकी पार्टी ने जिम्मेदारी ले ली और यहां पर कैसे कैसे टेक्टिक्स वाले लोग बैठे हुए हैं जिनका सपोर्ट लिया गया। आज उस सब परिस्थिति के अन्दर, उस सब स्थिति के अन्दर कांग्रेस जीती। मैं मुबारिकवाद देता हूं, कांग्रेस पार्टी को मुबारकवाद देता हूँ, जो इस तरह की टेक्टिक्स वगैरह के अन्दर से भी किसी तरह जीत कर आ गयी। यह अपने लिए बड़े मुबारिकवाद की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि यह तीन हजार की जीत नहीं है बल्कि यह १७ हजार की जीत है। अपोज़ीशन में पंचमेल ऑपोज़ीशन खड़ा हुआ था, उसके बाद भी कांग्रेस जीती....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह जादूगरी है कि तीन के सत्रह कर दिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप जादूगरी बताते हैं। यह क्या है, मैं अर्ज कर दूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जादु जरदे दम फौलादे नरम !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सुन रहा हूं। ऑपोज़ीशन के नेता कुछ कह रहे हैं। क्या है, फरमाइये ?

श्री उपाध्यक्ष : Please continue.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक मिसाल और बताता हूं कि किस तरह की चीजें यहां कही जाती हैं। फूड पॉलिसी के बारे में मैंने निवेदन किया, इस पर विचार करने के लिए बहुत मौके मिले हैं। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि आप डेवलपमेंट को क्रिटिसाइज़ करें, इसमें कोई एतराज नहीं है, सरकार को क्रिटिसाइज़ करें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एतराज है तो इस बात का और क्रेडिट है तो इस बात का है कि आज अगर रुपये में रुपया नहीं रहा है, और रुपये के बारह आने किये हैं तो कांग्रेस ने किये हैं और रुपये के अगर छः आने किये हैं तो कांग्रेस ने किये हैं। आपने गाल बजाने के सिवाय कुछ नहीं किया है। करने का महत्व मिला बनने का महत्व मिला तो हमको मिला और सत्रह साल के अन्दर, मैं कहूं, बिगड़ने का मौका मिला तो हमें मिला। आपने कुछ किया नहीं। ऐसे निखट्टू हैं कि सिर्फ गाल बजावें। इसको कब तक सुनते रहें-- मेरी समझ में नहीं आता है। मैं कहना चाहता हूं, आप जिस सिरहाने से लगा हुआ है, वह सब जानते हैं। सारा देश मानता है और किसान मानते हैं कि भविष्य देश का सुरक्षित है कांग्रेस के अन्दर, कांग्रेस को जिताने में ही देश का भविष्य सुरक्षित है और कम से कम कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई सरकार नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा। इसलिए आज कोई भी तर्क दिये जायं, किसी भी तरह कहा जाय कि चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ी है, बल्कि सरकार लड़ी है। लेकिन चुनाव और पार्टीज़ भी लड़ी। हम पार्टीज़ का मुकाबला कर सकते हैं और उसी सिद्धान्तों के अनुसार यहां पर भी हमने मुकाबला किया। और जगह भी दूसरी पार्टीज़ से हमारा मुकाबला हुआ, और जगह पर भी आपने कुछ कर लिया होगा! मगर एक यही जगह ऐसी आई जिसमें सरकार के लिए कहा जा रहा है। सरकार में ही हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, श्री सुखाड़िया और इस बात से हम इन्कार नहीं कर सकते। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि उनके साथ वॉलन्टीयर्स की पॉवर है उससे भी इन्कार नहीं कर सकते। और उन्होंने हमारी कांग्रेस की ऐकता, हमारी कांग्रेस में विश्वास रख कर वॉलन्टीयर्स की तरह योग दिया है और हमने भी अपने फर्ज को निभाया। तो मैं समझता हूं कि इससे राजस्थान का क्या होने वाला है। इन चुनावों के नतीजों से साफ जाहिर है कि जनता किसके साथ है और हमें विश्वास है कि अगले चुनावों में हम सभी पार्टीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम उनके साथ हर कदम में, हर तरह मुकाबले में आकर उनको डिफीट देने वाले हैं। हमने कई चीजों में मोड़ दिया है। आप खिलाफत करते हैं, करिये। लेकिन मैं आपको लेनिन ने जो कहा है वह बताना चाहता हूं। मि० लेनिन ने कहा है कि जब आपका विरोध होने लगे तो आप इस बात को समझो कि आपने कुछ किया है। यह मैं लेनिन ने जो कहा है उसको कोट कर रहा हूं....

(शोरगुल हंसी के साथ)

लेनिन का कहना है कि जब आपका विरोध होने लगे तो समझो कि कुछ काम हो रहा है। इस बात से आप इन्कार नहीं कर सकते कि जब हम कुछ काम करते हैं तभी तो

(श्री प्रसादप्रसाद शर्मा)

आप विरोध करते हैं, अगर कोई काम नहीं करे तो क्या विरोध करेंगे ? मैं यह कहूंगा कि आज कुम्भारामजी के यहां आने के नाम से, दो तीन महीनों से आपको यह बोखलाहट है। इसी बात को लेकर यहां पर कुछ चर्चायें चलती रहीं और फायदा मिलता रहा जो उठा रहे हैं। आज आप उसके लिए मुझसे क्या पूछ रहे हैं ? आप जानते हैं और उसके बाद यह नहीं कि यह हरिराम से टक्कर थी उसके लिये आपको कोई बोखलाहट थी। आपको बोखलाहट इस बात की थी कि आज कांग्रेस एक ताकत के साथ घर को सुधारने में लगी है, इस बात की आपको बोखलाहट थी। आप सब लोगों ने मिल कर एक पेक्ट किया और कि अलग अलग व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए खड़ा नहीं किया। आपने अच्छा किया जो अलग अलग चुनाव नहीं, लड़े क्योंकि आपका कोई सदस्य चुनावों में जीतना नहीं था। इसलिये सभी पार्टीज़ ने यह तय किया अलग अलग केन्डीडेट को खड़ा करने के बजाय सब पार्टीज़ मिल कर कांग्रेस का विरोध करें और कांग्रेस के उम्मीदवार को हराएं। यह सभी पोलिटिकल पार्टीज़ ने मिल कर डिसीज़न लिया कि तीन चार केन्डीडेट खड़े होंगे तो हम जीत जावेंगे। आपने सब ने मिल कर जोर लगाया। इससे स्वतन्त्र पार्टी ने भी यह सोचा कि भीलवाड़ा में जो हार खाई थी जिसमें हमारी महारानी साहिबा भी चुनावों के प्रचार के लिए....

(कुछ माननीय सदस्यों के संकेत पर) अगर मैं कुछ गलत कहता हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। सम्माननीया महा–रानीजी इस चुनाव में उतरीं और इसलिए उतरी कि वहां भीलवाड़ा में हार हुई उसके कारण उनकी बोखलाहट थी। उन्होंने देखा कि जब इस तरह का रंग बनता है तो चलो, बहती गंगा में अपना भी हाथ धो डालें। सभी पार्टीज़ जा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने सोचा कि सब जगह हार हो हार का नम्बर लग रहा है। उसी तरह कम्युनिस्टों ने सोचा कि सब जगह हार ही हार का नम्बर लग रहा है तो कम से कम यहां पर तो सब मिल कर प्रचार करें, सब मिल कर जोर लगावें तो शायद जीत का नम्बर आ जाये। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर भी ऐसा नहीं हुआ। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो जीत हुई है वह आखिर तक चलती जायेगी। भीलवाड़ा की जीत के बाद यह एक नमूना हो गया है। मैं समझता हूँ कि आयन्दा आपका उम्मीदवार आयेगा नहीं और जब नहीं आयेगा तो आप आराम करिये। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी चुनावों के परिणाम हमारे सामने आये हैं उनको देखते हुए चाहे आप अलग अलग इलेक्शन लड़ें, चाहे सब मिल कर एक होकर मुकाबले में आवें, नये डाइरेक्ट इलेक्शन में, तो दावे के साथ कहता हूँ कि हम आपको ठोकेंगे ?

एक माननीय सदस्य : वोटों से।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वोटों से नहीं तो और किससे।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! आप जल्दी समाप्त करें।

Page No. 94

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरी पार्टी का काफी समय है ।

श्री उपाध्यक्ष : There are more Hon. members of your group.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जिस प्रकार आज हम चुनावों में जीत कर आये हैं बावजूद सब पार्टीज़ के एक होकर मुकाबला करने के, आगे भी जीत कर आएंगे ।

अब आप कमीशन की बात करते हैं कि इसके लिए कमीशन बिठाइये । आप कहते हैं कि इस्तीफा दे दें । हम चुन कर आये हैं और यहां रहेंगे । लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास जो सुबूत हों आप उनको कहिये । मैं यह कहूँगा कि वहां की जनता ने सेन्ट पर्सेन्ट फैसला दिया है कि कुम्भाराम जीतेगा और जीता है । उसके फैसले के खिलाफ आप कौनसा नया कमीशन बिठाना चाहते हैं ? यह वह कमीशन है जिसका मुकाबिला कोई नहीं कर सकता । उस कमीशन ने अभी ८ दिन भी नहीं हुए फैसला दिया है, फिर भी आप कहते हैं कि कमीशन बिठाइये ? कमीशन, कमीशन, कमीशन आप चिल्लाते हैं, कमीशन क्या होता है उनके सामने ?

एक माननीय सदस्य : कोरे आपके कहने से क्या होता है ?

श्री उपाध्यक्ष: Order pleasel Order !!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तो यह कहूंगा कि आपको तो न कोई पानी देगा न कोई इतने आग लगाने वाले होंगे । यह आपको पता नहीं है ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा हूं वह आपको एक मित्र के नाते कह रहा हूं कि आप अब भी इससे सबक लें । हमारे मित्र श्री मुरलीधरजी ने बड़े जोरों से कहा कि जिस तरह से कैरों के खिलाफ कमीशन ने अपने साथ डाक्टर ले जाने पर एक्शन लिए के कहा उसी तरह से मिनिस्टर लोग अपने साथ पी. ए. आदि लोगों को ले गये, इसलिए उनको आप निकाल दीजिये । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने वह कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी नहीं है । पहले आप कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिये, आप कमीशन की रिपोर्ट के नाम पर मुगालता देते हैं । हमारे यहां पर एक एक्ट मिनिस्टर्स सैलेरीज़ एक्ट के नाम से पास हुआ है; उसमें ये सब फैसिलिटीज़ मिनिस्टर को दी गई हैं और मिनिस्टर को इसके लिए अधिकार है और इस एक्ट को हमारे इस सदन ने पास किया है । जिस सदन ने उसको पास किया है उस एक्ट के अनुसार कार्य करने में कोई शर्म की बात नहीं है । उनकी सेवा उसी तरह की है जैसी हमारी और आपकी सेवाएं हैं । कैरों के डाक्टर वाले केस में क्या हुआ, यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं । डॉक्टर को साथ ले जाने का अधिकार सैलेरी एक्ट में नहीं था । रिपोर्ट के ४२ पेज पर लिखा है, उसमें प्रोवीज़न नहीं था और प्रोविज़न एक्ट में नहीं होते हुए भी वे डॉक्टर को साथ ले गये । उन्होंने इसका रिप्लाई दिया । मगर दूसरी कई बातें थीं जिसमें डिस्क्रीपेन्सीज़ रह गई थीं उसकी वजह से हुआ । आज आप करप्शन, करप्शन चिल्लाते

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हैं और वह चिल्लाहट यहां तक पहुंची पान वालों के यहां। मैं अपोज़ीशन से कह देना चाहता हूं कि पान खाने के स्थानों का जिक्र किया। मैं भी पान खाने जाता हूं। मगर वहां क्या सुनता हूँ कि आज अपोज़िशन कहता है उसके लिए यह कहा जाता है कि वह गलत है। मैं श्री भैरोंसिहजी को ईमानदार मानता हूँ, लेकिन आप पार्टी के लिए झूठ-सच सब कुछ करते हैं और पार्टी के लिए आप झूठ बोलते हैं, उसका क्रेडिट तो मैं आपको देता हूं और कुछ बोलते हैं उसका भी क्रेडिट देता हूँ। कुछ पढ़कर बोलते हैं, उसको भी क्रेडिट देता हूं; पर उन अपोज़िशन वालों को क्रेडिट नहीं देता जो कहते हैं कि वे सुखाड़िया जी से ५०० रुपये में बिके हुए हैं।

(व्यवधान)

अब सुखाड़िया साहब इधर भी नहीं रहे, उधर भी नहीं रहे, जिसको गाली देना हो सुखाड़िया साहब को दे दे। तो मैं कहूंगा कि ये सब चीजें देश के अन्दर हैं, करप्शन है, उसको देश से दूर करना है। सरकार ने कोई यह दावा नहीं किया है कि करप्शन देश से दूर हो गया है। जितने सरकार के नौकर हैं, जितनी बड़ी सरकार की मशीनरी है, उसको देखते हुए इसे एकदम से मिटाना बड़ा मुश्किल है। हमारे इस विधान में किसी को यह हक नहीं दिया है कि कोई बदमाशी करे तो उसका तलवार से फौरन सिर उड़ा दिया जाय। सुखाड़िया साहब को यह अधिकार नहीं दिया हुआ है कि जो भी बदमाशी करे उसका सिर तलवार से उड़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

कानून है, कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है। अगर कोई बुराई है तो आप कह सकते है; कोई खराबी कहीं होती है तो आपको गुस्सा करने का हक है, लेकिन उसके साथ आप यह कहें कि बैक लॉग हो गया, अरे साहब, "Man proposes, God disposes" आज हम प्लान करते है, आगे बढ़ते जाते है पर आकस्मिक, दैविक चीज एक पैदा हो जाती है तो उसमें किसका कुसूर है! आप आ जावें तो फूड पॉलिसी में क्या करने वाले है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं बताऊं आपको। आप कहने वाले हैं, अव्वल तो मेरा यह विश्वास है कि जनता यह गलती कभी करेगी नहीं, अगर गलती हो भी गई तो आप यह करेंगे कि बातचीत एकदम बन्द कर देंगे, हजारों मारे जायेंगे तो भी कोई चर्चा करने वाला नहीं होगा। एकदम डिक्टेटरशिप आप करने वाले हैं। इतना बड़ा पाप होने वाला है आपके आने से। आज चर्चा तो होती है, चिल्लाहट होती है, पॉलिसी में कोई गड़बड़ होती है तो हम भी कहते हैं कि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए पर आप तो यह सब बन्द करने वाले हैं। जनता आज इस चीज को, अच्छी तरह से जानती हैं, जनता आज डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, उस ही का नतीजा है कि आज कुम्भाराम आपको छाती पर जीतकर आया है। आप कहें फूड की पॉलिसी के बारे में। जनता यह भी जानती है कि आप कुछ नहीं करने वाले हैं, इसीलिए आपको वोट नहीं दिये क्योंकि आज जनता जानती है कि आप बातें करने के सिवाय और कुछ नहीं करना जानते।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

(व्यवधान)

जनता जानती है कि ये लोग उखाड़ कर खा जायेंगे, जनता बहुत समझदार हो गई है।

और पॉलिसीज़ पर नहीं कहते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि इधर से एक आध बातें कही गई, लेकिन मैं इतना बड़ा दिल रखता हूं। नत्थीसिंह जी के बारे में कहा, वेरिफिकेशन की ताकत नहीं दे सकते। मैं भी गलती कर सकता हूं। वेरिफिकेशन की ताकत में सरपंच ७०० रुपयों में क्या करप्शन करेगा? हम वह शब्द वापिस लेते हैं। जो अपोज़िशन के नेता हैं, उनके खिलाफ बातें कही गईं इधर के माननीय सदस्य द्वारा, उनका वक्त गया। गई बातों को कहने से कुछ नहीं होता। मैं नहीं कहता कि व्यक्तिगत रूप से ठोकर लगाई या नहीं लगाई। लेकिन इस चीज से कुछ नहीं होता। उन्होंने बहुत ज्यादा सोबर तकरीर की थी उसका, असर पड़ा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी घंटी मुझे डिस्टर्ब कर देती है।

मैं यह कह रहा था कि मुरलीधर जी के लिये कहा गया, उनकी तो हालत ऐसी हो गई है कि जरा भी बात हो तो कभी भारत-बन्द करते हैं, कभी आसमान बन्द करेंगे। उनके साथ ज्यादती होती है। उन्होंने बातें कहीं, उनका बुरा नहीं मानता। हम आपकी दयनीय स्थिति समझते हैं। आप जिस गुस्से में हैं, हालत में हैं, उसके साथ हमारी सहानुभूति है और मैं कहता हूं कि इस अविश्वास के प्रस्ताव में आपको स्वयं को विश्वास नहीं है। आपकी तकरीर सुनी, उसमें तथ्य नहीं है। यह कांग्रेस की सरकार जनता में पोपुलर है। जनतन्त्र में जब तक आप अपने अहमालों को सुधारेंगे नहीं, स्वस्थ विरोधी दल, एक प्रतिष्ठा वाला विरोधी दल तैयार नहीं करेंगे तब तक जनता आपके सामने इसी हिस्टोरिकल रोल को प्ले करती रहेगी और इस कांग्रेस को कोई नहीं हिला सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानधातासिंह!

श्री मानधातासिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने हनुमानगढ़ उपचुनाव के बारे में कुछ बातें कहीं, इस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हनुमानगढ़ में चुनाव के समय मैं करीब एक सप्ताह तक रहा था। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य शायद वहां नहीं थे। जो लोग वहां थे वे अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार से वहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, किस प्रकार अत्यधिक दबाव डाला गया। वहां इलेक्शन में पूरा इर्रिगेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा था। गंगानगर हनुमानगढ़ इलाका ऐसा इलाका है जहां नहरें चलती हैं और उन नहरों के

Page No. 97

(श्री मानधातासिंह)

मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, चीफ इन्जीनियर इर्रिगेशन--सब के सब वहां पर चुनाव में मौजूद थे। जो लोग कांग्रेस का चुनाव--कार्य करते थे उन लोगों को नहरों का पानी दिया गया और जो लोग कांग्रेस की खिलाफत करते थे उनका पानी बन्द कर दिया गया। कांग्रेस उम्मीदवार के प्रतिद्वन्द्वी श्री हरिराम जी थे उनका पानी बन्द करके उनकी सारी फसल को नष्ट कर दिया। रेवेन्यू विभाग के उपमन्त्री महोदय भी वहां विराजमान थे। वोट लेने के मामले में किसी को लोभ देने का प्रश्न आता था तो उनके द्वारा मुरब्बे अलॉट करने का लोभ दिया जाता था। इस आधार पर हनुमागढ के उपचुनाव में कांग्रेस जीती है। शायद ये इस बात को भूल गये कि महुआ के उपचुनाव में किस तरह इनको हार खानी पड़ी, हालांकि महुआ में भी इस प्रकार की चीजों को काम में लिया गया था। पर महुआ से ज्यादा सतर्कता इन्होंने हनुमानगढ़ में बरती और सरकारी मशीनरी का ज्यादा दुरुपयोग किया। खैर मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा। हनुमानगढ़ के उपचुनाव के बारे में जो उधर के माननीय सदस्य हैं वे ही सब बातें सदन के सामने रखेंगे।

सर्विसेज़ के बारे में भी पक्षपात चल रहा है। उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सर्विसेज़ में सरकार ने नियम बना रखा है कि कोई अधिकारी ३ साल से अधिक एक पोस्ट पर नहीं रहेगा, तीन साल से कम ही आम तौर से एक अधिकारी को एक पोस्ट पर रखा जाता है। ऐसे उदाहरण भी हैं कि एक साल में दो-दो तीन-तीन दफा एक अधिकारी के तबादले किये गये, पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव के हैड हैं, मुख्य सचिव, उनके लिये यह नियम लागू नहीं होता। वे १६५८ से इसी पद पर हैं। ६ साल से अधिक अर्सा हो गया उन्हें इसी पोस्ट पर। किसी स्टेट में यह मिसाल नहीं मिलेगी कि इतने लम्बे अर्से तक इस प्रकार की जिम्मेदार पोस्ट पर एक ही व्यक्ति रहे। पहले वे इस राज्य के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी थे, वह पीरियड अगर मिला दिया जाय तो करीब ६ साल का अर्सा होता है। इसका क्या कारण है कि इतने लम्बे अर्से तक मुख्य सचिव महोदय को इस पद पर रखा गया है? इसका एक ही कारण है कि मुख्य मन्त्री और मुख्य सचिव दोनों एक ही प्रदेश से आते हैं। जहां के मुख्य मन्त्री हैं वहीं के मुख्य सचिव हैं। मुख्य मन्त्री जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से मुख्य सचिव आते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : विरोधी दल के नेता भी वहीं से आते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : ६५ मील दूर से।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से मिनिस्टर लोग सदन में हल्ला-गुल्ला करके माननीय सदस्यों की स्पीच को डिस्टर्ब करना चाहते हैं....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(४ म०प०)

श्री मानधातासिंह : राजस्थान के अलावा भारतवर्ष के किसी भी राज्य में

(श्री मानधातासिंह)

आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जहां से मुख्य मंत्री आता हो उसी जिले से मुख्य सचिव भी हो और वह दस साल तक उसी ओहदे पर रहे। पहले अपने यहां आई० सी० एस० के चीफ सेक्रटरी थे और अब भी भारतवर्ष के बाकी राज्यों में आई० सी० एस० चीफ सेक्रेटरी हैं। लेकिन आई० सी० एस० चीफ सेक्रेटरी से मौजूदा सरकार घबराती है; कारण यह कि वह अपने इंडिपेंडेंट विचार सामने रख सकते हैं, कागजों पर लिख सकते हैं। एक उदाहरण जैसे सभी को मालूम होगा कि पनरवा कांड में सुब्रह्मण्य जब चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने ठेके दिये जाने के विरुद्ध नोट लिखा। सरकार यह टॉलरेट नहीं कर सकी कि मुख्य सचिव कैसे खिलाफ नोट लिख सकता है, लिहाजा ऐसे मुख्य सचिव को नहीं रखा जाय जिसकी यह हिम्मत है कि सरकार को सही राय दे दे, ऐसे मुख्य सचिवों को रखा जाय जो सरकार की हां में हां मिलाए और नीचे से नोट बना कर भेजे दें जो मिनिस्टर चाहते हैं।

पिछली बार बजट सेशन में मैंने निवेदन किया था कि मुख्य सचिव के अलावा बाकी जो सचिव सचिवालय में हैं उनमें से करीब ५० पर्सेंट उसी प्रदेश के हैं जहां से मुख्यमंत्री आते हैं। उसके बाद उस नंबर में वृद्धि हुई है, कोई कमी नहीं हुई है। इस समय ७ सचिव उसी जिले के हैं जहां से मुख्यमंत्री हैं, इसका क्या कारण है ? क्या मौजूदा सरकार और सरकारी मुलाजिमों में विश्वास नहीं रख सकती ? क्या जो जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर या और जगहों से सरकारी मुलाजिम आते हैं वे अविश्वसनीय हैं और केवल विश्वासपात्र वही हैं जो उदयपुर से आते हैं ? परन्तु यहां भी वही बात कि एक मुख्य मंत्री का शासन तभी कायम हो सकता है जब कि उसके प्रदेश के सचिव उसके पास हों।

मुख्य सचिव महोदय सभी सरकारी अधिकारियों की कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट्स लिखते हैं, यानी चीफ सेक्रेटरी होने के नाते उनको अधिकार है कि अंत में उनके पास एक गजटेड ऑफिसर की कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट आती है; अतः उनको एक हक हो जाता है कि जिस ऑफिसर को तरक्की देना चाहें तो कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट अच्छी लिखें और जिसको तरक्की नहीं देना चाहें उसकी कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट अच्छी नहीं लिखें।

मुख्य सचिव के कई नजदीकी रिश्तेदार काफी बड़े ओहदों पर हैं। इस तरह की केवल एक-दो मिसाल देना काफी होगा। उनके ब्रदर-इन-लॉ हैं जो किसी जमाने में इन्डस्ट्रीज़ सेक्रेटरी थे जब कि श्री भीगीलाल पंडिया इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर थे। श्री भोगीलाल पंडिया ने उस समय उनको अपने नीचे इन्डस्ट्रीज़ सेक्रेटरी रखना इन्कार कर दिया क्योंकि उनकी वजह से खुद पंडियाजी बदनाम होते थे। उसके बाद दिल्ली में डेप्यूटेशन पर भेजा था। वापिस आने पर फिर उनको बड़े ओहदे पर रखा। उनके बाद कमिश्नर डिपार्टमेंटल इन्क्वारीज़ उनको मुकर्रर किया गया। अपोइन्टमेंट्स डिपार्टमेंट में पूरा मेहता-वाद फैल गया। मुख्य सचिव भगतसिंह मेहता और अपोइन्टमेंट्स सेक्रेटरी एस. पी. एस. भंडारी। अगर किसी ऑफिसर के खिलाफ लिखा जाय तो उनकी जांच कर लें, उनके

(श्री मानधातासिंह)

ब्रदर-इन-लॉ श्री गोकुलप्रसाद मेहता । इस प्रकार हर तरफ से अपोइन्टमेंट्स डिपार्टमेंट पर उन्होंने कब्जा किया । बाद में उस ऑफिसर को रोडवेज़ का जनरल मैनेजर और कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया गया है ! इसके अलावा दो उनके भाई जो अब रिटायर हो गए हैं, काफी ऊंचे ओहदों पर थे; गोरधनसिंह और हरिसिंह मेहता । गोरधनसिंह कमिश्नर थे किसी जमाने में, बाद में से सस्पेंड हुए और जब गोरधनसिंह मेहता कोलोनाइज़ेशन से हटे तो उनकी विरासत किसी दूसरे आदमी को नहीं दी गई । वह विरासत फिर उदयपुर वाले नारायनचन्द भटनागर को मिली । इस तरह से उदयपुर की विरासत हमेशा कायम रखी गई है । एक और ब्रदर-इन-लॉ मुख्य सचिव के आर. ए. एस. सीनियर ऑफिसर हैं, वे १६५१ से, यानी १३ साल से जयपुर में पोस्टेड हैं । शायद कोई भी और ऑफिसर का इस तरह का उदाहरण नहीं मिलेगा जो १३ साल से जयपुर में कन्टीन्यूसली पोस्टेड हो । आपके और ऑफिसर्स एक-एक, दो-दो साल में ट्रांस्फर किए जाते हैं और अधिक से अधिक तीन साल तक एक जगह रखते हैं और वह ऑफिसर १३ साल से पोस्टेड है । केवल शाम के टाइम मुख्य सचिव महोदय के घर पहुंच जाते हैं और वहां उनके साथ ताश और ड्रिंक पार्टीज़ में शामिल होते हैं । उनके और ब्रदर-इन-लॉ गुलाबसिंह लोढा हैं । अब उनको वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का जनरल मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया है । उस पोस्ट पर पहले आई० ए० एस० का सीनियर अधिकारी था, वह पोस्ट कैसे कम हो गई और उसमें आर० ए० एस० अधिकारी काम कर सके, जब कि उसमें आई० ए० एस०....

श्री मथुरादास माथुर : वह आई० ए० एस० कैडर की पोस्ट नहीं थी । उस पर रिटायर्ड आई० ए० एस० ऑफिसर को लगाया गया था, इसलिए एक्स्कैडर को डीकैडर नहीं किया जा सकता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर खामियां हों तो आप संशोधन कर लीजिए ।

श्री मोतीलाल चोधरी (डीडवाना) : On a point of information. Sir......

श्री मानधातासिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : There is a point of informatian.

श्री मोतीलाल चोधरी : माननीय सदस्य ने कहा कि पहले आई० ए० एस० कैडर का ऑफिसर वहां था । आपको आई० ए० एस० कैडर की जानकारी है ।

श्री मानधातासिंह : अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि वह आई० ए० एस० कैडर का आदमी नहीं है, परन्तु मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस पर पहले जो ऑफिसर लगाया था वह आई० ए० एस० कैडर का था । अब क्या उस पोस्ट का महत्व कम हो गया कि वहां आर० ए० एस० कैडर का आदमी रखा जाय ? केवल कारण यह है कि वह ऑफिसर मुख्य सचिव का ब्रदर-इन-लॉ है । लिहाजा वह हर काम कर सकता है आई० ए० एस० ऑफिसर न होते हुए भी । एक और उनके

(श्री मानधातासिंह)

नजदीकी रिश्तेदार हैं जो कोटा के अन्दर मंडी कमेटी के सेक्रेटरी थे। उस दौरान में उन्होंने जमीनों के अलॉटमेंट में काफी गड़बड़ी की–दौलतसिंह मेहता और उस कारण वे सस्पेंड हुए और ट्रांस्फर हुए। सैशन्स जज ने अपनी जजमेंट में उनके खिलाफ रिमार्क्स लिखे हैं जिसकी आज तक तहकीकात नहीं हुई।

दूसरे मेहता खानदान के हैं डाईरेक्टर ऑफ एजूकेशन श्री जगन्नाथसिंह मेहता; वे ६ साल से थे। उनका हैडक्वार्टर बीकानेर में था लेकिन जयपुर में पड़े रहते थे और जो उनकी ड्यूटीज़ थीं एकेजुशन डिपार्टमेंट की, फिक्सेशन इन दी रिवाइज़्ड पे स्केल्स की या रेशनलाइज़्ड पे स्केल्स की वह वे नहीं कर सके। इसकी कई शिकायतें सरकार के पास आती हैं, परन्तु कभी सुनवाई नहीं होती है क्योंकि उसका हैड ऑफ डिपार्टमेंट मेहता था। अब वहां से हटा कर उसको एडीशनल सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर मुकर्रर किया गया है। इससे अधिक मिसाल देना मुनासिब नहीं होगा; परन्तु मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेहता खानदान जो किसी समय उदयपुर राज्य में रूल करता था वहां हेरिडिटरी आफिशियल्स थे, उसी तरीके से अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं, उनमें से यदि कोई रिटायर होता है उसकी जगह दूसरा वहां आता है और उनके लड़के फिर लिए जाते हैं। इसके लिए भी एक–दो उदाहरण कोट करता हूं। गोवर्धनसिंह मेहता का लड़का विकास अधिकारी, हिम्मतसिंह गलूंडिया का लड़का आर. ए. एस. में, शार्दूलसिंह मेहता का लड़का सरदारसिंह, दर्डा आर. ए. एस.। मैं केवल उदाहरण के लिए यह दे रहा हूं। इनके अलावा असंख्य ऐसे उदाहरण मिलेंगे। यह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है। बाकी दूसरे डिपार्टमेन्ट्स हैं। जैसे लॉ डिपार्टमेन्ट है, जुडिशियरी है उस पर भी मेहता पार्टी ने कब्जा कर रखा है।...

लॉ सेक्रेटरी श्री लहरसिंह मेहता हैं, जिनके बारे में कुछ दिनों पूर्व इस सदन में काफी कहा गया था। पेसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन बिल के ड्राफ्टिंग के कारण हाई कोर्ट में रिट हुई और सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। उस नुकसान के वे ही जिम्मेदार हैं। चूंकि वे एक प्रिविलेज्ड क्लास से आते हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

दूसरे डिपार्टमेन्ट्स हैं; जैसे इलेक्ट्रीसिटी डिपार्टमेन्ट है, उसमें भी एक इन्जीनियर हैं जो एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर की जगह पर थे, जो चन्द वर्षों में एडीशनल चीफ इन्जीनियर हो गये हैं। ये हैं श्री अमरसिंह मेहता जो श्री गोवर्धनसिंह मेहता के भाई हैं।

(समय-समाप्ति–सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह अर्ज करूंगा कि....

श्री मथुरादास माथुर : वाइस चान्सलर मोहनसिंहजी मेहता हैं, उनके लिए भी कह दो।

श्री मानधातासिंह : मन्त्री महोदय ने ध्यान दिलाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं उनके बारे में पहले कह चुका हूं। डा० मोहनसिंह मेहता तो पूरे हैं ही। एजुकेशन सेक्रेटरी हैं श्री विष्णुदत्त और श्री जगन्नाथ सिंह मेहता जो पहले डाइरेक्टर थे और अब नहीं रहे हैं उस पद पर।

मुख्य सचिव को ही इसका दोष नहीं देना चाहिये क्योंकि ऊपर से मिनिस्टरों से ये करवा लेते हैं। शायद मिनिस्टरों में बहुत कम ऐसे मिनिस्टर रहे होंगे जिन्होंने अपने रिश्ते-दारों आदि को नौकर नहीं करवा दिया है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

स्वतन्त्र पार्टी का मैं आज पहला ही वक्ता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : २० मिनट तो आपने ले लिये हैं। जल्दी समाप्त कर सकें तो अच्छा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : वंशावली आ रही है।

श्री मानधातासिंह : मन्त्री महोदयों ने उनके पुत्र, नजदीकी रिश्तेदारों को भरा है। एक हैं माननीय मन्त्री महोदय श्री मथुरादास जी माथुर। उनके भाई हैं,श्री किशनजी, जो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव नियुक्त हुये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : गलती तो पिताजी की है, वरना तो एक ही होता। आपके कोई भाई नहीं है?

श्री मानधातसिंह : एक हैं गोविन्द-लाल। कुम्भारामजी के जमाई राधाकिशन जी। कोऑपरेटिव में आये। यहां तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्टेड आर. ए. एस. हैं उनमें से भी हैं जैसे दामोदरलाल जी व्यास के पुत्र, भाई और जमाई हैं, श्री ताराप्रसाद जी जोशी। उनके भाई हैं भूरामल जी व्यास।

श्री उपाध्यक्ष : कितना समय लेना चाहेंगे?

श्री मानधातासिंह : पन्द्रह मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट।

श्री मानधातासिंह : पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कहा जा सकता है, आर. ए. एस. सिलेक्ट किये। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ऐसे मेम्बर रखे जो सरकार के दबाव में रहें। जितने रिटायर्ड बड़े बड़े आई. ए. एस. ऑफिसर्स हैं वे पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्त होते हैं। शुरू में लक्ष्मीलालजी जोशी हुए जो रिश्ते में मुख्य मन्त्रीजी के श्वसुर कहे जाते हैं।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : वे तो ब्राह्मण हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

For the information of the Hon. Member, the P. S. C's conduct may not be discussed here.

श्री मानसिंह महार : नाम लेकर कहने में क्या दिक्कत है? यह कहने में कोई गुनाह थोड़े ही है कि यह बात है।

श्री चन्दमल वैद (उप-मन्त्री, उद्योग): मानसिंहजी महार ये आपके क्या हैं, यह भी वता दीजिये ?

श्री मानसिंह महार : आपका भी नम्बर आयेगा। आपके घर में इन्डस्ट्री लगी हुई है।

श्री मथुरादास माथुर : फेमिली प्लानिंग हो गया है, घर में इन्डस्ट्री नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: Order please !

(व्यवधान)

श्री मानधातासिंह : आम तौर पर सरकारी मुलाजिम रिटायर होने के बाद केवल तीन साल के लिए रिएम्प्लोय किये जाते हैं, लेकिन लक्ष्मीलालजी जोशी को रिटायर होने के बाद ८ साल काम करते हुए हो गये। पांच साल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर और चेयरमैन रहे और उनके बाद हायर सेकन्डरी बोर्ड में चेयरमैन हैं। जाबिका में जो चेयर-मेन थे अर्बन इम्पवमेन्ट बोर्ड के व देवीशंकर जी तिवाड़ी थे। वे भी पब्लिक सर्विस कमी-शन के चेयरमैन थे उनको यह लॉ डिपार्टमेंट ने रूलिंग देकर हटवाया कि पब्लिक का आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता, ऐसी कांस्टीट्यूशन मान्यता है। वही रूलिंग लक्ष्मीलालजी जोशी के लिए हो सकती है, लेकिन वे प्रिविलेज्ड क्लास में है। उनको १५००) रु० माहवार तनख्वाह मिलती है जब कि देवीशंकर जी तिवाड़ी अवैतनिक काम करते थे।

श्री उपाध्यक्ष : I hope, you will now wind up please.

श्री मानधातासिंह : स्वतन्त्र पार्टी का प्रथम स्पीकर हूं।

श्री उपाध्यक्ष : केवल आप ही तो नहीं हैं, और भी हैं।

श्री मानधातासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक अधिकारी है जो नोन-गजटेड हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल (गोयल):सदन बड़े अन्धकार में था। राजस्थान में अन्धकार था। अब पता चला कि यह गड़बड़ घोटाला क्यों हो रहा है।

श्री मानधातसिंह : एक अधिकारी नोन मैट्रिक है और वे इस समय आर. ए. एस. पोस्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत की थी कलील तनख्वाह में सप्लाई डिपार्टमेन्ट में और वहां से उनका ट्रान्सफर किया गया एक्साइज़ डिपार्टमेन्ट में इन्स्पेक्टर की पोस्ट पर और उसके कुछ अर्से के बाद उनको पेट्रोलिंग सुपरिन्टेंडेन्ट, एन्टी स्मग्लिंग फोर्स बना दिया गया। उसके कुछ दोनों बाद उनको असिस्टेन्ट एक्साइज़ कमिश्नर बना दिया गया। ये पोस्टें उनके लिए खास तौर से क्रियेट की गई। साबिका पोस्ट एन्टी-स्मग्लिंग फोर्स की अब तक खाली पड़ी हुई है, इसीलिए कि यदि उनको रिवर्ट किया जाय तो वे वापिस अपनी जगह पहुँच जायं। पी. एस. सी. ने शायद मंजूरी नहीं दी, इस लिए कभी वे उस पोस्ट पर जा सकते हैं। ये मुख्य मन्त्रीजी के ब्रदर-इन-लॉ हैं

(शोरगुल)

उन्होंने एक आलीशान बंगला सिविल लाइन्स के नजदीक बनाया है, जिसकी कीमत

(श्री मानधातासिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

डेढ़ लाख से कम नहीं है। एक मामूली तनख्वाह पाने वाला ऑफिसर इतना बड़ा आलीशान बंगला कैसे बना सकता है, खुद सोच सकते हैं ?

एक और ऑफिसर हैं, उनके लिए नहीं कहूंगा। और वक्ताओं ने जिक्र किया है। श्री मुन्नालाल गोयल। वे चीफ मिनिस्टर के दामाद हैं। सन् ५६ में आर. ए. एस. में आये थे, लेकिन उनको सीनियर पोस्ट दे दी गई। उनसे जो ऊंचे ऑफिसर हैं सीनियोरिटी में उनको नहीं दी गई। श्री कन्हैयालाल कोचर उनसे ८ डिग्री सीनियोरिटी में ऊंचे हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी के सेक्रेटरी भी रहे हैं। अभी हाल में मुन्नालाल गोयल यूरोप गये, अमेरिका गये और सरकारी खर्चे से भेजे गये। पर उनके साथ उनकी पत्नी, श्री मुखाड़ियाजी की पुत्री, भी साथ थी और उनका खर्चा श्री चुन्नीलाल जयपुरिया ने बर्दाश्त किया।

श्री मथुरादास माथुर : यह बिलकुल गलत है कि उनकी पत्नी साथ थीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपके संशोधन को स्वीकार करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उनकी अक्ल पर रहम करो। हमारा संशोधन तो स्वीकार करो तो करो, पर उनकी अक्ल पर रहम करो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया समाप्त करें।

श्री मानधातासिंह : सूद साहब थे कलेक्टर बीकानेर के। उनके यहां तलाशी हुई। उसके दौरान में चैक बुक की काउन्टर फोइल मिली, जिसमें १४ हजार का एक चैक मुन्नालाल गोयल को दिया गया लिखा था। वह किस वजह से दिया ? यह सरकार जांच करके मालूम करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : That is all.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): आपने क्या फरमाया, समझ नहीं पाया।

श्री मानधातासिंह : सूद कलेक्टर थे। उनकी तलाशी हुई थी और उस तलाशी के दौरान चैक बुक की एक काउन्टर फोइल मिली, जिसमें एक १४ हजार का चेक श्री मुन्नालाल गोयल के नाम कटा था यह कहां तक सही है ? यह अफवाह है। कहा जाता है कि शायद मोटर खरीदने के लिये दिया था।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: माननीय सदस्य की ईमानदारी की बात देखिये कि जितना सुना-समझा है उतना ही कह रहे हैं। उसे बढ़ा चढ़ा कर आप लोगों की तरह नहीं बता रहे हैं। उनकी ईमानदारी और सच्चाई पर विश्वास करिये और उसकी तारीफ करिये और उसकी तुलना अपने से करिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं स्पष्ट कर दूं। यह बात बिल्कुल, नितांत गलत है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : I have already allowed you quite a lot of time. Please wind up now.

श्री मानधातासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विकास अधिकारी थे सांगानेर में । गोपालपुरा में अपने नाम जमीन अलॉट कराई, मुमकिन हैं अपने नाम से न होकर औरों के नाम से हों ।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : आपको किसकी सिफारिश से आर.ए.एस. बनाया गया, आप यह भी जानते हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप किसकी सिफारिश से खरीदे गये ?

श्री मानधातासिंह : राजस्थान बना, मैं उससे पूर्व सर्विस में था ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आप क्या कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : He is asking him.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपकी राय में क्या ये भी खरीदे गये आपकी तरह ? आप यह कहना चाहते हैं ?

श्री नत्थीसिंह : ढाबरियाजी, आपको नहीं पूछा है । उनको पूछा है ।

(शोरगुल - अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order!! Shri Mandhatasingh, continue please !

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : थोड़ी देर तक तो वफादारी बजा लेने दो, बिचारे को ।

श्री उपाध्यक्ष: Order please ! Order !

श्री मानधातासिंह : भ्रष्टाचार की और एग्ज़ाम्पल साइट करूंगा । ऐसा नियम है कि सरकारी नौकरी वाला आदमी व्यापार नहीं कर सकता, नजदीकी रिश्तेदार कर सकता है ? मैं बताऊं पुष्पा गोयल के नाम से इन मुन्नालाल गोयलजी ने इन्श्योरेन्स की एजेन्सी ६२-६३ से ले रखी है और साल भर में ५॥ लाख का इन्श्योरेन्स करा लिया । मैं कहता हूं अगर ये मुख्य मन्त्रीजी की पुत्री नहीं होतीं तो क्या इतना मिल सकता था ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिश्चंद्र जी ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय सदस्य की इतनी बातों में से एक बात का कॉन्ट्राडिक्शन मुख्य मंत्री ने किया । तो इसके मायने हैं कि सही है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : बाकी सबके कॉन्ट्राडिक्शन के लिये कल तैयार रहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : कॉन्ट्राडिक्शन इत्यादि होगा, अपने समय पर होगा; यह सदस्यों को मालूम है ।

श्री मानधातासिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : वाइन्ड अप करने का तो मौका दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष: I have called his (Shri Harishchandra's) name now.

श्री मानसिंह महार : वाइन्ड अप करने का मौका क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री उपाध्यक्ष : दिया गया है न। वे बैठ गये !

श्री मानधातासिंह : xxxx

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! order!!

(शोरगुल – अश्रव्य)

श्री मानधातासिंह : Shri Mandhatasingh, ! Order pleas !!

श्री मानधातासिंह : xxxx उनको आपकी कुर्सी छोड़ देनी चाहिये उनमें हमारा विश्वास नहीं रह गया है।.......

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order ! Everything that has been said after my caution to stay will be expunged.

श्री हरिश्चन्द्र।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं एक व्यवस्था का सवाल खड़ा करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। वह यह है कि मैं वैसे चेयर के बारे में एकशब्द भी नहीं कहूंगा, परन्तु मैं एक साधारण बात कहना चाहूँगा और वह यह है कि जब माननीय सदस्य अपनी इतनी लम्बी स्पीच दे चुके और उसका आखिरी उपसंहार करने वाले थे तो सामान्य नियम के तहत जब कि उनकी पार्टी का समय मौजूद था, जबकि उनके लिए समय मौजूद था, और जब दूसरी चीजें उपलब्ध थीं तो मैं यह जानना पसन्द करूंगा कि उनको उपसंहार करने का समय क्यों नहीं दिया गया ?

(शोरगुल-अश्रव्य)

ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जब केवल एक सदस्य अपना उपसंहार करे, अपनी आखिरी बात कहे और उसको भी आप एक्सपन्ज कर दें तो यह कौन सी उचित बात है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

माननीय सदस्य को यह विदित है कि सब चेयर के संकेत के अनुसार भाषण करते हैं और उसी के अनुसार कई माननीय सदस्य, इनके पूर्व वक्ता भी उपसंहार कर पाये अथवा नहीं कर पाये, संकेत पर बैठ गये। आपको भी काफी संकेत किये गये और अन्ततोगत्वा आप बोलते ही रहे, और चेयर की अवहेलना की तो एक्सपन्ज करने की आवश्यकता पड़ी।

श्री मुरलीधर व्यास : On a point of order, Sir, उन्होंने जो यह बात कही कि हम सरकार पर अविश्वास प्रकट करते हैं क्या आप इसको भी एक्सपन्ज कर देंगे ? फिर तो इनके बोलने का मतलब ही क्या निकला ?

श्री उपाध्यक्ष : यह एक्सपन्ज नहीं किया जावेगा। बाकी यथावत् रहेगा।

---

xxxxअध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री मानसिंह महार : On a point of order, Sir, फिर कौन कौन सा एक्सपन्ज किया जावेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : केवल वह वाक्य कि हम अविश्वास व्यक्त करते हैं प्रोसीडिंग्स में रहेगा, बाकी सब एक्सपन्ज होगा।

श्री मानसिंह महार : यह मोशन इसके लिए किसकी तरफ से आया ?

श्री उपाध्यक्ष : यह मैं ही कह रहा हूं।

श्री मानसिंह महार : तो कौन कौन से वर्ड्स एक्सपन्ज हुए, जरा यह भी बता दीजिए !

श्री उपाध्यक्ष : यह आपको कल विदित हो जावेगा।

श्री मानसिंह महार : कब मालूम हो जावेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : कल।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से....

श्री मानधातासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आखीर में कहा था वह केवल यह था कि मुख्य मन्त्री को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए××××क्योंकि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जितना यह कहा कि मुख्य मन्त्री को यह कुर्सी छोड़ देनी चाहिये, वह यथावत् रख दिया जावेगा, बाकी का हटा दिया जावेगा।

श्री मानधातासिंह : उनके खिलाफ फौजदारी मुकद्दमा चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : Now the Hon. Members should also listen to the Chair.

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से.........

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक्सपंज की कार्यवाही तभी की जाती है जब कि माननीय सदस्य चेयर की अवहेलना करके आगे बढ़ते चले जायें।

श्री मानधातासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चेयर की कोई अवहेलना नहीं की।

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से इस सदन में अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हो रही है और माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। यह अविश्वास के प्रस्ताव को लाने के अधिकार अपोज़ीशन के मेम्बरान को है, लेकिन मैं अपने अनुमान से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो बहस यहां हुई, मैं माननीय सदस्यों के ऊपर कोई किसी तरह का आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन उस बहस के दौरान से यह नक्शा टपकता है कि जो कुछ बातें यहां रखी गई हैं वे एक क्रिटिक के नाते रखी गई हैं।

××××अध्यक्ष– पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री हरिश्चन्द्र)

यह ठीक है कि अपोज़ीशन के मेम्बरान को यह हक है कि वह गवर्नमेन्ट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन इससे जो बहुत बड़ा अधिकार अपोज़ीशन के मेम्बरान को है वह यह है कि उनको सरकार को अपनी पॉलिसी के बारे में स्पष्टीकरण करना चाहिये । मुझे इस बात का दुख है कि वे मेम्बरान जो अपोज़ीशन पार्टी में विराजे हैं उनमें से किसी ने भी अपनी पॉलिसी का इजहार इस सदन में नहीं किया.........

श्री मुरलीधर व्यास : अविश्वास का प्रस्ताव सुन लिया है न आपने ?

श्री हरिश्चन्द्र : अविश्वास का प्रस्ताव है ।

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon. Members will give me their cooperation.

श्री हरिश्चन्द्र : अविश्वास का जो प्रस्ताव है उसके साथ साथ माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहिये कि आप जब अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो आप सरकार बनाने के उम्मीदवार हैं । अविश्वास प्रस्ताव लाना सिर्फ अविश्वास के नाते, यह मैं मानता हूं कि डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स में नहीं है । आप जब अविश्वास प्रस्ताव यहां लाते हैं और सदन के अन्दर अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं तो आप या तो यह कह दीजिए कि सिर्फ हम डिबेट करने के लिए लाये थे या यह कह दें कि नहीं सिर्फ सरकार बनाने के इच्छुक हैं ....

श्री भैरोंसिंह : इसके बीच का भी रास्ता है । सरकार नहीं बना सकते, लेकिन गवर्नमेन्ट को थ्रो आउट करके राज्यपाल का शासन करवाना चाहते हैं और वापिस दुबारा इलेक्शन करवाना चाहते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : यह उस समय आपने नहीं कहा । मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाए तो हम यह मानकर चलते हैं कि अगर राजस्थान सरकार के अन्दर अविश्वास कायम हो जाय तो बाद में क्या कम्पोज़ीशन बनेगा, क्या तस्वीर बनेगी....

श्री भैरोंसिंह : फ्रेश इलेक्शन्स होंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : हम यह देखना चाहते हैं कि जो मेम्बरान यहां विराजे हैं उनमें से कई मेम्बरान इस बात को मानकर चलते हैं कि अपोज़ीशन की सरकार बनेगी परन्तु सरकार जब बनती है तो हम देखते हैं बिक एक तरह से कि स्वतन्त्र पार्टी है....

श्री भैरोंसिंह : There is no such point...

श्री हरिश्चन्द्र : अगर आप किसी चीज पर कम्बाइन हुए हैं, आपने सबने मिलकर अविश्वास प्रकट किया है सरकार के प्रति और इसके माने यह हैं कि आप सब मिलकर राजस्थान को रूल करना चाहते हैं, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप इस लायक ही नहीं हैं कि आप राजस्थान को रूल करें. . . .

श्री मुरलीधर व्यास : और भ्रष्टाचार करने वाले लायक हैं ?

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से कोऑपरेशन की आशा करता हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि या तो माननीय सदस्य पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन पर खड़े हों या फिर पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर खड़े हों।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं आपके सामने मेरा नक्शा पेश करना चाहता हूं . . . .

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : नक्शा हम जानते हैं।

(व्यवधान)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि कौनसी कॉन्स्टीट्यूशनल थ्योरी के अनुसार माननीय सदस्य यह मांग अभी कर रहे हैं कि अगर ऑल्टर्नेटिव गवर्नमेन्ट फॉर्म हुई तो उसका क्या नक्शा होगा, यह तो सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है . . .

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो हाइपोथेटिकल नहीं है, क्योंकि आप हनुमानगढ़ में सब के सब पहुंचे हैं, हमारे केन्डीडेट को हराने के लिए। तो हम जनता को और माननीय सदस्यों को यह कहना चाहते हैं कि ये फिर कम्बाइन हो सकते हैं कांग्रेस को हराने के लिए। और अगर ये कम्बाइन होते हैं तो राजस्थान का क्या नक्शा होगा, वह मैं जरूर माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय सदस्य को निवेदन करूं कि ऑल्टर्नेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करने का प्रश्न और एक बाई-इलेक्शन के अन्दर पार्टीज़ कम्बाइन होती हैं तो दो बिल्कुल विभिन्न समस्यायें हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : विभिन्न समस्यायें कतई नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : मुझे खुशी है कि आपका जो गठबन्धन हुआ था यह तो छूट गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप कहते हैं कि गठबन्धन है, लेकिन कम्बाइनिंग फैक्टर नहीं था।

श्री हरिश्चन्द्र : I am in possession of the floor, Sir.

(व्यवधान–शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : The debate is being reduced to conversation. Order please!

श्री हरिश्चन्द्र : मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि पहले एक दफा आप कम्बाइन हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं लेकिन आपके कम्बाइन होने से राजस्थान का अहित कितना होगा, वह मैं बताना चाहता हूं और बताऊंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : With great respect I would like to say that if we have combined, अगर संगठित हुए हैं तो ऐसा उदाहरण भी मौजूद है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबन्धन केरल में हुआ है।

श्री हरिश्चन्द्र We are not denying the fact but I am only saying.

(शोरगुल)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो दूसरे वक्त....

श्री हरिश्चन्द्र : या तो आप कम्बाइन ही न होते, अगर हुए तो........

(व्यवधान, शोरगुल)

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि मेरे मित्र चौहान साहब ने, जो अलवर से आये हैं........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि ये तो फातिमा जिन्ना की नकल कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा मैं मानकचौक की बात करूंगा जबकि माननीय सुखाड़ियाजी कुम्भारामजी आर्य के पैरों पर गिरने वाले थे।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order please !!

(व्यवधान—शोरगुल)

मैं माननीय सदस्यों से कई बार निवेदन कर चुका हूं कि पार्लियामेन्ट्री पद्धति के अनुसार आपको भी बोलने दें और जहां इन्टरप्ट करने की आवश्यकता हो वहीं करें, लेकिन सारी डिबेट को एक तरह की कन्ट्रोवर्सी के अन्दर न आने दें।

श्री हरिश्चन्द्र : I seek your protection Sir (माननीय सदस्यों से) You should have the patience to listen.

मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह डेकोरम ऑफ दी हाउस के खिलाफ है। आपने जो कुछ कहा हमने सुना। अब, हम कुछ कहना चाहते हैं तो आपको सुनना चाहिए।

श्री मानधातासिंह (महुआ) : केवल एक इन्फोर्मेशन लेना चाहता हूँ और वह यह है कि आपने कहा कि सभी विरोधी पक्ष हनुमानगढ़ पहुंचे....

श्री हरिश्चन्द्र : How the hell you are going to form the Government.

(व्यवधान—शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

(व्यवधान व भारी शोरगुल)

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष, नजारा देखलें ! जरा नजारा देख लीजिये माननीय सदस्यों का !

(व्यवधान—शोरगुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): एक व्यवस्था का सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा........

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : This point should be rejected, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मुकुटबिहारीलाल के खड़े होने पर) Yes. There is a point of order please.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी यह व्यवस्था चाहूंगा कि अभी एक मंत्री प्रवर अपनी कुछ तकरीर रख रहे थे उसके दौरान में उन्होंने अपने मस्तिष्क का संतुलन खोकर........

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कोई संतुलन नहीं खोया। आप अपना संतुलन मत खोइयेगा, नहीं तो राजस्थान का सत्यानाश हो जायेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनको यह मालूम होना चाहिए (विपक्ष की ओर से मेजें थपथपाने के कारण अश्रव्य) कि इस प्रकार से राजाओं का जमाना लद गया। यह राजस्थान का (विपक्ष की ओर से मेजें थपथपाने के कारण शोरगुल) यह दो करोड़ की जनता का सदन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप भी संतुलन मत खोइये। देखिये महारावल साहब मुस्करा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! You are refusing to listen the person who is in possession of the floor.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और ऑपोजिशन के माननीय सदस्यों से भी की जब इधर से कोई बोलते हैं तो शान्तिपूर्वक सुनना चाहिये। उनके द्वारा जो भी गम्भीर से गम्भीर बातें कही जाती हैं हम लोग बैठ कर सुनते हैं; तो मैं ऐसा समझता हूं कि इधर से बोलने वालों का अधिकार समाप्त कर दें और बोलने नहीं दें और नोकान्फीडेन्स पर जो चाहें चर्चा की जाय तो मैं समझता हूं कि कम से कम इतनी परम्परा तो हम निभा करके चलें कि बोलने का अधिकार इस तरफ वालों को भी है।

श्री मानधातासिंह : On a point of order, Sir, Mr. Deputy Speaker.

श्री उपाध्यक्ष : What is that?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : डंडा चलाने का अधिकार भी है आपको।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Handa! There is a point of order by Shri Mandhatasingh.

श्री मानधातासिंह : अभी श्री मुकुटजी ने यह सामने रखा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर कि मंत्री महोदय अपना संतुलन खो नहीं बैठें।

श्री हरिश्चन्द्र : किसने खोया? मैं संतुलन नहीं खो बैठा। आप बिराज जाइये। आप बोल चुके थे। I will request the Hon. members of the opposition to listen to me.

श्री मानधातासिंह : मैंने भी यह नोटिस किया........

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

श्री हरिश्चन्द्र : I appeal to the Hon. members of the opposition that I should be allowed to say something.

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

श्री मानधातासिंह : प्रिविलेज मोशन अवश्य आना चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं यह अर्ज कर रहा था कि राजस्थान विधान सभा के अन्दर जिस तरह से कई अपोज़िशन के मेम्बरान विराज रहे हैं; अब मैं आगे का नक्शा राजस्थान का खींचना चाहता हूं। उसमें मैं सर्व प्रथम हमारी कम्युनिस्ट पार्टी को लूंगा। कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों से हम भली-भांति वाकिफ हैं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि कॉंग्रेस के अन्दर राजा, महाराजा और जागीरदार आये हैं। हमको इसमें कहने में कतई शर्म नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी हर एक व्यक्ति के लिए है। उसको छूट है वह कांग्रेस पार्टी में आये और हम लोग जो कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे है (श्री मानधातासिंह के उठने पर) आपको क्यों वह हो रहा है ! कांग्रेस पार्टी में हम जो आये हैं तो खुली आंखों से आये हैं, आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं आये। आप तो राजनीति में अभी आये हैं और मैं ५५ से कांग्रेस के अन्दर काम कर रहा हूं।

(राज्य-पक्ष की ओर से हियर, हियर)

आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के अन्दर ही काम करूंगा, और कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं उनका मैं पालन कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के लिये यह निहायत जरूरी है कि कांग्रेस मजबूत बनें। ताकि राजस्थान की जनता की वह कुछ सेवा कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मानधातासिंह के खड़े होने पर) Order please.

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि यहां पर जो माननीय सदस्य हैं जो कांग्रेस में खुली आंखों से और छाती ठोक कर कांग्रेस में आये हैं उनकी तो आप बुराई करते हैं, लेकिन पीछे पीछे जो उनके केन्डीडेट को जिताने के लिए महारानी गायत्री देवी को वहां पर ले गये, महारावल साहब डूंगरपुर को ले गये हनुमानगढ़ में, और यहां वे ही आकर दूसरी भाषा में बोलते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे आदमी के खतरे से बचो कि जो दो भाषाएं बोलते हैं। हम कितनी ही भाषाएं बोलते होंगे, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि आप दो भाषाएं बोलते हैं, यहां कुछ कहते हैं और हनुमानगढ़ के अन्दर राजाओं को आपके केन्डीडेट को जिताने के लिए ले गये।

इसके अलावा मैं कहता हूं उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर कि पॉलिसीज़ के अन्दर आप हमें शिक्षा दें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन कन्ट्रीज़ में जाइये जहां पर कि आपकी पार्टी रूल करती है। आपको अगर चांस मिल जाय वहां पर शिक्षा देने का तो आप साबित वापिस लौट आयें

(श्री हरिश्चन्द्र)

तो फिर आप कहें। लेकिन चूंकि यहां हिन्दुस्तान के अन्दर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी है इसलिए आदमियों को छूट है कि वे लिख सकते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी राजनीति चला सकते हैं। इस वास्ते आप लोगों को भी छूट है लेकिन वह पार्टी, जिसके कि आप मेम्बर हैं, आज उन कन्ट्रीज़ के अन्दर कोई दूसरी पार्टी को पनपने नहीं देती है और हमें शिक्षा दें या हम आपको शिक्षा दें और अगर आप हिन्दुस्तान के सच्चे सेवक हैं, हिन्दुस्तान के सच्चे वफादार हैं तो छोड़ दीजिये इस पार्टी को और दूसरी किसी पार्टी में जायें, और मैं यह इस वास्ते कहना चाहता हूं कि उस पार्टी ने हिन्दुस्तान के साथ गद्दारी की है, हिन्दुस्तान के आदमियों को मारा है। हिन्दुस्तान की जनता से गद्दारी की है। इस वास्ते, आप उस पार्टी से निकल आइये, यदि आपको हिन्दुस्तान की जनता के लिये रहम है तो।

अब मैं आता हूं संयुक्त समाजवादी पार्टी के ऊपर व संयुक्त समाजवादी पार्टी में कई मेरे मित्र हैं और उनसे बहुत आशायें भी करता हूं लेकिन मैं उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा। यदि आप राजस्थान का हित चाहते हैं, यदि आप राजस्थान के अन्दर अपनी राजनीति कायम करना चाहते हैं, यदि आप चाहते है कि राजस्थान को सही मार्ग पर ले जावें तो कम से कम आप अपने दिमाग की सफाई कर लीजिये। अब तक आप अपने पड़ौसी पी.एस.पी. और एस.पी. के अन्दर भी दिमागी एकता नहीं कर पाये हैं, तो मैं नहीं समझता कि राजस्थान की जनता को आप अपने पीछे किस प्रकार लगा पायेंगे? आपका ध्येय भी वही है जो कांग्रेस का ध्येय है। कांग्रेस भी समाजवाद लाना चाहती है और आप भी समाजवाद लाना चाहते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि आप कांग्रेस के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, समाजवाद के हाथ मजबूत करना चाहते हैं तो उधर बैठने से नहीं होगा इधर बैठना होगा तभी हो सकेगा।

मैं एक और बात निवेदन करना चाहता हूं। आपके समाजवाद के अन्दर ऐसे भी तत्व मौजूद हैं जो तत्व यहां तो समाजवाद की बात करते हैं और वहां स्वतन्त्र पार्टी के साथ चलते हैं........

एक माननीय सदस्य: तत्व नहीं जन्तु हैं।

श्री हरिश्चन्द्र: 'जन्तु' मैं नहीं कहता। लेकिन बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को आंखों से देखा है, इस समय वे यहां मौजूद नहीं हैं। जब जनरल नाथूसिंहजी का चुनाव हुआ था उस समय उनके लेफ्टिनेन्ट कौन थे? माननीय सदस्य दावरियाजी, जब मैंने उनको वहां देखा तो मुझे तस्वीर नजर आई कि समाजवाद यह है। एसम्बली में यह समाजवाद और वहां दूसरा। आप जिनके भरोसे चल रहे हैं उनकी छटनी। करिये यदि आप मजबूत करना चाहते हैं पार्टी को तो छटनी करिये, बाहर निकालिये; ऐसों को तभी आपका समाजवाद जुड़ेगा, एक ही तरह के लोग रहेंगे तभी।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : पहले आप.......

(शोरगुल)

श्री हरिश्चन्द्र : आप पर भी आऊंगा। अब मैं आना चाहता हूं स्वतन्त्र पार्टी पर। प्रस्ताव स्वतन्त्र पार्टी ने रखा है........

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : नम्बर जनसंघ का है........

श्री हरिश्चन्द्र : उनके ऊपर भी आऊंगा........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : स्टेनलेस स्टील का कोटा नहीं दिया क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : नेता जो हैं स्वतन्त्र पार्टी के, बड़े बुजुर्ग, तजुर्बेकार और एडमिनिस्ट्रेशन में माहिर हैं और मेरा आपसे बहुत पुराना सम्पर्क रहा है और आज भी है। शामिल चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन दिमाग का जोड़ नहीं है। उनका दिमाग अलग चलता है और मेरा दिमाग अलग चलता है; मगर ताहम भी उनके लिये मुझे बड़ा आदर है

(शोरगुल)

लेकिन मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वतंत्र पार्टी जो कि इस बात की हामी भरती है और जनता के पास जाकर कहती है कि हम राजस्थान का राज्य करेंगे, हम राजस्थान को यह देंगे, वह देंगे। उनकी नीतियों के ऊपर हम जाते हैं, उनका मेनीफेस्टो देखते हैं तो मैं यह समझता हूं कि राजस्थान की जो घड़ी है वह घड़ी पीछे उल्टे चलेंगे राजस्थान वाले। Rajasthan will go back by nothing less than 20 years, I tell you, if Swatantra Party will come to power. और इसको मैं प्रूव कर सकता हूं। आपके टोडा भीम के मैनीफेस्टो के अन्दर आपने दो बातों के लिये अपोज़िशन किया। व्यक्तिगत तौर पर तो बातें अर्ज करना चाहता हूं। आपने उसमें यह कहा कि यदि स्वतन्त्र पार्टी पॉवर में आती है तो टैक्स रिडक्शन या माफ होगा। आपने यह भी कहा कि हिन्दुस्तान की सरकार हिन्दुस्तान को दूसरे देशों के पास गिरवी रख रही है। यानी आप एड के विरुद्ध हैं। आप मुझे यह बताइये माननीय नेता जो अपोज़िशन के हैं उनके पास ऐसा कोनसा जादू का डंडा है कि उस डंडे को घुमाते ही राजस्थान के प्लान्स या हिन्दुस्तान के प्लान्स को चला लेंगे....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): We will do.

श्री हरिश्चन्द्र : आप यदि एड (aid) भी नहीं लेवे और आप यदि जनता को टैक्स भी नहीं करें तो आज जो प्रगति हो रही है, जिस तरीके से हमारा देश चल रहा है, जिस दौर से देश गुजर रहा है, जिस गरीबी का हम सामना करने जा रहे हैं और जो जो एमिनिटीज़ आज मोडर्न वर्ल्ड में हैं वे हमारे आदमियों के पास नहीं हैं उनको पूरा कराने के लिये आपके पास कौन सा जादू का डंडा है ? जब हम पूछते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल आपकी तस्वीर नजर आती है क्योंकि हमने जादू का डंडा देख लिया है आपके हाथ में नहीं है। होता तो आप जनता के सामने लाते। लेकिन आपने कोई भी ऐसा फॉर्मूला

(श्री हरिश्चन्द्र)

नहीं रखा जिससे राजस्थान की इकोनोमिक डेवलपमेन्ट हो सके। वह फॉर्मुला राजस्थान की जनता के सामने तो आपने रखा ही नहीं है, लेकिन हमारे माननीय सदस्यों के सामने भी नहीं रखा है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमने यहां पर एक्सपेरिमेन्टल तरीके से देखना चाहा कि स्वतन्त्र पार्टी में जोश कितना है, तो यहा म्युनिसिपैलिटी में स्वतन्त्र पार्टी आ गई। मेरे भी कई मित्र हैं, उनमें जो वहां बैठते हैं, और उनका यह कहना है कि वहां तो तानाशाही चलती है, वहां कोई डेमोक्रेटिक सेट-अप या डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स के आधार पर कोई काम होता हो, यह नहीं है। वहां जो आपके चेयरमैन हैं वे कान में उगली डाल देते हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर): क्या करें, आप जैसों से पाला पड़ जाय तो?

श्री हरिश्चन्द्र : पार्टी में आपका यह रवैया है और म्युनिसिपैलिटी में कानों में उंगली डालते हो और राजस्थान को रूल करना चाहते हो तो कानों में कितनी उंगलियां डालोगे?

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : On a point of information, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) ; On a point of Order,

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त हो रहा है। He will continue tomorrow, सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजे, शुक्रवार, दिनांक ३० अक्टूबर १९६४ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण प्रश्न-समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

अनाज के तस्कर व्यापारी और ब्लेक मार्केटियर्स के मामले

६६८. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अनाज के तस्कर व्यापार में, निर्धारित से अधिक मूल्य में बेचने तथा ब्लैक मार्केटिंग करने के मामलों में राज्य में सन् ६४ में कहां २ कितने आदमियों को पकड़ा गया तथा उन मामलों में क्या २ कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) अनाज के तस्कर व्यापार में ५६ व्यक्तियों को बन्दी बनाया, जिनमें ४८ के विरुद्ध चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया एवं ८ व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों में अनुसंधान हो रहा है। इस प्रकार निर्धारित से अधिक मूल्य पर बेचने तथा ब्लैक मार्केटिंग करने के आरोप में ६५ व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया जिनमें ३१ व्यक्तियों के विरुद्ध चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया एवं ३४ व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों में अनुसंधान हो रहा है। विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

थूर और सिणदरा के पहाड़ों के बीच में बहने वाली नदी पर बांध

६६९. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि थूर और सिणदरा के पहाड़ों के बीच में बहने वाली नदी पर बांध बनाने के प्रयोजनार्थ कई बार सर्वे हो चुका है और इससे हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है ?

(२) क्या यह सही है कि निमज और खेंदर के बीच होकर बारह मास बहने वाले माउन्ट आबू के पानी को इस बांध में मिलाया जावे तो यह बांध जवाई जितना बड़ा हो सकता है ?

(३) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या योजना है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) मांडी शैम्बरा योजना का तखमीना बना लिया गया है जिसकी जांच की जा रही है।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, हिन्डोली की स्टेशन वैगन

७००. **श्री गंगासिंह परिहार** (हिन्डोली) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हिन्डोली, जिला बूंदी में एक स्टेशन वेगन, जो गांवों में दवाइयां देने के लिए काम में आती थी, बैटरी नहीं होने से करीब ८-१० माह से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो बैटरी खरीद में देरी क्यों और किसने की ?

(२) इन दिनों जब कि गाड़ी बन्द है, ड्राइवर से क्या काम लिया जा रहा है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) पी० एच० सी० में कार्य कर रहा है।

ड्राइवर २४-७-६४ से २३-८-६४ तक छुट्टी रहा।

नहर के सीपेज से भूमि को नुकसान

७०१. **श्री मावा** (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सलूम्बर तहसील, जिला उदयपुर के लकाया गांव में किसानों की जमीन पर तालाब में जयसमन्द की नहर निकल कर सलूम्बर तालाब में गई है ?

(२) क्या यह सही है कि लकाया के गांव की १५० बीघा जमीन नहर के सीपेज से खराब होने से काश्तकार खेती से वंचित रहते हैं ?

(३) क्या अब भी उक्त नहर से सीपेज को रोकने के लिये पक्की नहर बनाने का राज्य सरकार का विचार है ?

उत्तर

ग्राम खेजड़ोली में प्राइमरी हैल्थ सेंटर

७०२. **श्री भानुप्रसाद कराडिया (चौमू)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि खेजड़ोली, तहसील आमेर के लिए प्राइमरी हैल्थ सैन्टर की स्वकृति हुई थी ? यदि हां, तो उसे वहां न रख कर गोविन्दगढ़ क्यों रखा गया ?

(२) क्या खेजड़ोली में नया प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोले जाने की या गोविन्दगढ़ से वहां बदले जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी हां, यह सही है कि खेजड़ोली में प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोलने का प्रस्ताव गोविन्दगढ़ पंचायत समिति का आया था जो बाद में समिति द्वारा बदल दिया गया और पी० एच० सी० कालाडेरा में खोला गया।

(२) ऐसी कोई योजना अभी नहीं है, क्योंकि एक विकास खंड में केवल एक ही प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोला जा सकता है।

बाड़मेर का नया डाक बंगला

७०३. **श्री उम्मेदसिंह (बाडमेर)** : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बाड़मेर के एक बोर्डर जिला होने से कई केन्द्रीय व राज्य के सरकारी अधिकारी व उच्चतम अतिथि सरकारी दौरे पर बाड़मेर आते हैं ?

(२) अगर हां, तो क्या यह सच है कि उनके ठहरने के लिए बाड़मेर में एक डाक बंगले के सिवाय और कोई सुव्यवस्था नहीं है जो कि अतिथियों की संख्या को देखते हुए बहुत छोटा है ?

(३) अगर हां, तो क्या सरकार का उक्त डाक बंगले के भवन को और बढ़ाने का विचार है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) इसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हैं। यह सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

गादोला बांध की डूब में आई जमीन का मुआवजा

७३४. श्री हरलाल (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ में गादोला बांध में कितनी जमीन एक्वायर की गई और कब ?

(२) क्या यह सही कि उक्त बांध में जिन किसानों की जमीनें डूब में आई हैं उन क अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि जब से जमीन एक्वायर की गई तभी से जमीन जोतने से किसान वंचित रहे हैं ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त बांध में जिन किसानों की जमीन व कुए डूब में आये है उस जमीन का लगान किसानों से तहसील द्वारा अभी तक वसूल किया जा रहा है ? यदि, हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) ३८८ एकड़ जमीन सन् १९६३ में।

(२) जी हां। रेवेन्यू विभाग से जमीनों के एवार्ड प्राप्त न होने के कारण।

(३) जी हां। किन्तु जो जमीन पेटे में खाली होती रही हैं उसमें काश्त की जाती रही है।

(४) जी नहीं।

कुम्भलगढ़ तहसील के अस्पताल में डॉक्टर की कमी

७०५. श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कुम्भलगढ़ तहसील में होस्पिटल बन चुका है लेकिन अब तक वहां डॉक्टर नहीं भेजा जा रहा है ? सरकार अब कब तक वहां डॉक्टर भेजने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। डॉक्टर बी० एन० कुन्दु दिनांक ८-३-५३ से सरकारी डिस्पेन्सरी कुम्भलगढ़ (उदयपुर) में कार्य कर रहे हैं।

नगरपालिका जयपुर द्वारा भूमि किराए पर देने के नियम

७०६. श्री दुर्गालाल बढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जयपुर नगरपालिका के द्वारा भूमि किराए पर दिये जाने के कोई नियम हैं ? यदि नियम नहीं हैं तो नगरपालिका किस किस एरिया में किस किस प्रकार भूमि किराये पर देती है ?

(२) क्या नगरपालिका द्वारा भूमि विक्रय के कोई नियम बने हुये हैं ? यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के नियमों की आवश्यकता सरकार महसूस नहीं करती ?

(३) भूमि किराये पर लिये जाने व मोल लिए जाने के कितने आवेदन-पत्र नगरपालिका के सामने सन् १९६० से अब तक आये और उनमें से कितने आवेदकों को भूमि बेची गई और किराये पर दी गई है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। भूमि किराये पर परिषद् प्रस्ताव संख्या ८ दिनांक ११-४-६१ के दी जा रही है।

(२) नगरपालिका द्वारा भूमि बेचान के कोई नियम बने हुये नहीं है। इन नियमों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस बारे में राज्य सरकार द्वारा नियम बने हुऐ हैं।

(३) सन् १६६० के पश्चात् से फरवरी ६४ तक कुल १३४१ आवेदन-पत्र भूमि विक्रय हेतु प्राप्त हुए हैं एवं १६७ आवेदकों को भूमि विक्रय की गई है।

(ख) सन् १६६० के पश्चात् फरवरी, १६६४ तक कुल ८६५ आवेदन-पत्र किराये पर भूमि लेने हेतु प्राप्त हुए हैं जिसमें से ८८ आवेदकों को भूमि किराये पर दी गई है।

सुखानिया बांध की डूब में आने वाली जमीन का मुआवजा

७०७. श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की तहसील बांसवाड़ा के सुखानिया बांध की डूब में आने वाली जमीन के किसानों को सरकार ने जमीन व मुआवजा अभी तक नहीं दिया है?

(२) यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) राजस्व विभाग से एवार्ड न आने के कारण।

सुरक्षा कोष में रुपया व सोना, हिन्डौन सब-डिविजन

७०८. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

(१) हिन्डौन सब-डिविज़न से सुरक्षा कोष में कितना रुपया व सोना इकट्ठा हुआ है?

(२) क्या यह सच है कि यहां पर किसानों से व अन्य जमीन मालिकों से १ रु० प्रति बीघा लिया गया है? यदि हां, तो १ रु० प्रति बीघा के हिसाब से कितना रुपया इकट्ठा हुआ है? और कितना रुपया बिना जमीन के लोगों से लिया गया है?

(३) इस सब–डिविज़न में कुल कितनी बीघा जमीन है ?

(४) क्या यह सही है कि कुछ गलत रसीदें भी पटवारियों की पकड़ी गई हैं और वे साबित भी हो चुकी हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

१. हिन्डौन सब डिविजन से सुरक्षा कोष में नकद, बौन्ड, चैक्स एवं मनी-ऑर्डर्स के रूप में कुल ५,०२,४१३.५६ नये पैसे एवं १३८ ग्राम सोना एकत्रित हुआ है।

२. जी नहीं।

३. इस सब-डिविज़न में कुल ५,३७,८१५ बीघा ६ बिस्वा जमीन है।

४. हां, इस सब-डिवीज़न में अनियमितता करने वाले निम्न पटवारियों के विरुद्ध निम्न कार्यवाही जारी है:—

१. श्री किन्दूरीलाल पटवारी गांव ढडोरा तहसील हिन्डौन ने सोनपाल पुत्र सुन्दर चमार बाटटौरा से सुरक्षा कोष के लिए २० रुपये लिए जिसकी रसीद उसे नहीं दी गई। इस विषय में जांच एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है।

२. श्री छाजूलाल पटवारी गांव मोठियापुर तहसील हिन्डौन ने सुरक्षा कोष की धन-राशि के १०२ रुपये कम जमा कराए थे जिसकी जांच शुरू होने पर उसने वह रकम करीब २ माह बाद २६-३-६३ को जमा कराई है। इस सिलसिले में उसे निलम्बित किया गया है। जांच विचाराधीन है।

३. श्री अर्जुनपाल पटवारी, तहसील हिन्डौन और श्री रघुनन्दन पटवारी के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुए, अतः उसकी जांच के कागजात दाखिल दफ्तर कर दिये गये।

४. श्री कल्याणसहाय, पटवारी मंडावर तहसील महुवा के विरुद्ध कुछ अनियमितता करने की शिकायत हुई है जो विचाराधीन है। पटवारी अन्य मामलों में इस समय निलम्बित है।

Page No. 122

रूपारेल नदी पर बांध का सर्वे

७०६. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार अलवर में रूपारेल नदी पर लक्ष्मणझूला (नटनी का बारा) पर एक बड़ा बांध बनवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही ?

(२) क्या इस बांध के बनाने के लिए स्टेट के समय में कोई सर्वे हुई थी ? अगर हां, तो सर्वे की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे ?

उत्तर

१) जी नहीं।

२) इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

उदयपुर में पानी का दुरुपयोग करने वाले के विरुद्ध मुकदमा

७१०. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, उदयपुर द्वारा उदयपुर नगर के एक प्रमुख सेठ श्री गुलामअब्बास मालमवाला के विरुद्ध पानी का दुरुपयोग करने के अभियोग में कोई मुकद्दमा तैयार किया गया है ? यदि हां, तो वह रकम कितनी बनती है ?

(२) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

उत्तर

१) जी हां, यह मामला अभी अन्डर इन्वेस्टीगेशन है, अतः निश्चित रकम बताना फिलहाल सम्भव नहीं है।

२. जी नहीं, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही जारी है।

हेरो डेम की डूब में आने वाले ग्रामों के लोगों को मुआवजा

७११. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) हेरो डेम घाटोल पंचायत समिति, जिला बांसवाड़ा में बनाया गया है और क्या उस बांध की डूब में आने वाले ग्रामों के लोगों को मुआवजा की रकम वितरित कर दी गई है ? यदि हां, तो किस हिसाब से और नहीं की गई है तो क्यों ?

(२) हेरो डेम से सिंचाई व्यवस्था जो की गई है उससे क्या सेनावास के पूरे ग्राम को सिंचाई हेतु पानी दिलाने की कोई कार्यवाही की जा रही है ? अगर हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

उत्तर

१. जी हां, केवल एक व्यक्ति को देना शेष है। चुकाने की दर निम्न प्रकार है :

(१) चाही २००) रु० प्रति बीघा

(२) बारानी १००) रु० प्रति बीघा

(३) बड़त ७५) रु० ,, ,,

२. सेनावास ग्राम की सिंचाई हेतु अवश्यक नहरें व माइनर बना दिये गये हैं ।

बूंदी जिले के फूड इन्सपेक्टर का कार्यालय

७१२. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में सिर्फ एक फूड इन्सपैक्टर कार्य करता है और पूरे जिले की जनता को लाइसेन्स बनवाने हेतु अपने जिले के हैडक्वार्टर पर जाना पड़ता है ?

(२) क्या यह सही है कि इन्सपैक्टर ज्यादातर दौरे में रहते हैं और उनके हैडक्वार्टर पर नहीं होने से जनता को व्यर्थ खर्चा करके वापस लौटना पड़ता है ?

(३) क्या यह सही है कि एक सहायक हैल्थ ऑफिसर का स्थान बूंदी के लिए उपलब्ध है किन्तु बूंदी में जगह खाली है और वह कोटा में अपनी ड्यूटी करते हैं ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी, यह सही नहीं है।

(२) जी, यह सही नहीं है।

(३) जी हां।

(४) जी हां। सहायक हैल्थ ऑफिसर बूंदी, जिला हैल्थ ऑफिसर कोटा का स्थानान्तरण हो जाने से उनके स्थान पर ता० २५-५-६४ से कार्य कर रहे हैं। दूसरे जिला हैल्थ ऑफिसर की नियुक्ति हो चुकी है; जो ज्वाइन करने पर सहायक हैल्थ ऑफिसर बूंदी वापिस भेज दिया जायेगा।

नगरपालिका लालसोट के चुनाव

७१३. श्री रामसहाय (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि लालसोट पंचायत नगरपालिका क्षेत्र १२ सितम्बर, ६३ को राज-पत्र में घोषित किया जा चुका है ?

(२) क्या यह भी सच है कि श्री देवराज भण्डारी को वहां पर प्रशासक नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो कितने समय का वेतन तथा टी० ए०, डी० ए०, श्री भण्डारी को दिया गया।

(३) क्या यह भी सच है कि देवराज भण्डारी का ट्रान्सफर कर दिया गया और कोई दूसरा प्रशासक नहीं भेजा गया तथा पंचायत अब भी काम कर रही है ?

(४) अब लालसोट नगरपालिका के चुनाव कब हो रहे हैं ?

(५) लालसोट में प्रशासक कब तक चार्ज ले लेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां । वेतन व टी० ए०, डी० ए० का मामला विचाराधीन है ।

(३) जी हां ।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(५) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । लालसोट पंचायत ही कायम रखी जा चुकी है ।

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १५६ का उत्तर देखिये)

सूची फतहसागर व उदयसागर लेक से सिंचित होने वाले गांवों की ।

फतहसागर

(१) बेवाली
(२) फतहपुरा
(३) पुलां
(४) सौभागपुरा
(५) बड़गांव
(६) उदयपुर शहर
(७) भुवाना

उदयसागर (बांई नहर)

(१) मला का गुड़ा
(२) करगेट
(३) सियाडा
(४) चंगेड़ी
(५) डबोक
(६) अमरेडी
(७) नान्द मेला
(८) टूस
(९) मन्देसर
(१०) मीपडी
(११) गारवां
(१२) देवारी
(१३) तुलसीदासजी की सराय
(१४) गुड़ली
(१५) मैरता
(१६) डाण
(१७) नहर मगरा
(१८) सालेरा
(१९) गणोली
(२०) गौबंडा

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १६० का उत्तर देखिए)

चीनी वितरण का स्टेटमेन्ट

नं०	नाम तहसील	जन संख्या	तादाद चीनी जो माह अगस्त में एलॉट की गई	कैफियत
१	२	३	४	५
१	तहसील गिरवा	११९६४५	२१२	तहसील गिरवा में जो चीनी एलॉट की गई है उसके बाबत
२	,, नाथद्वारा	६६४१७	१५१	माइन्स भी शामिल हैं।
३	,, राज समन्द	६२०५६	१०६	नोट:—
४	,, आमेट	४८५००	१०५	
५	,, देवगढ़	३६३०४	६६	तहसीलों की जन संख्या कॉलम नं० तीन में बताई गई है।
६	,, भीम	६६६२६	११४	तहसील लसाड़िया में दी जाने वाली चीनी पर्याप्त मात्रा में
७	,, रेल मगरा	५६३२५	१०८	है। इस तहसील में ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं और
८	,, मावली	६४०४२	१६३	ज्यादातर गुड़ इस्तेमाल करते हैं इसलिए वहां पर चीनी की

१	२	३	४	५
९	,, वल्लभनगर	६६७६१	१७३	मांग कम है। मांग को देखते हुए वहां का कोटा निश्चित किया गया है।
१०	,, लसाड़िया	७२२३२	१००	
११	,, सलूम्बर	७८८६१	१२८	
१२	,, सराडा	८४५६७	१४५	
१३	,, खैरवाड़ा	६१२२४	१४१	
१४	,, झाडोल	६०१८५	१००	
१५	,, कोटडा	५५२६०	६६	
१६	,, गोगुन्दा	६७१०३	११६	
१७	,, कुम्भलगढ़	७१५६६	११४	

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक २६ अक्टूबर, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५	शीर्षक	प्रश्नोत्तरा	प्रश्नोत्तर
,,	शीर्ष	(श्री परसराम ममदेरणा)	(श्री परसराम, मदेरणा)
६	८-९	गोयल : (बयाना)	गोयल (बयाना) :
९-१०, १३-१४	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
९	शीर्ष	(श्री योग्येन्द्रनाथ	(श्री योगेन्द्रनाथ
११	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यों के	तारांकित प्रश्नोत्तर
१७	शीर्ष	(श्री रामप्रसान लड्डा)	(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)
३४	शीर्षक	प्रश्नोत्त	प्रश्नोत्तर
४४	११	श्री दिदेशराय	श्री दिनेशराय
५२	४	श्री अध्यक्ष नेक्स्ट	श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट
५८	शीर्षक	तारांकित	तारांकित प्रश्नोत्तर
७३	१२	(१२.२० म.प.	(१२.२० म.प.)
८१	शीर्षक	मर्नत्र	मन्त्रि
१०४	१२	मन्नालाल	मुन्नालाल
१०९	अन्तिम पंक्ति	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
१२४	२४	(घाटॅला)	(घाटोल)
१३७	अन्तिम से ३	अपाको	आपको
१३९	११	हेखना	देखना
,	१२	आज नातों का अपोजिशन	आज ऑपोज़ीशन
१४१	शीर्ष	(श्री दरदेव जोशी)	(श्री हरिदेव जोशी)
१५७,१६१ व १६३	,,	(श्री हरिदत्तसिंह)	(श्री हरदत्तसिंह)
१६८	शीर्षक	प्रस्प्राव	प्रस्ताव
१६९	,,	२० अक्टूबर	२६ अक्टूबर

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१८५	शीर्ष	(श्री प्रसाद प्रसाद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
१९०	१४	आप कहने वाले हैं	आप यह करने वाले हैं,
२०१	१३	घटीं	घंटी
२०४	१	श्री मानधा!सिंह	श्री मानधातासिंह
,,	१०	श्री मानधातसिंह	श्री मानधातासिंह
२०६	२	श्री मानघातासिंह	श्री मानधातासिंह
२०९	१२	श्री मानघातासिंह	श्री मानधातासिंह
,,	१३	pleas	please
,,	१५	आपकी	अपनी
,,	१८	Orrer	Order l
२१२	११	श्री उपाव्यत्त	श्री उपाध्यत्त
२१८	१–२	prote. ction	protection
२१९	१९	जभाना	जमाना
२२२	६/	मानघातासिंह	मानधातासिंह
२२८	८	Order,	Order...
२२९	शीर्षक	१२१	२२९
२३२	६	द्रशासन	प्रशासन
२३३	शीर्षक	डांक्टर	डॉक्टर
२३७	,,	परिशिप्ट	परिशिष्ट

* विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।